



श्री वादिदेवसूरिकृत

# प्रमाण-नय-तत्त्वालोक

( हिन्दी अर्थ और विवेचन सहित )




विवेचक और अनुवादक  
प शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायतीर्थ



प्रकाशक

पत्रो-पुस्तक प्रकाशन विभाग  
श्री तिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड  
पायडों, (जुद्धनगर)

द्वितीय आवृत्ति }  
१००० }



प्रकाशक—

मन्त्री—पुस्तक प्रकाशन विभाग

श्री तिलोक रत्न स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड  
पाथर्डी, ( जि. अहमदनगर )



प्रथमावृत्ति, १००० प्रतियां  
द्वितीयावृत्ति १००० प्रतियां

सं. २४९८

मल्ल  
॥ १०११ ॥

वि.सं. २०२८

मुद्रक—पं. बदरीनारायण द्वारिकाप्रसाद शुक्ल  
श्री सुधर्मा मुद्रणालय, ८१० मन्त्री गली  
पाथर्डी, (अहमदनगर)

## प्रस्तावना

भारतीय दर्शन शास्त्रों में जन दर्शन का स्थान अति महत्त्व का है और उसका प्रधान कारण उसकी मौलिकता, व्यापकता और विशदता है। जगत् के समस्त झगडा और झझटों का निपटारा करने के लिये जन दर्शन ने जो अपूर्व चीज जगत् की सेवा में समर्पित की है वह स्याद्वाद है और यह जनदर्शन की मौलिकता है। स्याद्वाद ही जैन नीति का मूलमंत्र है और उसका निर्माण प्रमाण और नय, इन दो तत्त्वों की भित्ति पर ही हुआ है क्योंकि जैन दर्शन के ये ही प्राणमत्ततत्त्व हैं।

### ग्रन्थ का महत्त्व

न्याय शास्त्र के विद्यालय मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक श्री दत्तसूरि ने श्री माणिक्यनन्दि के 'परीक्षा मुख' ग्रन्थ की शाली पर प्रस्तुत की रचना करके प्रथम मापान बना देने का काम किया है।

'प्रमाणनयैर्गघिगम—यह बात अनुभवगम्य होने पर भी प्रमाण और नय क्या है? उसके स्वरूप-मध्या-विषय फल आदि क्या है? उसका विषय परिचय प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाण और नय इन दो तत्त्वों पर ही सुन्दर ढंग से काफी प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक सक्षिप्त होने पर भी सुन्दर और सारगर्भित है। न्याय शास्त्र के मागरी का प्रस्तुत पुस्तक रूपी मागरी में भर देने का जो कागल सूरिजी ने बताया है वह वास्तव में प्रामाण्यपूर्ण है। जन न्याय का अच्छी तरह समझने के लिए इसे कुञ्जी कहा जा सकता है।

## ग्रन्थकार का परिचय

श्री देवसूरि गुर्जरदेश के 'महाहृत' नामक नगर में उत्पन्न हुए थे । पोरवाल नामक वैश्य जाति के भूषण थे । उनके पिता 'वीरनाग' और माता 'जिनदेवी' थी । श्री देवसूरि का पूर्व नाम पूर्णचन्द्र था । वि. सं. ११४३ में इनका जन्म हुआ था । वि. सं. ११५२ में उन्होंने बृहत्पगच्छीय यशोभद्र नेमिचन्द्र सूरि के पट्टालकार श्री मुनिचन्द्रसूरिजी के पास दीक्षा अंगीकार की थी । पूर्णचन्द्र ने थोड़े ही समय में अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया । गुरुजी ने इनकी वादगवित से संतुष्ट होकर वि. सं. ११७४ में 'देवसूरि' ऐसा नाम संस्करण करके आचार्य पद प्रदान किया । वि. सं. ११७८ कार्तिककृष्णा में गुरुजी का स्वर्गवाम हो जाने के बाद श्री देवसूरि ने गुजरात, मारवाड़, मेवाड़ आदि देशों में विचरण करके धर्म-प्रचार किया और नागौर राजा आह्लादन, पाटन के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा गुर्जरेश्वर कुमारपाल आदि को धर्मानुरागी बनाया था ।

श्री देवसूरिजी की वादगवित बहुत ही विलक्षण थी । बहुत से विवादों में उन्होंने विजयलक्ष्मी प्राप्त की थीं । कहा जाता है कि पाटन में सिद्धराज जयसिंह नामक राजा की अध्यक्षता में एक दिगम्बराचार्य श्री कुमुदचन्द्र के साथ 'स्त्री मुक्ति, केवलमुक्ति और सवस्त्रमुक्ति' के विषय में सोलह दिन तक वादविवाद हुआ था और उसमें भी विजय प्राप्त करके वादिदेवसूरिजी ने अपनी प्रखर तार्किक बुद्धि का परिचय दिया था ।

श्री वादिदेवसूरि जैसे तार्किक थे वैसे ही प्रौढ़ लेखक भी । उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ को विशद करने के लिये 'स्याद्वादरत्नाकर' नामक बृहत् स्वोपज्ञ भाष्य लिखकर अपनी तार्किकता का सुन्दर

परिचय दिया है। इसका अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इन प्रकार श्री देवसूरि धर्मोपदेश, ग्रन्थ-रचना, वाद-विवाद आदि प्रवृत्तियों द्वारा जिनशामन का समुज्ज्वल करते हुये विस १२०६ में शत्रुघ्नवर सूरि को गच्छभार सौंप कर श्रावण कृष्णा अष्टमी के दिन ऐहिक जीवनलीला समाप्त कर स्वर्गधाम को प्राप्त हुये।

### इस ग्रन्थ की टीकाएँ और अनुवाद

इस ग्रन्थ की उपयोगिता और उपादेयता इसी में सिद्ध हो जाती है कि गुद ग्रन्थकार ने ही इस ग्रन्थ को अथवाभीय को परि-स्फुट करने के लिये ८४ हजार श्लोक-परिमाण में 'स्याद्वादग्लाकर' नामक बृहत् ग्रन्थ की रचना की है और उसी के निम्न ग्ल श्री ग्लमिहजी ने 'स्यावरायनारिका' नामक सुन्दर मुलान्ति ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ वर्तमान में न्यायनीय की परीक्षा में नियत किया गया है।

स्याद्वादग्लाकर का अति विस्तृत हान के कारण उमका अनुवाद होना उचितमा है किन्तु स्यावरायनारिका का तापटि-तर्जो जग न्यायिक द्वारा सरल मुवाध राष्ट्रीय भाषा में विवेचन और प्रामाणिक अनुवादन करा कर प्रसिद्धि में लाना निरान्त आवश्यक है। तब प्रस्तावित प्रकाशक द्वारा ही ग्रन्थ गारयबद्ध करवा है, न्याय-ग्रन्थ पढ़ने का अभिप्राय बद्ध करने का और जन समझ बनाने का समुचित मा परिणित हो सकता है।

### ग्रन्थ की उपयोगिता और प्रस्तुत सहकरण

प्रस्तुत ग्रन्थ की उपयोगिता का स्पष्ट मा स्पष्ट करके बताया जा रहा है कि न्याय का प्रथमा परीक्षा में इसे स्थान

दिया है । प्रतिवर्ष अनेक छात्र जैन न्याय की परीक्षा देते हैं और इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ का पठन-पाठन जैन-समाज में काफी होता है किन्तु ऐसी उपयोगी पुस्तक का जन-साधारण भी लाभ उठा सकें और विषय जटिलता के कारण छात्र जो परेशानी अनुभव कर रहे थे वह दूर की जा सके, इस ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था । इस अभाव की पूर्ति आज की जा रही है और वह भी ऐसे प्रौढ पंडितजी के द्वारा जिन्होंने सैकड़ों की तादात में छात्रों को न्याय-शास्त्र पढ़ाया और 'न्यायतीर्थ' भी बना दिया है ।

इस सरल सुबोध विवेचन और अनुवाद द्वारा छात्रों की बहुतसी परेशानी कम हो जायगी और जो न्याय-शास्त्र को जटिल समझ कर न्याय शास्त्र से दूर भागते हैं उन्हें यह अनुवाद प्रगल्भ पथ-प्रदर्शन करेगा । इसके अतिरिक्त जो संस्कृत भाषा में अनभिज्ञ हैं वे भी प्रस्तुत पुस्तक के आधार पर न्यायशास्त्र में प्रवेश कर सकेंगे ।

ग्रन्थ का संपादन, विवेचन और अनुवाद कितनी सावधानी-पूर्वक हुआ है यह तो पुस्तक के पठन-पाठन से ज्ञात हो ही जायगा । जैन न्याय के पारिभाषिक शब्दों की विगद व्याख्या इस पुस्तक में की गई है तथा छात्रों की शकाओं का सप्रमाण समाधान करने का प्रयास किया गया है—यह इसकी विशेषता है जो छात्रों के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगी ।

प्रस्तुत न्याय-ग्रन्थ का ऐसा सुन्दर छात्र उपयोगी संस्करण निकालने के लिये अनुवादक और प्रकाशक दोनों धन्यवादार्ह हैं ।

ग्रन्थ की उपादेयता पाठ्यक्रम में अपना स्थान अवश्य प्राप्त कर लेगी ऐसी शुभाशा है । सुज्ञेपु कि बहुना ।

ता १-१-४२ ई०  
 दयावर }

शान्तिलाल वनमाली श्रेष्ठ

# प्रमाण-नय-तत्त्वालोक



## प्रथम परिच्छेद

### मंगलाचरण

रागद्वेषविजेतार, तातार विश्ववस्तुन ।

शरूपूज्य गिरामीश तीर्थेश स्मृतिमानये ॥

अथ-राग और द्वेष को जोतने वाले-शोतराग, रामस्त वस्तुओं को जानने वाले-मया इन्द्रों द्वारा पूजनीय तथा शानी के स्वामी तीर्थेश भगवान् को म स्मरण करता १ ।

विवेचन-प्रथम रचना में जाने वाले विघ्नों का निवारण करना के लिए आस्तिक प्रयत्न अथवा प्रथम की आदि में मंगलाचरण करते हैं । मंगलाचरण करने से विघ्न निवारण से अतिरिक्त निष्ठाचार का पाठन भी होता १ और कृतज्ञता का प्रकाशन भी ।

प्रस्तुत मंगलाचरण में 'तार्थेश' का स्मरण किया गया है । ताद्यु, माध्वी, धायक, भाषिणायक अनुविद्य तप ताप बहुलाता है । तीर्थेश स्वामी को तीर्थेश कहते हैं ।

तीर्थेश के चार विभाग हैं । वे विभाग प्रथम उनके चार मूल अतिशयोक्ति विनिष्ठाया के सूचक हैं । चार



अतिशय ये हैं— (१) अपायापगम-अतिशय (२) ज्ञान-अतिशय  
(३) पूजातिशय (४) वचनातिशय ।

ग्रंथ का प्रयोजन

प्रमाणनयतत्त्वव्यवस्थापनार्थमिदमुपक्रम्यते ॥ १ ॥

अर्थ—प्रमाण और नय के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है ।

प्रमाणका स्वरूप

स्वरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ॥ २ ॥

अर्थ—स्व और पर को निश्चित रूप से जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है ।

विवेचन—प्रत्येक पदार्थ के निर्णय की कसौटी प्रमाण ही है । अतएव सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण बताया गया है । यहाँ 'स्व' का अर्थ ज्ञान है और पर का अर्थ है ज्ञान से भिन्न पदार्थ । तात्पर्य यह है कि वही ज्ञान प्रमाण माना जाता है जो अपने आपको भी जाने और दूसरे पदार्थों को भी जाने, और वह भी यथार्थ तथा निश्चित रूप से ।

ज्ञान ही प्रमाण है

अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणं,  
अतो ज्ञानमेवेदम् ।

अर्थ—ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य वस्तु को स्वीकार करन तथा त्याग करने में प्रमाण समर्थ होता है, अतः ज्ञान ही प्रमाण है ।

विवेचन--उपादेय क्या है और हेय क्या है इसे घतला देना ही प्रमाण की उपयोगिता है । प्रमाण की यह उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है जब प्रमाण को ज्ञानरूप माना जाय । यदि प्रमाण ज्ञान रूप न होगा-अज्ञान रूप होगा, तो यह हेय उपादेय का विवेक नहीं करा सकेगा । जब प्रमाण से हेय उपादेय का विवेक होता ही है तो उसे ज्ञान रूप ही मानना चाहिए ।

अज्ञान प्रमाण नहीं है

न च सन्निकषादिरज्ञानस्य प्रामाण्यमुपपन्न, तस्यार्थान्तरस्यैव स्वार्थव्यवसितौ साधकतमत्वानुपपत्ते ॥४॥

अयं—सन्निकष आदि\* अज्ञानो को प्रमाण मानना उचित नहीं है, क्योंकि ये दूसरे पदार्थों (घट आदि)की तरह स्व और पर का निश्चय करने में साधकतम नहीं है ।

विवेचन--इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध को सन्निकष कहते हैं । वैशेषिक दर्शन में सन्निकष प्रमाण माना गया है । उसी सन्निकष की प्रमाणता का यहाँ निषेध किया गया है । पहले यह घतला दिया गया था कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, पर सन्निकष ज्ञान रूप नहीं है अतएव यह प्रमाण भी नहीं हो सकता ।

सूत्र का भाव यह है -- अज्ञानरूप सन्निकष प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह स्व और पर के निश्चय में साधकतम (करण) नहीं है । जो-जो स्व पर के निश्चय में करण नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता,

\* आदि वाक्य में यहाँ कारण कारण आदि की प्रमाणता का निषेध किया गया है पर उसका विवेचन कुछ गहन होने से यहाँ छोड़ दिया गया है ।

जैसे घट । सन्निकर्ष स्व-पर के निश्चय में कारण नहीं है इस कारण प्रमाण नहीं है ।

सन्निकर्ष स्व-पर-व्यवगायी नहीं है

न खत्वस्य स्वनिर्णीतो करणत्वम्, स्तम्भादेरिवा-  
चेतनत्वात्; नाप्यर्थनिश्चितो स्वनिश्चितावकरणस्य  
कुम्भादेरिव तत्राप्यकरणत्वात्।५।

अर्थ—सन्निकर्ष आदि स्व-निर्णय में कारण नहीं है, क्योंकि वे अचेतन हैं, जैसे खम्भा वगैरह । सन्निकर्ष आदि अर्थ (पदार्थ) के निर्णय में भी कारण नहीं है, क्योंकि जो स्व-निर्णय में कारण नहीं होता वह अर्थ के निर्णय में भी कारण नहीं होता, जैसे घट आदि ।

विवेचन-सन्निकर्ष की प्रमाणता का निषेध करने के लिए 'यह स्व-पर के निश्चय में कारण नहीं है' यह हेतु दिया गया था । किन्तु यह हेतु प्रतिवादी-वैशेषिक को सिद्ध नहीं है और न्याय-शास्त्र के अनुसार हेतु प्रतिवादी को भी सिद्ध होना चाहिए । हेतु को प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता वह असिद्ध हेत्वाभास ही जाता है । इस प्रकार जब हेतु असिद्ध हो जाता है तब उस हेतु को साध्य बना कर उसे सिद्ध करने के लिए दूसरे हेतु का प्रयोग करना पड़ता है । यहाँ यही पद्धति उपयोग में ली गई है । पूर्वोक्त हेतु के दो खण्ड करके दोनों को सिद्ध करने के लिए यहाँ दो हेतु दिये गये हैं ।

भाव यह है -सन्निकर्ष स्व के निश्चय में कारण नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है, जो-जो अचेतन होता है वह-वह स्व-निश्चय में कारण नहीं होता, जैसे स्तम्भ तथा—

सन्निकष पर-पदाय का निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपना (स्व का) निश्चय नहीं कर सकता जो अपना निश्चय नहीं कर सकता वह पर पदाय का निश्चय नहीं कर सकता, जैसे घट ।

प्रमाण निश्चयात्मक है

तद् व्यवसायस्वभाव समारोपपरिपथित्वात्, प्रमाण-त्वाद् वा ॥६॥

अर्थ-प्रमाण व्यवसाय रूप है, क्योंकि वह समारोप का विरोधी है अथवा प्रमाण व्यवसाय रूप है, क्योंकि वह प्रमाण है ।

विवेचन-प्रमाण का लक्षण बताते समय उसे निश्चयात्मक कहा था, पर बौद्ध दर्शन में निर्विकल्पज्ञान भी प्रमाण माना जाता है । जनदशन में जिसे दशनोपयोग कहते हैं और जिसमें सिफ सा माय का बोध होता है वही बौद्धों का निर्विकल्पज्ञान है । निर्विकल्पज्ञान की प्रमाणता का निषेध करके यहाँ यह बताया गया है कि प्रमाण निश्चयात्मक है । निर्विकल्पज्ञान में 'यह घट है, यह पट है', इत्यादि विशयो का ज्ञान नहीं होता इसी कारण यह प्रमाण नहीं है ।

यहाँ प्रमाण को व्यवसाय स्वभाव कहा है, इससे यह भी फलित होता है कि सशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान और अनध्यवसाय ज्ञान भी प्रमाण नहीं हैं ।

सूत्र का भाव यह है-प्रमाण व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक है, क्योंकि वह समारोप-सशय, विषय, अनध्यवसाय-का विरोधी है, जो व्यवसायात्मक नहीं होता वह समारोप का विरोधी नहीं होता, जैसे घट । तथा-

प्रमाण व्यवसायात्मक है, क्योंकि वह प्रमाण है, जो व्यवसायात्मक नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता; जैसे घट ।

समारोप

अतस्मिस्तदध्यवसायः समारोपः ॥७॥

स विपर्ययसंशयानध्यवसायभेदात् त्रेधा ॥८॥

अर्थ—अतद्-रूप वस्तु का तद्-रूप ज्ञान हो जाना अर्थात् जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मालूम हो जाना समारोप कहलाता है ।

समारोप तीन प्रकार का है—(१) विपर्यय (२) संशय (३) अनध्यवसाय ।

विपर्यय—समारोप

विपरीतैककोटिनिष्ठञ्जनं विपर्ययः ॥९॥

यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ॥१०॥

अर्थ—एक विपरीत धर्म का निश्चय होना विपर्यय-ज्ञान (समारोप) कहलाता है ।

जैसे—सीप में 'यह चांदी है' ऐसा ज्ञान होना ।

विवेचन-सीप को चांदी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, आदि इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को विपरीत या विपर्यय समारोप कहते हैं । इस ज्ञान में वस्तु का एक ही धर्म जान पड़ता है और वह उल्टा जान पड़ता है । अत एव यह मिथ्या-ज्ञान है—प्रमाण नहीं है ।

साधकबाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककोटिसर्पाश  
ज्ञान सशय ॥११॥

यथा-अय स्थाणुर्वा पुरुषो वा ॥१२॥

अय साधक प्रमाण और बाधक प्रमाण का जभाव होने से, अनिश्चित अनेक अशों को छूने वाला ज्ञान सशय कहलाता है ।

जैसे-यह ठूठ है या पुरुष ह ?

विवेचन- यहा सशय ज्ञान का स्वरूप और कारण बतलाया गया है । साथ ही उदाहरण का भी उल्लेख कर दिया गया है ।

एक ही वस्तु में अनेक अशों को स्पश करने वाला ज्ञान सशय ह, जैसे ठूठपन और पुरुषपन दो अश हैं । इस ज्ञान के समय न ठूठ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण होता है, न पुरुष का निषेध करने वाला ही प्रमाण होता ह । ठूठ और पुरुष दोनों में समान रूप से रहन वाली उंचाई मात्र मालूम होती है । एक को दूसरे से भिन्न करने वाला कोई विशेष धर्म नहीं होता है ।

विषय और सशय का भद विषय ज्ञान में एक अश का ज्ञान होता है, सशय में अनेक अशों का ।

विषय में एक अश निश्चित होता है, सशय में दोनों अश अनिश्चित होते ह ।

अनध्यवसाय-समारोप

किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसाय ॥१३॥

यथा गच्छत्पुणस्पशज्ञानम ॥१४॥

अर्थ--'अरे क्या है ?' इस प्रकार का अत्यन्त सामान्य ज्ञान होना अनध्यवसाय है ।

जैसे--जाते समय तिनके के स्पर्श का ज्ञान ।

विवेचन--रास्ते में जाते समय, चित्त दूसरी तरफ लगा रहने से तिनके का पैर से स्पर्श होने पर, 'यह क्या है' इस प्रकार का विचार आता है । इसी को अनध्यवसाय कहते हैं । इस ज्ञान में अतद्रूप वस्तु तद्रूप मालूम नहीं होती, इस कारण समारोप का लक्षण पूर्ण रूप से अनध्यवसाय में नहीं घटता, किन्तु अनध्यवसाय के द्वारा यथार्थ वस्तु का ज्ञान न होने के कारण इसे उपचार से समारोप माना गया है ।

संशय और अनध्यवसाय में भेद --संशय ज्ञान में भी यद्यपि विशेष वस्तु का निश्चय नहीं होता फिर भी विशेष का स्पर्श होता है; परन्तु अनध्यवसाय संशय से भी उतरती श्रेणी का ज्ञान है । इसमें विशेष का स्पर्श भी नहीं है और इसी कारण इसमें अनेक अंश भी प्रतीत नहीं होते ।

'पर' का अर्थ

ज्ञानादन्योऽर्थः परः ॥१५॥

अर्थ-- ज्ञान से भिन्न पदार्थ 'पर' कहलाता है ।

विवेचन--प्रमाण का लक्षण बताते समय कहा गया था कि जो ज्ञान अपना और पर का निश्चय करता है वह प्रमाण है । सो यहाँ 'पर' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है ।

पर शब्द का अर्थ समझाने के लिए अलग सूत्र रचने का विशेष प्रयोजन है। घट, पट आदि पदार्थों के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। बौद्धों में एक माध्यमिक सम्प्रदाय है। वह घट आदि बाह्य पदार्थों को और ज्ञान आदि आन्तरिक पदार्थों को मिथ्या मानता है। वह शून्यवादो है। उसके मत के अनुसार जगत् का यह समस्त प्रपञ्च मिथ्या है, वास्तव में कोई भी पदार्थ सत नहीं है। अनादिकालीन मिथ्या सस्कार के कारण हमें यह पदार्थ मालूम होते हैं।

माध्यमिक के अतिरिक्त वेदाती भी बाह्य पदार्थों को मिथ्या समझते हैं। इनमें से एकमात्र ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही सत है, ब्रह्म के अतिरिक्त अर्थ समस्त प्रतीत होने वाले पदार्थ असत् हैं। बौद्धों में भी एक सम्प्रदाय सिर्फ ज्ञान को वास्तविक मानता है, और अर्थ पदार्थों को भ्रममात्र कहता है। इन सब मतों के विरुद्ध, जनदशन ज्ञान का वास्तविक मानता है और तान द्वारा प्रतीत होने वाले घट, पट आदि अर्थ पदार्थों को भी वास्तविक स्वीकार करता है। इस प्रकार बौद्ध दशन और वेदाती दशन का विरोध करने के लिए आचार्य ने इस सूत्र का निर्माण किया है।

स्वयवगाय का समर्थन

स्वस्य व्यवसाय स्वानिमुष्येन प्रकाशनम बाह्यस्येव तदाभिमुष्येन, करिकलभकमहमात्मना जानामि ॥ १६ ॥

शब्दाय-बाह्य पदार्थ को और उन्मुख ज्ञान पर जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थ का व्यवसाय कहलाता है, इसी प्रकार ज्ञान अपनी ओर उन्मुख होकर जो जानता है वह स्वका व्यवसाय कहलाता है। जैसे मैं, अपने ज्ञान द्वारा, हाथी के रङ्ग का जानता हूँ।



विवेचन-प्रकाशवान पदार्थों में दो श्रेणियां देखी जाती हैं--

(१) प्रथम श्रेणी में वे हैं जो अपने-आपको प्रकाशित नहीं करते, सिर्फ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, जैसे नेत्र। (२) दूसरी श्रेणी उनकी है जो अपने-आपको भी प्रकाशित करते हैं और दूसरो को भी प्रकाशित करते हैं, जैसे सूर्य। ज्ञान भी प्रकाशवान पदार्थ है अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान प्रथम श्रेणी में है या दूसरी श्रेणी में ? इस सूत्र में इसी प्रश्न का समाधान किया गया है।

मीमांसक और नैयायिक मत के अनुसार ज्ञान प्रथम श्रेणी में है--वह घट आदि दूसरे पदार्थों को जानता है पर अपने-आपको नहीं जानता। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान अपने-आपको भी जानता है। और दूसरे पदार्थों को भी जानता है।

जब हम हाथी के बच्चे को जानते हैं, तब केवल हाथी के बच्चे का ही ज्ञान नहीं होता, वरन् 'मं' इस कर्त्ता का भी ज्ञान होता है, 'जानता हूँ' इस क्रिया का भी ज्ञान होता है और 'अपने ज्ञानसे' इस करणरूप ज्ञान का भी ज्ञान होता है।

स्व व्यवसाय का दृष्टान्त

कः खलु ज्ञानस्यालम्बनं बाह्यं प्रतिभातमभिमन्यमानस्तदपि तत्प्रकारं नाभिमन्येत ? मिहिरालोकवत् ॥ १७।

अर्थ-कौन ऐसा पुरुष है जो ज्ञान के विषयभूत बाह्य पदार्थ को जाना हुआ माने, किन्तु ज्ञान को जाना हुआ न माने ? सूर्य के भालोक की तरह।

विवेचन—यहाँ भी स्व व्यवसाय का दृष्टान्त के साथ समथन किया गया है जो ज्ञान बाह्य पदार्थ घट आदि को जानता है वही अपने आपको भी जान लेता है। हमें बाह्य पदार्थ का ज्ञान हो जाय किंतु यह ज्ञान न हो कि 'हमें बाह्य पदार्थ का ज्ञान हुआ है' ऐसा कभी सम्भव नहीं है। बाह्य पदार्थ के जान लेने को जब तक हम न जान लेंगे तब तक वास्तव में बाह्य पदार्थ का जानना सम्भव नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा घट आदि पदार्थों को जब हम देख लेते हैं तब सूर्य के प्रकाश को भी अवश्य देखते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान द्वारा किसी पदार्थ को जानते हैं तब ज्ञान को भी अवश्य जानते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश का देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य जनदेखा नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान भी अनजाना नहीं रहता।

प्रमाणता का स्वरूप

ज्ञानस्य प्रमेयाव्यभिचारित्वं प्रामाण्यम् ॥ तदितरस्त्व-  
प्रामाण्यम् ॥१८॥

अथ प्रमेय से अव्यभिचारो होना अर्थात् प्रमेय पदार्थ जसा है उसे वसा ही जानना, यही ज्ञान की प्रमाणता है।

इससे विरुद्ध अप्रमाणता है अर्थात् प्रमेय पदार्थ को यथाथ रूप से न जानना—जसा नहीं है वसा जानना अप्रमाणता है।

विवेचन- जो वस्तु जसा है उसे उसी रूप में जानना ज्ञान की प्रमाणता है और अथ रूप में जानना अप्रमाणता है। प्रमाणता और अप्रमाणता का यह भेद बाह्य पदार्थों की अपेक्षा समझना चाहिए। प्रत्येक ज्ञाता अपने स्वरूप को वास्तविक ही जानता है

अतः स्वरूप की अपेक्षा सभी ज्ञान प्रमाण होते हैं, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा कोई ज्ञान प्रमाण होता है, कोई अप्रमाण है ।

प्रमाण की उत्पत्ति और जप्ति

तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, जप्त्तौ तु स्वतः परतश्च ॥१९॥

अर्थ- प्रमाणता और अप्रमाणता की उत्पत्ति परतः ही होती है तथा प्रमाणता और अप्रमाणता की जप्ति अभ्यास दशा में स्वतः होती है और अनभ्यास दशा में परतः होती है ।

विवेचन-जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उन कारणों के अतिरिक्त दूसरे कारणों से प्रमाणता का उत्पन्न होना परतः उत्पत्ति कहलाती है । जिन कारणों से ज्ञान का निश्चय होता है उन्हीं कारणों से उसकी प्रमाणता का निश्चय होना स्वतः जप्ति कहलाती है और दूसरे कारणों से निश्चय होना परतः जप्ति कहलाती है ।

ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों पर निमित्त से होती हैं । जब किसी वस्तु के स्वरूप को न जानने वाले पुरुष को कोई विद्वान् उसका स्वरूप समझाता है तो वह उस वस्तु के स्वरूप को समझने लगता है-यहाँ समझाने वाले का ज्ञान यदि निर्दोष है तो उस समझने वाले पुरुष के ज्ञान में भी प्रमाणता आ जाती है और यदि समझाने वाले का ज्ञान सदोष है तो उसके ज्ञान में भी अप्रमाणता आ जाती है । इस प्रकार उस नवीन पुरुष के ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों ही की उत्पत्ति पर निमित्त से होती है ।

इसी प्रकार चक्षु से रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है किन्तु चक्षु में यदि निर्मलता गुण हो तो उसमें रूपज्ञान में प्रमाणता और यदि कोई दोष हो तो अप्रमाणता उत्पन्न होती है ।

जब कोई वस्तु बार बार के परिचय से अभ्यस्त हो जाती है तो उस वस्तुका ज्ञान होते ही उस ज्ञान की प्रमाणता (सच्चाई) का भी निश्चय हो जाता है। जैसे—गुरु अपने शिष्य को प्रतिदिन देखता है। इस अभ्यास दशा में शिष्य का प्रत्यक्ष होते ही गुरु को अपने शिष्यविषयक ज्ञान की प्रमाणता का भी निश्चय हो जाता है। शिष्य को देख कर गुरु यह नहीं सोचता कि मुझे अपने शिष्य का ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान प्रमाण है या नहीं? इसी को अभ्यास दशा में स्वतः ज्ञप्ति हो जाना कहते हैं।

जब कोई वस्तु अपरिचित होती है तब उसका ज्ञान हो जाने पर भी उस ज्ञान की प्रमाणता (सच्चाई) का निश्चय तत्काल नहीं हो जाता। वह सोचने लगता है—मुझे अमुक वस्तु का ज्ञान हुआ है पर न जाने यह ज्ञान सच्चा है या मिथ्या? इसके बाद उस ज्ञान को पुष्ट करने वाला कारण अगर मिल जाता है तो उसे अपने ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय हो जाता है, इसी को अनभ्यास दशा में परत ज्ञप्ति (निश्चय) कहते हैं। इसके विपरीत यदि ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करने वाला कोई कारण मिल जाता है तो वह पुरुष अपने ज्ञान की अप्रमाणता का निश्चय कर लेता है।

यहाँ सामान्य ज्ञान हो जाने पर भी उस ज्ञान की प्रमाणता और अप्रमाणता का निश्चय दूसरे कारण से होता है। अतएव अनभ्यास दशा में प्रमाणता और अप्रमाणता का निश्चय परत बतलाया गया है।

मीमांसक लोग प्रामाण्य की उत्पत्ति और वृत्ति स्वतः ही मानते हैं और अप्रामाण्य की उत्पत्ति तथा वृत्ति परत ही मानते हैं। प्रकृत सूत्र में उनके मत का निरसन किया गया है।

# द्वितीय परिच्छेद

—

## प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन

••••

प्रमाण के भेद

तद् द्विभेदं प्रत्यक्षं च परोक्षं च ॥१॥

अर्थ—प्रमाण दो प्रकार का है—(१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष  
विवेचन—प्रमाण के भेदों के सम्बन्ध में अनेक मत हैं ।

अलग-अलग दर्शनकार प्रमाणों की संख्या अलग-अलग मानते हैं ।

जैसे—चार्वाक—(१) प्रत्यक्ष

बौद्ध—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान

वैशेषिक—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम

नैयायिक—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमान

प्रसाकर—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमान

(५) अर्थापत्ति

भाट्ट—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमान

(५) अर्थापत्ति (६) अभाव

चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान कर प्रत्यक्ष को प्रमाणता और अनुमान की अप्रमाणता सिद्ध नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त वह परलोक आदि का निषेध भी नहीं कर सकता है । अतएव अनुमान प्रमाण को स्वीकार करना आवश्यक है । शेष समस्त चादियों के माने हुये प्रमाण जैनदर्शन-सम्मत दो भेदों से ही अन्तर्गत

हो जाते ह । आगे तीसरे अध्यायमें परोक्षके पाच भेद बतलाय जायेंग । उनमें अनुमान और आगम भी ह । उपमान प्रमाण सादृश्यप्रत्यक्षि-  
ज्ञाननामक परोक्षभेद में अतगत है और अर्थापत्ति अनुमान से  
भिन्न नहीं है । अभाव प्रमाण यथायाग्य प्रत्यक्ष आदि में समाविष्ट  
है । अतएव प्रत्यक्ष और परोक्ष - यह दो भेद ही मानना उचित है ।  
वशपिक आगम का अनुमान के अतगत मानते ह ।

प्रत्यक्ष का लक्षण

स्पष्ट प्रत्यक्षम् ॥२॥

अनुमानाद्याधिक्येन विशेषप्रकाशन स्पष्टत्वम् ॥३॥

अथ—स्पष्ट (निर्मल) ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते ह ।

अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणों की अपेक्षा पदार्थ का  
घर्ण, आकार आदि विशेष मालूम होना स्पष्टत्व कहलाता है ।

विवेचन—प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट होता ह और परोक्ष अस्पष्ट  
होता ह । यही दोनों प्रमाणों में मुख्य भेद ह । प्रत्यक्ष प्रमाण में  
रहने वाली स्पष्टता क्या ह, यह उदाहरण से समझना चाहिए ।  
मान लीजिय एक बालकको उसक पिताने अग्नि का ज्ञान शब्दद्वारा  
करा दिया । बालक ने शब्द (आगम) से अग्नि जान ली । इसक  
पश्चात् फिर धूम दिखा कर अग्नि का ज्ञान करा दिया । बालक  
ने अनुमान से अग्नि जान ली । तदनंतर बालक का पिता जलता  
हुआ अगार उठा लाया और बालक के सामने रख कर कहा  
देखा, यह अग्नि ह । यह प्रत्यक्ष से अग्नि का जानना कहलाया ।

यहा पहले दो ज्ञानों की अपेक्षा अतिम ज्ञान अर्थात्  
प्रत्यक्ष द्वारा अग्नि का विशेष घर्ण, स्पष्ट आदि का जो साफ सुयरा

ज्ञान होता है, वस वही ज्ञान की स्पष्टता है। ऐसी स्पष्टता जिम ज्ञान में पाई जाती है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है।

प्रत्यक्ष के भेद

तद् द्विप्रकारं, सांव्यहारिक पारमार्थिकं च ॥४॥

अर्थ--प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का है--(१) सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और (२) पारमार्थिक प्रत्यक्ष।

विवेचन--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला, एक देश निर्मल ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है और विना इन्द्रियों एवं मन की सहायता के, आत्मा से उत्पन्न होने वाला स्पष्ट ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है।

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेद

तत्राद्यं द्विविधमिन्द्रियनिबन्धनमनिन्द्रियनिबन्धनं च ॥५॥

अर्थ--सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है (१) इन्द्रियनिबन्धन और (२) अनिन्द्रियनिबन्धन।

विवेचन--स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण-इन पाँच इन्द्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान इन्द्रियनिबन्धन कहलाता है और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनिन्द्रियनिबन्धन कहलाता है।

इन्द्रियजन्य ज्ञान में भी मन की सहायता की अपेक्षा रहती

है, पर इन्द्रिया वहा असाधारण कारण ह, अतएव उसे इन्द्रिय-निबन्धन नाम दिया ह ।

इन्द्रियनिबन्धन—अनिन्द्रियनिबन्धन के भेद

एतद द्वितयमवग्रहेहावायधारणाभेदादेकशश्चतुर्वि-  
कल्पकम् ॥६॥

अर्थ अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा क भेद से यह दोनों प्रकार का साध्यवहारिक प्रत्यक्ष चार चार प्रकार का है । अर्थात् इन्द्रियनिबन्धन के भी चार भेद ह और अनिन्द्रियनिबन्धन के भी चार भेद ह ।

अवग्रह का स्वरूप

विषयविषयिसन्निपातानन्तरसमूहभूतसत्तामात्रगोचर-  
दर्शनाज्जात, आद्य, अत्रान्तरमाभायाकारविशिष्टवस्तुग्र-  
हणमवग्रह ॥७॥

अय-विषय (पदाय) और विषयो (चक्षु आदि) का यथाचित्त्व देश में सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्र का जानने वाला दर्शन उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर सब से पहले, मनुष्यत्व आदि अयान्तर सामान्य से युक्त वस्तु को जानने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है ।

विवेचन-जन ग्राह्या में दो उपयोग प्राप्त ह दर्शनापयोग और ज्ञानापयोग । पहलू दर्शनापयोग हाता है फिर ज्ञानापयोग हाता है । यहा ज्ञानापयोग का ध्यान करने के लिये उससे पूर्व प्राया दर्शनापयोग का भी ध्यान किया गया है ।



विषय अर्थात् घट आदि पदार्थ और विषयी अर्थात् नेत्र आदि जब योग्य देश में मिलते हैं तब सर्वप्रथम दर्शनोपयोग उत्पन्न होता है। दर्शन महासामान्य अथवा सत्ता को ही जानता है। इसके पश्चात् उपयोग कुछ आगे की ओर बढ़ता है और वह मनुष्यत्व आदि अवान्तरसामान्ययुक्त वस्तु को जान लेता है। यह अवान्तर सामान्य युक्त वस्तु अर्थात् मनुष्यत्व आदि का ज्ञान ही अवग्रह कहलाता है।

ज्ञान की यह धारा उत्तरोत्तर विशेष की ओर झुकती जाती है, जैसा कि अगले सूत्रों से ज्ञात होगा।

ईहा का स्वरूप

अवगृहीतार्थविशेषाकांक्षणमीहा ॥८॥

अर्थ—अवग्रह से जाने हुये पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा ईहा है।

विवेचन—‘यह मनुष्य है’ ऐसा अवग्रह ज्ञान से जाना गया था। इससे भी अधिक ‘यह दक्षिणी है या पूर्वी’ इस प्रकार विशेष को जानने की इच्छा होना ईहा ज्ञान कहलाता है। ईहा ज्ञान ‘यह दक्षिणी होना चाहिये’ यहाँ तक पहुँच पाता है।

अवाय का स्वरूप

ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥९॥

अर्थ—ईहा द्वारा जाने हुये पदार्थ में विशेष का निर्णय हो जाना अवाय है।

विवेचन—‘यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिये’ इतना ज्ञान ईहा

द्वारा हो चुका था, उसमें विशेष का निश्चय हो जाना अवाय है ।  
जैसे—'यह मनुष्य दक्षिणी ही है ।'

धारणा का स्वरूप

स एव दृढतमावस्थापन्नो धारणा ॥ १० ॥

अर्थ—अवाय ज्ञान जब अत्यन्त दृढ हो जाता है तब वही  
अवाय, धारणा कहलाता है ।

विवेचन— धारणा का अर्थ संस्कार है । हृदय पटल पर यह  
ज्ञान इस प्रकार अंकित हो जाता है कि कालांतर में भी वह जागृत  
हो सकता है । इसी ज्ञान से स्मरण होता है ।

ईहा और सशय वा अन्तर

सशयपूर्वकत्वादीहाया सशयाद् भेद ॥ ११ ॥

अर्थ—ईहा ज्ञान सशयपूर्वक होता है अतः वह सशय से  
भिन्न है ।

विवेचन— ईहा ज्ञान में विशेष का निश्चय नहीं होता और  
सशय भी अनिश्चयान्वित है ऐसी अवस्था में दोनों में क्या भेद है ?  
इस प्रश्न का समाधान यहाँ यह किया गया है कि सशय पहले हाता  
है और ईहा बाद में उत्पन्न होती है अतएव दोनों भिन्न हैं ।  
इसके अतिरिक्त—

सशय में दोनों पलङ्क बराबर होते हैं, -दक्षिणी और पश्चिमी  
की दोनों कोटियाँ तुल्यबल होती हैं, ईहा में एक पलङ्क भारी

हो जाता है—‘यह दक्षिणी होना चाहिये’ इस प्रकार ज्ञान एक ओर को झुका रहता है । अतएव संशय और ईहा दोनो एक नहीं है ।

अवग्रहादि का भेदाभेद

कथञ्चिदभेदेऽपि परिणामविशेषादेषां व्यपदेशभेदः ॥१२॥

अर्थ—दर्शन, अवग्रह आदि में कथंचित् अभेद होने पर भी परिणाम के भेद से इनके भिन्न २ नाम दिए गए हैं ।

विवेचन—जीव का लक्षण उपयोग है । उसी उपयोग की भिन्न २ अवस्थाएँ होती हैं और वही अवस्थाएँ यहाँ दर्शन, अवग्रह ईहा आदि भिन्न २ नामों से बताई गई हैं । इन अवस्थाओं से उपयोग की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का क्रम जाना जाता है । जैसे प्रत्येक मनुष्य शिशु, बालक, कुमार, युवक, प्रौढ आदि अवस्थाओं को क्रम-पूर्वक ही प्राप्त करता है उसी प्रकार उपयोग भी दर्शन, अवग्रह आदि अवस्थाओं को क्रम से पार करता हुआ ही धारणा की अवस्था प्राप्त करता है । शिशु आदि अवस्थाओं में मनुष्य एक ही है फिर भी परिणमन के भेद से अवस्थाएँ भिन्न २ कहलाती हैं उसी प्रकार उपयोग एक होने पर भी परिणमन (विकास) की दृष्टि से अवग्रह आदि भिन्न २ कहलाते हैं । जैन परिभाषा में इसी को द्रव्या-थिक नय की अपेक्षा अभेद और पर्यायाथिक नय की अपेक्षा भेद कहते हैं ।

अवग्रह आदि की भिन्नता

असामस्त्येनाप्युत्पद्यमानत्वेनाऽसंकीर्णस्वभावतयाऽनु-  
भूयमानत्वात्, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाशकत्वात्, क्रमभावि-  
त्वाच्चैते व्यतिरिच्यन्ते ॥१३॥

अथ-असमस्त रूप से भी उत्पन्न होने के कारण भिन्न २ स्वभाव वाले मालूम होते हैं, वस्तु की नवीन २ पर्याय को प्रकाशित करते हैं और क्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः अवग्रह आदि भिन्न २ हैं।

विवेचन-अवग्रह आदि का भेद सिद्ध करने के लिए यहाँ तीन हेतु बताये गये हैं -

(१) पहला हेतु-कभी सिर्फ दशन ही होता है, कभी दशन और अवग्रह-दो ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार कभी तीन, कभी चार ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दशन अवग्रह आदि भिन्न भिन्न हैं। यदि यह अभिन्न होते तो एक साथ पाचो ज्ञान उत्पन्न होते अथवा एक भी न होता।

(२) दूसरा हेतु-पदाथ की नई नई पर्याय को प्रकाशित करने के कारण भी दशन आदि भिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह है कि सवप्रथम दशन पदाथ में रहने वाले महा सामान्य को जानता है, फिर अवग्रह अवातर सामान्य को जानता है, ईहा विशेष की ओर क्षुब्धता है, अवाय विशेष का निश्चय कर देता है और धारणा में वह निश्चय अत्यन्त दृढ़ बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान नवीन नवीन धर्म को जानता है और इससे उनमें भेद सिद्ध होता है।

(३) तीसरा हेतु-पहले दशन, फिर अवग्रह आदि इस प्रकार क्रम से ही ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः भिन्न भिन्न हैं।

दशन अवग्रह आदि का क्रम

क्रमोऽप्यमीषामथमेव तथैव सवेदनात्, एवक्रमावि-  
भूतनिजकर्मक्षयोपशमजन्यत्वाच्च ॥१४॥

अन्यथा प्रमेयानवगतिप्रसङ्गः ॥१५॥

न खलु अदृष्टमवगृह्यते, न चाऽनवगृहीतं संदिह्यते,  
न चासदिग्धमीह्यते, न चानीहितमवेयते, नाप्यनवेतं  
धार्यते ॥१६॥

अर्थ—अवग्रह आदि का क्रम भी यही (पूर्वोक्त) है, क्योंकि  
इसी क्रम से ज्ञान होता है ।

यदि यही क्रम न माना जाय तो प्रमेय का ज्ञान नहीं हो सकता ।

जिसका दर्शन नहीं होता उसका अवग्रह नहीं होता, बिना  
अवग्रह के ईहा द्वारा पदार्थ नहीं जाना जाता, बिना ईहा हुये अवाय  
नहीं होता, बिना अवाय धारणा की उत्पत्ति नहीं होती ।

विवेचन— पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर संदेह, फिर ईहा,  
फिर अवाय और तदनन्तर धारणा ज्ञान उत्पन्न होता है । यही अनु-  
भव का क्रम है । यदि इस क्रम को स्वीकार न किया जाय तो किसी  
भी पदार्थ का ज्ञान होना असंभव है, क्योंकि जब तक दर्शन के द्वारा  
पदार्थ की सत्ता का आभास नहीं होता तब तक मनुष्यत्व  
आदि अवान्तर सामान्य ज्ञान नहीं होगा, अवान्तर सामान्य के  
ज्ञान बिना 'यह दक्षिणी है या पश्चिमी' इस प्रकार का संदेह  
नहीं उत्पन्न होगा, संदेह के बिना 'यह दक्षिणी होना चाहिये'  
इस प्रकार का ईहा ज्ञान न होगा; इसी प्रकार अगले ज्ञानो  
का भी अभाव हो जायगा । अतः दर्शन अवग्रह आदि का उक्त  
क्रम ही मानना युक्ति और अनुभव से सगत है ।

क्वचित् क्रमस्यानुपलक्षणमेषामाशूत्पादात्, उत्पल-  
पत्रशतव्यतिभेदक्रमवत् ॥१७॥

अय--कहीं क्रम मालूम नहीं पड़ता क्योंकि यह सब ज्ञान शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं, कमल के सौ पत्तों को छेदन की तरह।

विवेचन--जो वस्तु अत्यंत परिचित होती है उसमें पहले दर्शन हुआ, फिर अवग्रह हुआ, इत्यादि क्रम का अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह नहीं है कि वेग दर्शन आदि के बिना ही सीधा अवायवा धारणा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वहां पर भी पूर्वोक्त क्रम से ही ज्ञानों की उत्पत्ति होती है, किंतु प्रगाढ़ परिचय के कारण वह सब बहुत शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण क्रम का अनुभव नहीं होता। एक दूसरे के ऊपर कमल के सौ पत्ते रखकर उनमें नुकीला भाला घुसेड़ा जाय तो वे सब पत्ते क्रम से ही छिड़ेंगे पर यह मालूम नहीं पड़ पाता कि भाला कब पहले पत्ते में घुसा, कब उससे बाहर निकला, कब दूसरे पत्ते में घुसा आदि। इसका कारण शीघ्रता ही है। जब भाले का वेग इतना तीव्र हो सक्ता है तो नान जसे सूक्ष्मतर पदाय का वेग उससे भी अधिक तीव्र क्यों न होगा ?

पारमार्थिक प्रत्यक्ष

पारमार्थिक पुनरुत्पत्तावात्ममात्रापेक्षम् ॥१८॥

अय--जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

विवेचन--पारमार्थिक प्रत्यक्ष अर्थात् वास्तविक प्रत्यक्ष। यह प्रत्यक्ष साव्यवहारिक प्रत्यक्ष की भांति इन्द्रियो और मन से उत्पन्न नहीं होता, किंतु आत्म स्वरूप से उत्पन्न होता है। इसी कारण इस मुर्य प्रत्यक्ष भी कहते हैं। साव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने के कारण घस्तुत परोक्ष है, किंतु लाक में वह प्रत्यक्ष

माना जाता है अतः लोक-व्यवहार के अनुरोध से उसे भी प्रत्यक्ष कहा है ।

पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद

तद् विकल सकलं च ॥१९॥

अर्थ--पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-- (१) विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और (२) सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ।

विवेचन-जो वस्तु प्रत्यक्ष हो, किन्तु विकल अर्थात् अधूरा या असम्पूर्ण हो उसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं और जो संपूर्ण है-कोई भी पदार्थ जिस प्रत्यक्ष से बाहर नहीं है, उसे सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।

विकल्पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद

तत्र विकलमवधिजनः पर्यायज्ञानरूपतया द्वेषा ॥२०॥

अर्थ-विकल्पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-

(१) अवधिज्ञान और (२) मन पर्याय ज्ञान ।

अवधिज्ञान का स्वरूप

अवधिज्ञानावरणविलयविशेषसमुद्भवं भवगुणप्रत्ययं  
रूपिद्रव्यगोचरमवधिज्ञानम् ॥२१॥

अर्थ-अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला, भवप्रत्यय तथा गुणप्रत्यय, रूपी द्रव्यो को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है ।

विवेचन-यहाँ अवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए उसके उत्पादक कारण और उसके विषय का उल्लेख किया गया है ।

अवधिज्ञान के उत्पादक दो कारण हैं-अन्तरग कारण और बहिरग कारण । अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अन्तरग कारण है और देवभाव और नरकभव या तपश्चरण आदि गुण बहि-रग कारण ह । देवभव या नरकभव से जो अवधिज्ञान होता है उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते ह और तपश्चर्या आदि से होने वाला अवधिज्ञान गुणप्रत्यय कहलाता है । दोनों प्रकार के इन ज्ञानों में अन्तरग कारण समान रूप से होता ह । देवो और नारकी जीवों को भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता ह और मनुष्य तथा तियञ्चो को गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता ह । मगर सब देवो आर नारकों के समान सब मनुष्यों और तियञ्चो को यह ज्ञान नहीं होता ।

अवधिज्ञान सिफ रूपी पदार्थों को जानता है । रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाले पदार्थ को रूपी कहते हैं । केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी ह ।

मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप

सयमविशुद्धिनिवन्धनाद्, विशिष्टावरणविच्छेदाज्जात,  
मनोद्रव्यपर्यायात्मन्वन मन पर्यायज्ञानम ॥२२॥

अर्थ-जो ज्ञान सयम की विशिष्ट शुद्धि से उत्पन्न होता ह, तथा मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है और मन सम्बन्धी मात को जान लेता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते ह ।

विवेचन सयम की विशुद्धता मन पर्यायज्ञान का बहिरग



कारण है और मनःपर्यायज्ञानावरण का क्षयोपशम अन्तरंग कारण है । इन दोनों कारणों के मिलने पर उत्पन्न होने वाला तथा संज्ञी जीवो के मन की बात जानने वाला ज्ञान मनःपर्याय कहलाता है ।

सकल प्रत्यक्ष का स्वरूप

सकलं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतं समस्तावरणक्षया-  
पेक्षं, निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञानम् । २३ ।

अर्थ—सम्यग्दर्शन आदि अन्तरंग सामग्री और तपश्चर्या आदि बाह्य सामग्री से समस्त घाति कर्मों का क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला तथा समस्त द्रव्यो और समस्त पर्यायो को प्रत्यक्ष करने वाला केवलज्ञान सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है ।

विवेचन—यहाँ भी सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के उत्पादक कारण और उसके विषय का उल्लेख करके उसका स्वरूप समझाया गया है । जब केवलज्ञान की बाह्य और अन्तरंग सामग्री प्रस्तुत होती है और चारो घातिया कर्मों का क्षय—पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है तब यह ज्ञान उत्पन्न होता है । यह ज्ञान सब द्रव्यो को और उनकी त्रैकालिक सब पर्यायो को युगपत् जानता है । यह ज्ञान प्राप्त करने वाला महापुरुष केवली या सर्वज्ञ कहलाता है । यह ज्ञान क्षायिक है, शेष सब क्षायीपशमिक ।

मीमांसक मत वाले सर्वज्ञ नहीं मानते । इस सूत्र में उनके मत का विरोध किया गया है ।

अहं त ही सवज्ञ हं

तद्वानहंनिर्दोषत्वात् ॥२४॥

निर्दोषोऽसौ प्रमाणाविरोधिवाकत्वात् ॥२५॥

तद्विष्टस्य प्रमाणेनाबाध्यमानत्वात्, तद्वाचस्तेना-  
विरोधसिद्धि ॥२६॥

अय-अहं त भगवान ही केवलज्ञानी (सर्वज्ञ) ह क्योंकि वे  
निर्दोष ह ॥

अहं त भगवान निर्दोष ह, क्योंकि उनके यचन प्रमाण से  
विष्ट नहीं ह ॥

अहं त भगवान के यचन प्रमाण से विष्ट नहीं ह, क्योंकि  
उनका (म्याद्वाद) मत प्रमाण से खण्डित नहीं होता ।

विवेचन-ऊपर के सूत्र में केवलज्ञान का विधान करके यहाँ  
अहं त भगवान को ही केवलज्ञानी सिद्ध किया गया है । अहं त  
भगवान को केवली सिद्ध करने के लिए निर्दोषत्व हेतु दिया है ।  
निर्दोषत्व हेतु को सिद्ध करने के लिए 'प्रमाणाविरोधि यचन' हेतु  
दिया है और इस हेतु को सिद्ध करने के लिए 'अहं त भगवान के  
मत की अबाधितता' हेतु दिया गया है । अनुमान का प्रयोग इन  
प्रकार करना चाहिये --

(१) अहं त ही सवज्ञ हं क्योंकि वे निर्दोष ह, जो सवज्ञ  
नहीं होता यह निर्दोष नहीं होता, जैसे हम सब राग । (व्यति-  
रको हेतु )

(२) अर्हन्त निर्दोष हैं, क्योंकि उनके वचन प्रमाण से अविरुद्ध हैं। जो निर्दोष नहीं होते उनके वचन प्रमाण से अविरुद्ध नहीं होते, जैसे हम सब लोग। (व्यति०हेतु)

(३) अर्हन्त के वचन प्रमाण से अविरुद्ध हैं, क्योंकि उनका मत प्रमाण से खण्डित नहीं होता। जिसका मत प्रमाण से खण्डित नहीं होता वह प्रमाण से अविरुद्ध वचन वाला होता है। जैसे रोग के विषय में कुशल वैद्य।

उपर्युक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि अर्हन्त भगवान् ही सर्वज्ञ हैं, अन्य कपिल, सुगत आदि नहीं। साथ ही जो लोग जग-त्कर्त्ता ईश्वर को ही सर्वज्ञ मानते हैं उनका भी खण्डन हो गया।

कवलाहार और केवलज्ञान

न च कवलाहारवत्त्वेन तस्यासर्वज्ञत्वं, कवलाहार-  
सर्वज्ञत्वयोरविरोधात् ॥२७॥

अर्थ—अर्हन्त भगवान् कवलाहारी होने से असर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि कवलाहार और सर्वज्ञता में विरोध नहीं है।

विवेचन—दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की यह मान्यता है कि कवलाहार करने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इस मान्यता का विरोध करते हुए यहाँ दोनों का अविरोध बताया गया है। दोनों में विरोध न होने से कवलाहार करने पर भी अर्हन्त हो सकते हैं।

# तृतीय परिच्छेद



## परोक्ष प्रमाण का विवेचन



परोक्ष प्रमाण का अर्थ

अस्पष्ट परोक्षम् ॥१॥

अर्थ-अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं ।

विवेचन-प्रमाणविशेष के स्वरूप में प्रमाणतामात्र के स्वरूप का अध्याहार है, अतः परोक्ष प्रमाण का स्वरूप इस प्रकार होगा जो ज्ञान स्वयं पर का निष्चायक होते हुए अस्पष्ट होता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं । स्पष्टता का विवेचन द्वितीय परिच्छेद में किया गया है, उसका न होना अस्पष्टता है ।

परोक्ष प्रमाण का अर्थ

स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमातानाममेदतस्तत पञ्च प्रकारम् ॥२॥

अर्थ-परोक्ष प्रमाण पाँच प्रकार का है - (१) स्मरण (२) प्रत्यभिज्ञान (३) तर्क (४) अनुमान (५) आगम

स्मरण का अर्थ

तत्र तद्वशात्प्रबोधमस्मृत, अनुभूताय विषय, तद्विषया कारयेत् स्मरणम् ॥३॥

तत्तीर्थकरद्विम्बमिति यथा ॥४॥

अर्थ— संस्कार (धारणा) के जागृत होने से उत्पन्न होने वाला, पहले जाने हुए पदार्थ को जानने वाला, 'वह' इस आकार वाला, ज्ञान स्मरण है। जैसे वह तीर्थङ्कर का बिम्ब।

विवेचन— यहाँ और आगे ज्ञान का कारण, विषय तथा आकार इन तीन बातों का उल्लेख करके उसका स्वरूप बताया बताया गया है।

स्मरण, धारणा रूप संस्कार के जागृत होने पर उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष अनुमान, आगम आदि किसी भी प्रमाण से पहले जाने हुए पदार्थ को ही जानता है और 'वह' ( तत् ) शब्द से उसका उल्लेख किया जा सकता है। जैसे 'वह (पहले देखीहुई) तीर्थङ्कर की प्रतिमा !'

कुछ लोग स्मरण को प्रमाण नहीं मानते, यह ठीक नहीं है। स्मरण को प्रमाण माने बिना अनुमान प्रमाण नहीं बनेगा, क्योंकि वह व्याप्ति के स्मरण से उत्पन्न होता है। लेन देन आदि लौकिक व्यवहार भी स्मरण की प्रमाणता के बिना बिगड़ जाएँगे।

प्रत्यभिज्ञान का लक्षण

अनुभवस्मृतिहेतुकं तिर्यगूर्ध्वतासामान्यादिगोचरं,  
संकलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम् ॥५॥

यथा—तज्जातीय एवायं गोपिण्डः, गोसदृशो गवयः,  
स एवायं जिनदत्त इत्यदि ॥६॥

अथ-प्रत्यक्ष और स्मरण से उत्पन्न होने वाला, तिर्यक सामान्य अथवा ऊर्ध्वता सामान्य को जानने वाला, जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है ॥

जैसे-यह गाय उस गाय के समान है, गवय (रोझ) गाय के समान होता है, यह वही जिनदत्त है, आदि ॥

विवेचन-किसी के मुँह से हमने सुना था कि गवय, गाय के समान होता है। कुछ दिन बाद हमें गवय दिखाई दिया। उसे देखते ही हमें 'गवय गाय के सदृश होता है, इस वाक्य का स्मरण हुआ। इस अवस्था में गवय का प्रत्यक्ष हो रहा है और पहले सुने हुए वाक्य का स्मरण हो रहा है। इन्हीं दोनों ज्ञानों के मेल से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है।

फल जिनदत्त को देखा था, आज वह फिर सामने आया। तब इस समय उसका प्रत्यक्ष होता है और फल देखने का स्मरण होता है। बस, इन प्रत्यक्ष और स्मरण के मिलन से 'यह वह जिनदत्त है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है।

इन दो उदाहरणों को ध्यान से देखो तो ज्ञात होगा कि एक में सदृशता प्रतीत होती है और दूसरे में एकता। सदृशता को जानने वाला सादृश्यप्रत्यभिज्ञान कहलाता है, एकता को जानने वाला एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार 'यह उससे विलक्षण है, यह उससे बड़ा या छोटा है' इत्यादि अनेक प्रकार के प्रत्यभिज्ञान होते हैं।

न्यायिक लोग सादृश्य को जानने वाला उपमाननामक प्रमाण अलग मानते हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसा मानने पर तो एकता, विलक्षणता, आदि को जानने वाले प्रमाण भी अलग-अलग मानने

पड़ेंगे । कई प्रत्यक्षिज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते, पर एकता और सहस्रता दूसरे किसी भी प्रमाण से नहीं जानी जाती, अतएव उसे पृथक् प्रमाण मानना चाहिए ।

तर्क का लक्षण

उपलम्भानुपलम्भसम्बन्धं, त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्याम्बलनं, 'इदमस्मिन् सत्येव भवति' इत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तर्कः ॥७॥

यथा यावान् कश्चिद् धूमः स सर्वो वह्नी सत्येव भवतीति, तस्मिन्नसत्यसौ न भवत्येवेति ॥८॥

अर्थ—उपलम्भ और अनुपलम्भ से होने वाला, तीन काल सम्बन्धी व्याप्ति को जानने वाला, यह इसके होने पर ही होता है इत्यादि आकारवाला ज्ञान तर्क है । ऊहा उसका दूसरा नाम है ॥

जैसे—जितना भी धूम होता है । वह सब अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के अभाव में धूम नहीं होता ॥

विवेचन—जहाँ २ धूम होता है वहाँ २ अग्नि होती है । इस प्रकार के अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । यह अविनाभाव सम्बन्ध तीनों कालों के लिये होता है । जिस ज्ञान से इस सम्बन्ध का निर्णय होता है उसे तर्क कहते हैं । तर्क ज्ञान उपलम्भ और अनुपलम्भ से उत्पन्न होता है । धूम और अग्नि को एकसाथ देखना उपलम्भ है और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव जानना अनुपलम्भ है । बार-बार उपलम्भ और बार-बार अनुपलम्भ होने से व्याप्ति का ज्ञान (तर्क) उत्पन्न हो जाता है ।

तक ज्ञान को अगर प्रमाण न माना जाय तो अनुमान प्रमाण को उत्पत्ति नहीं हो सकती । तक से धूम और अग्नि का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित हो जाने पर ही धूम से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है । अतएव अनुमान को प्रमाण मानने वालों को तक भी मानना चाहिए ।

अनुमान

अनुमान द्विप्रकार-स्वार्थं परार्थञ्च ॥९॥

अय-अनुमान दो प्रकार का है- (१) स्वर्थानुमान और (२) परार्थानुमान

स्वार्थानुमान का स्वरूप

तत्र हेतुग्रहणमन्वन्धस्मरणकारणक साध्यविज्ञान स्वार्थम् ॥१०॥

अय-हेतु का प्रत्यक्ष होने पर तथा अविनाभाव सम्बन्ध का स्मरण होने पर साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान कहलाता है ।

विवेचन-जब हेतु (धूम) प्रत्यक्ष से दिखाई देता है और अविनाभाव सम्बन्ध का (जहा धूम होता है वहाँ अग्नि होती है- इस प्रकार की ध्याप्ति का) स्मरण होता है तब साध्य (अग्नि) का ज्ञान हो जाता है । इसी ज्ञान को अनुमान कहते हैं । यह अनुमान दूसरे के उपदेश के बिना-अपने आप ही होता है इस लिए इसे स्वायत्तानुमान भी कहते हैं ।



हेतु का स्वरूप

निश्चितान्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतुः ॥११॥

अर्थ-साध्य के बिना निश्चित रूप से न होना. यह एक लक्षण जिसमें पाया जाय वह हेतु है ।

विवेचन-साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो, अर्थात् जो साध्य के बिना कदापि सम्भव न हो वह हेतु कहलाता है । जैसे-अग्नि (साध्य) के बिना धूम कदापि संभव नहीं है अत-एव धूम हेतु है ।

मतान्तर का खण्डन

न तु त्रिलक्षणकादिः ॥१२॥

तस्य हेत्वाभासस्यापि सम्भवात् ॥१३॥

अर्थ-तीन लक्षण या पाँच लक्षण वाला हेतु नहीं है ।  
क्योंकि वह हेत्वाभास भी हो सकता है ।

विवेचन-बौद्ध लोग पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व यह तीन लक्षण जिसमें पाये जाएँ उसे हेतु मानते हैं । नैयायिक लोग इन तीन में असत्प्रतिपक्षता और अबाधितविषयता को सम्मिलित करके पाँच लक्षण वाला हेतु मानते हैं । इनका अर्थ इस प्रकार है:-

(१) पक्षधर्मत्व-हेतु पक्ष में रहे

(२) सपक्षसत्त्व-हेतु सपक्ष ( अन्वय दृष्टान्त ) में रहे

(३) विपक्षासत्त्व-हेतु विपक्ष में न रहे

(४) असत्प्रतिपक्षता-हेतु का विरोधी समानबलवाला दूसरा हेतु न हो ।

(५) अबाधितविषयता-हेतु का साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित न हो ,

वास्तव में बौद्धों और नैयायिकों का हेतु का यह लक्षण ठीक नहीं है । इसका दो कारण हैं-प्रथम, यह कि इन सब के मौजूद रहने पर भी कोई कोई हेतु सही नहीं होता, दूसरे कभी कभी इनके न होने पर भी हेतु सही होता है । इस प्रकार हेतु के इन दोनों लक्षणों में अब्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष विद्यमान हैं ।

### साध्य का स्वरूप

अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सित साध्यम् ॥१४॥

शक्तिविपरीतानध्यवसितवस्तुना साध्यताप्रतिपत्त्यथम-  
प्रतीत वचनम् ॥१५॥

प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साध्यत्व मा प्रसज्यतामित्यनिराकृत-  
ग्रहणम् ॥१६॥

अनभिमतस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तयेऽभीप्सितपदोपादानम् ॥१७॥

अथ-जो प्रतिवादी को स्वीकृत न हो, जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधित न हो और जो वादी को भाग्य हो, वह साध्य होता है ।

जिसमें शक्य हो, जिसे उलटा मान लिया हो अथवा जिसमें

अनध्यवसाय हो वही साध्य हो सकता है यह बताने के लिए साध्य को 'अप्रतीत' कहा है ।

जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधित हो वह साध्य न हो जाय, यह सूचित करने के लिए साध्य को 'अनिराकृत' कहा है ।

जो वादी को सिद्ध नहीं है वह साध्य नहीं हो सकता, यह बताने के लिए साध्य को 'अभीप्सित' कहा है ।

विवेचन—जिसे सिद्ध करना हो वह साध्य कहलाता है । निर्दोष साध्य में तीन बातें होनी आवश्यक हैं—(१) प्रथम यह कि प्रतिवादी को वह पहले से ही सिद्ध न हो; क्योंकि सिद्ध बात को सिद्ध करना वृथा है । (२) दूसरी यह कि साध्य में किसी प्रमाण से बाधा न हो, अग्नि ठण्डी है; यहाँ अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित है अतः यह साध्य नहीं हो सकता । (३) तीसरी यह कि जिस बात को वादी सिद्ध करना चाहे वह उसे स्वयं मान्य हो; 'आत्मा नहीं है' यहाँ आत्मा का अभाव जिसे मान्य नहीं है वह आत्मा का अभाव सिद्ध करेगा तो साध्य दूषित कहलायेगा ।

साध्य सम्बन्धी नियम

व्याप्तिग्रहणसमयापेक्षया साध्यं धर्म एव, अन्यथा तदनु-  
पपत्तेः ॥१८॥

न हि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र चित्रभानोरिव धरित्रीधर-  
स्याप्यनुवृत्तिरस्ति ॥१९॥

आनुमानिकप्रतिपत्त्यवसरापेक्षया तु पक्षापरपर्यायस्तद्वि-  
शिष्टः प्रसिद्धो धर्मो ॥२०॥

अथ व्याप्ति ग्रहण करते समय धम ही साध्य होता है धर्मा नहीं, धर्मों को साध्य बनाया जाय ता व्याप्ति नहीं बन सकती ।

जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि की भाँति पर्वत (धर्मों) की व्याप्ति नहीं है ।

अनुमान प्रयोग करते समय धम (अग्नि) से युक्त धर्मा (पर्वत) साध्य होता है । धर्मा का दूसरा नाम पक्ष है और वह प्रसिद्ध होता है ।

विवेचन—यहा कब क्या साध्य होना चाहिए, यह बताया गया है । जब व्याप्ति का प्रयोग करना हो तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहा वहा अग्नि होती है इस प्रकार अग्नि धम को ही साध्य बनाना चाहिए । यदि धम को ही साध्य न बनाकर धर्मा को साध्य बनाया जाय तो व्याप्ति यो बनेगी—जहा जहा धूम है वहा वहा पर्वत में अग्नि है ' पर ऐसी व्याप्ति ठीक नहीं है । अतएव व्याप्ति के समय धर्मा (पक्ष) को छोड कर धम को ही साध्य बनाना चाहिए ।

इससे विपरीत, अनुमान का प्रयोग करते समय अग्नि धर्म से युक्त धर्मा (पर्वत) को ही साध्य बनाना चाहिए । उस समय 'अग्नि है, क्योंकि धूम है' इतना कहना पर्याप्त नहीं है । क्योंकि अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करना इस अनुमान का प्रयोजन नहीं है, किन्तु पर्वत में अग्नि सिद्ध करना इष्ट है । अतएव अनुमान प्रयोग के समय धर्म से युक्त पक्ष साध्य बन जाता है । तात्पर्य यह है कि पर्वत प्रसिद्ध है, अग्नि भी सिद्ध है किन्तु अग्निमान पर्वत सिद्ध नहीं है अत वही साध्य होना चाहिए ।

धर्मों की सिद्धि

धर्मिणः प्रसिद्धिः क्वचिद्विकल्पत. कुत्रचित्प्रमाणतः  
क्वापि विकल्पप्रमाणाभ्याम् ॥२१॥

यथा समस्ति समस्तवस्तुवेदी, क्षितिधरकन्धरेयं  
धूमध्वजवती, ध्वनिः परिणतिमान् ॥२२॥

अर्थ-धर्मों की प्रसिद्धि कहीं विकल्प से होती है, कहीं  
प्रमाण से होती है और कहीं विकल्प तथा प्रमाण दोनों से होती है।

जैसे-सर्वज्ञ है, पर्वत की यह गुफा अग्निवाली है, शब्द  
अनित्य है।

विवेचन-प्रमाण से जिस पक्ष का न अस्तित्व सिद्ध हो और  
न नास्तित्व सिद्ध हो-किन्तु अस्तित्व या नास्तित्व सिद्ध करने के  
लिए जो शाब्दिक रूप में मान लिया गया हो वह विकल्पसिद्ध धर्मों  
कहलाता है। जैसे-सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अब तक न अस्तित्व सिद्ध  
है और न नास्तित्व ही। अतः वह विकल्पसिद्ध धर्मों है प्रत्यक्ष या  
अन्य किसी प्रमाण से जिसका अस्तित्व निश्चित हो वह प्रमाणसिद्ध  
धर्मों कहलाता है। जैसे पर्वत की गुफा। पर्वत की गुफा प्रत्यक्ष  
प्रमाण से सिद्ध है। 'शब्द अनित्य है' यहाँ 'शब्द' पक्ष उभयसिद्ध है  
-वर्तमानकालीन शब्द प्रत्यक्ष से और भूत-भविष्यत् कालीन विकल्प  
से सिद्ध है।

परार्थानुमान का स्वरूप

पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात् ॥२३॥

अथ पक्ष और हेतु का वचन परार्थानुमान है। उक्त उपचार से अनुमान कहते हैं।

विवेचन-स्वार्थानुमान को शब्दों द्वारा कहना परार्थानुमान है। मान लीजिये देवदत्त को धूम देखने से अग्नि का अनुमान हुआ। वह अपने साथी जिनदत्त से कहता है-‘देखा पवन में अग्नि है, क्योंकि धूम है।’ तो देवदत्त का यह शब्द प्रयोग परार्थानुमान है, क्योंकि वह पराथ ह अर्थात् दूसरे को जान करान के लिए बोला गया है।

प्रत्येक प्रमाण ज्ञान स्वरूप होता है, पर परार्थानुमान शब्द स्वरूप है। शब्द जड है अतः परार्थानुमान भी जडरूप होने से प्रमाण नहीं हो सकता। किन्तु इन शब्दों को सुनकर जिनदत्त को स्वार्थानुमान उत्पन्न होता है। अतएव परार्थानुमान स्वार्थानुमान का कारण है। कारण को उपचार से काय मान कर परार्थानुमान को भी अनुमान मान लिया है।

पक्ष प्रयोग की आवश्यकता

साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिसम्बन्धिताप्रसिद्धये हेतोरुप  
सहारवचनवत् पक्षप्रयोगोऽप्यवश्यमाश्रयितव्य ॥२४॥

त्रिविधा साधनमभिधायैव तत्समयन विवधान क  
सलु न पक्षप्रयोगमङ्गीकुरुते ? ॥२५॥

अर्थ-साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्यक् सिद्ध करने के लिए, उपनय की भाँति पक्ष का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए।

तीन प्रकार के हेतु का प्रयोग करके ही उनका समर्थन करने वाला ऐसा कौन होगा जो पक्ष का प्रयोग करना स्वीकार न करे ?

विवेचन-बौद्ध पक्ष का प्रयोग करना आवश्यक नहीं मानते । उनके मत का विरोध करने के लिए यहाँ यह कहा गया है कि अगर पक्ष का प्रयोग न किया जायगा तो साध्य कहां सिद्ध किया जा रहा है, यह मालूम नहीं पड़ेगा । साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताने के लिए पक्ष अवश्य बोलना चाहिए ।

पर्वत में अग्नि है, क्योंकि धूम है, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसे पाकशाला, इस पर्वत में भी धूम है ।' इस अनुमान में 'इस पर्वत में भी धूम है' यह उपनय है । यहाँ हेतु को दोहराया गया है । हेतु को दोहराने का प्रयोजन यह है कि साधन का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताया जाय । इसी प्रकार साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताने के लिए पक्ष भी बोलना चाहिए ।

जैसे हेतु का कथन करने के बाद ही उसका समर्थन किया जा सकता है—हेतु का प्रयोग किये बिना समर्थन नहीं हो सकता, उसी प्रकार पक्ष का प्रयोग किये बिना साध्य के आधार का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता (बौद्धों ने स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि, यह तीन प्रकार के हेतु माने हैं)

परार्थ प्रत्यक्ष

प्रत्यक्षपरिच्छिन्नार्थाभिधायि वचनं परार्थं प्रत्यक्ष,  
परप्रत्यक्षहेतुत्वात् ॥२६॥

यथा-पश्य पुरः स्फुरत्किरणमणिखण्डमण्डिताभरण-  
भारिणीं जिनपतिप्रतिमामिति ॥२७॥

अर्थ-प्रत्यक्ष द्वारा जान हुए पदार्थ का उल्लेख करने वाले वचन पराय प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उन वचनों से दूसर को प्रत्यक्ष होता है ।

जैसे-देखो, सामन, चमकती हुई किरणों वाली मणियों के टुकड़ा से जडे हुए आमूषणों को धारण करने वाली जिन भगवान् की प्रतिमा ह ।

विवेचन-जैसे अनुमान द्वारा जानी हुई बात शब्दा द्वारा कहना परार्थानुमान ह, उसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा जानी हुई बात को शब्दों से कहना पराय प्रत्यक्ष है । परार्थानुमान जैसे अनुमान का कारण ह उसी प्रकार परार्थ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का कारण ह । यह पराय प्रत्यक्ष भी शब्दात्मक होने के कारण उपचार से प्रमाण है ।

अनुमान व अवयव

पक्षहेतुवचामवयवद्वयमेव परप्रतिपत्तेरग, न दृष्टा-  
न्ताविवचनम् ॥२८॥

अर्थ-पक्ष का प्रयोग और हेतु का प्रयोग, यह दो अवयव ही दूसरों को समझाने के कारण ह, दृष्टांत आवि का प्रयोग नहीं ।

विवेचन-परार्थानुमान के अवयवों के सम्बन्ध में अनेक मत ह । सारथ लोग पक्ष, हेतु और दृष्टांत यह तीन अवयव मानते ह । मीमांसक उपनय व साथ चार अवयव मानते ह, और योग लोग निगमन को इनमें सम्मिलित करके पाँच अवयव मानते हैं ।

इस सब मता का निश्चयन करते हुए पक्ष और हेतु इन वा ही अवयवों का समर्थन किया गया ह, क्योंकि दूसर को समझाने के



लिए यही पर्याप्त है । इस सम्बन्ध का विशेष विचार आगे किया जायगा ।

हेतु प्रयोग के भेद

हेतुप्रयोगस्तथोपपत्ति अन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विप्रकारः ॥२९॥  
सत्येव साध्ये हेतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिः, असति साध्ये हेतो-  
रनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिः ॥३०॥

यथा-कृशानुमानयं पाकप्रदेशः, सत्येव कृशानुमत्त्वे  
धूमवत्त्वस्योपपत्तेः, असत्यनुपपत्तेर्वा ॥३१॥

अनघोरन्यतरप्रयोगेणैव साध्यप्रतिपत्तौ द्वितीयप्रयोग-  
स्यैकत्रानुपयोगः ॥३२॥

अर्थ--तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति के भेद से हेतु दो प्रकार से बोला जाता है ।

साध्य के होने पर ही हेतु का होना (बताना) तथोपपत्ति है और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव होना (बताना) अन्यथानुपपत्ति है ॥

जैसे--यह पाकशाला अग्निवाली है, क्योंकि अग्नि के होने पर ही धूम हो सकता है, या क्योंकि अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता ॥

तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति में से किसी एक का प्रयोग करने से ही साध्य का ज्ञान हो जाता है अतः एक ही जगह दोनों का प्रयोग करना व्यर्थ है ॥

विवेचन-यहाँ हेतु के प्रयोग की विविधता बताई गई है। तयोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति रूप हेतुओं में अथका भेद नहीं है, केवल एक में विधि रूप से प्रयोग है और दूसरे में निषेध रूप से। दोनों का आशय एक है अतएव किसी भी एक का प्रयोग करना पर्याप्त है, दोनों को एक साथ बोलना अनुपयोगी है।

दृष्टान्त अनुमान का अवयव नहीं है

न दृष्टान्तवचन परप्रतिपत्तये प्रभवति, तस्या पक्षहेतु-  
वचनयोरेव व्यापारोपलब्धे ॥३३॥

न च हेतोरन्यथानुपपत्तिनिर्णयते, यथोक्ततर्कप्रमाणा-  
देव तदुपपत्ते ॥३४॥

नियतैकविशेषस्वभावे च दृष्टान्ते माकल्पेन व्याप्तैर-  
योगतो विप्रतिपत्तौ तदतरापेक्षायामनवस्थितेर्दुनिवार  
समवतार ॥३५॥

नाप्यविनाभावस्मृतये, प्रतिपन्नप्रतिब-धस्य व्युत्पन्न-  
मते पक्षहेतुप्रदर्शनेनैव तत्प्रसिद्धे ॥३६॥

अथ-दृष्टान्त दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरे को समझाने में पक्ष और हेतु के प्रयोग का ही व्यापार देखा जाता है।

दृष्टान्त, हेतु के अविनाभाव का निणय करने के लिये भी नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त तर्क प्रमाण से अविनाभाव का निणय होता है।

दृष्टान्त, निश्चित एक स्वभाव वाला होता है।

(एक महान्त तर्क ही सीमित रहता है) उसमें व्याप्ति पूर्ण रूप से नहीं घट सकती अतएव दृष्टान्त में व्याप्ति सम्बन्धी विवाद उपस्थित होनेपर दूसरा दृष्टान्त ढूँढना पड़ेगा, इस प्रकार अनवस्था दोष अनिवार्य होगा ॥

दृष्टान्त, अविनाभाव के स्मरण के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया है और जो बुद्धिमान् है उसके आगे पक्ष और हेतु का प्रयोग करने से ही उसे अविनाभाव का स्मरण हो जाता है ॥

विचेचन-दृष्टान्त को अनुमान का अवयव मानने के तीन प्रयोजन हो सकते हैं। (१) दूसरे को साध्य का ज्ञान कराना। (२) अविनाभाव का निर्णय करना और (३) अविनाभाव का स्मरण करना। किन्तु इनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पक्ष और हेतु का कथन करने से साध्य का ज्ञान हो जाता है, तर्क प्रमाण से अविनाभाव का निर्णय होजाता है और पक्ष-हेतुके कथन से ही अविनाभाव का स्मरण हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जो दृष्टान्त से अविनाभाव का निर्णय होना मानते हैं, उन्हें अनवस्था दोष का सामना करना पड़ेगा। पक्षमें अविनाभाव का निर्णय करने के लिए दृष्टान्त चाहिए तो दृष्टान्त में अविनाभाव का निर्णय करने के लिये एक नया दृष्टान्त चाहिए उसमें भी अविनाभाव का निर्णय किसी नये दृष्टान्त से होगा, इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा। क्योंकि दृष्टान्त एक विशेष स्वभाव वाला होता है अर्थात् वह एक ही स्थान तक सीमित होता है जब कि व्याप्ति सामान्य रूप है अर्थात् त्रिकाल और त्रिलोक सम्बन्धी होती है। ऐसे दृष्टान्त में पूर्ण रूपेण व्याप्ति नहीं घट सकती।

प्रकारात्तर से समथन

अन्तर्व्याप्त्या हतो साध्यप्रत्यायने शषताषशषतो च  
बहिर्व्याप्तेरुदभावन व्यथम् ॥३७॥

अथ-अ तव्याप्ति द्वारा हेतु से साध्य का जान हो जाने पर  
भी या न हाने पर भी बहिर्व्याप्ति का कथन करना व्यथ है ।

विवेचन-अन्तर्व्याप्ति का और बहिर्व्याप्ति का स्वरूप आगे  
बताया जायगा । इस सूत्र का आशय यह है कि अन्तर्व्याप्ति के द्वारा  
हेतु यदि साध्य का ज्ञान करा देता है तब बहिर्व्याप्ति का कथन व्यथ  
है । और अन्तर्व्याप्ति के द्वारा हेतु यदि साध्य का ज्ञान नहीं कराता  
तो भी बहिर्व्याप्ति का कथन व्यथ है । तात्पर्य यह है कि बहिर्व्याप्ति  
प्रत्येक दशा में व्यथ है ।

अन्तर्व्याप्ति और बहिर्व्याप्ति का मन्त्र

पक्षीकृत एव विषये माघनस्य साध्येन व्याप्तिरन्त  
र्व्याप्ति , अन्यत्र तु बहिर्व्याप्ति ॥३८॥

यथाऽनेकात्तात्मक वस्तु तत्रस्य तथैवोपपत्तेरिति,  
अग्निमानय देशो धूमवत्त्वात्, य एव न पच,यथा पाक-  
स्यानमिति च ॥३९॥

अर्थ-यहाँ में ही माघन की मात्र के माध्य व्याप्ति हीमा  
अन्तर्व्याप्ति है और परम के बाहर व्याप्ति हीमा बहिर्व्याप्ति ॥  
जैसे-बस्तु अनेकान रूप है, यथादि यह गन् है, और

स्थल अग्निवाला है, क्योंकि धूमवान् है, जो धूमवान् होता है वह अग्निवाला होता है, जैसे पाकशाला ।

विवेचन--वस्तु अनेकान्तरूप है, क्योंकि वह सत् है; यहाँ सत्त्व हेतु को 'अनेकान्त रूप' इस साध्य के साथ व्याप्ति अन्तर्व्याप्ति है, क्योंकि यह पक्ष में ही हो सकती है--बाहर नहीं । 'वस्तु' यहाँ पक्ष है: उसमें ससार की सभी वस्तुएँ अन्तर्गत हैं, पक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता जिसे सपक्ष बनाकर वहाँ व्याप्ति बताई जाय ।

दूसरे उदाहरण में 'यह स्थान' पक्ष है और धूम तथा अग्नि की व्याप्ति उस स्थान से बाहर सपक्ष (पाकशाला) में बताई गई है, अतएव यह बहिर्व्याप्ति है ।

उपनय निगमन भी अनुमान के अंग नहीं

नोपनयनिगमनयोरपि परप्रतिपत्तौ सामर्थ्यं, पक्षहे-  
तुप्रयोगादेव तस्याः सद्भावात् ॥४०॥

अर्थ -उपनय और निगमन भी परप्रतिपत्ति में कारण नहीं हैं क्योंकि पक्ष और हेतु के प्रयोग से ही पर को प्रतिपत्ति (ज्ञान) होजाती है ।

विवेचन--यौगमत का निरास करते हुए यहाँ उपनय और निगमन, अनुमान के अंग नहीं हैं, यह बतलाया गया है । पक्ष और हेतु को बोलने मात्र से ही जब दूसरे को साध्य का ज्ञान हो जाता है तब उपनय और निगमन की क्या आवश्यकता है ?

## हेतु का समथन

समथनमेव पर परप्रतिपत्त्यङ्गमास्ता तदन्तरेण

दृष्टान्तादिप्रयोगेऽपि तदसम्भवात् ॥४१॥

अथ—समथन को ही परप्रतिपत्ति का अङ्ग मानना चाहिए, क्योंकि समथन किए बिना, दृष्टान्त आदि का प्रयोग करने पर भी साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता ।

विवेचन— हेतु के दोषों का अभाव दिसाकर उसे निदाघ सिद्ध करना समथन है । समथन करन स ही हेतु समीचान सिद्ध होता है । समथन को चाहे अनुमान का अलग अङ्ग माना जाय चाहे हेतु में ही उसे ज तगत किया जाय, पर है वह आवश्यक । समथन के बिना दृष्टान्त का प्रयोग करना निरर्थक है ।

शिष्यानुरोध से अनुमानके अवयव

मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तोपनयनिगमनाप्यपि

प्रयोज्यानि ॥४२॥

अथ—मन्दबुद्धि वाले गिण्यों को समझाने के लिए दृष्टान्त, उपनय और निगमन का भी प्रयोग करना चाहिए ।

विवेचन—परार्थानुमान दूसरे को साध्य का ज्ञान कराने के लिए बोला जाता है । अतएव जितना बोलने से दूसरा समझ जाय उतना बोलना ही उचित है, उसमें किसी अनिवाय बचन की आवश्यकता नहीं है । हा याद विवाद के समय वादी और प्रतिवादी दोनों विद्वान होते हैं अत उन्हें एक ओर हेतु यह दो ही अवयव पर्याप्त हैं

दृष्टान्त का निरूपण

प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्त ॥४३॥

स द्वेषा साधर्म्यतो वैधर्म्यतश्च ॥४४॥

यत्र साधनधर्मसत्तायाम् साध्यधर्मसत्ता प्रकाश्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः॥४५॥

यथा-यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसः ॥४६॥

यत्र तु साध्याभावे साधनस्यावश्यमभावः प्रदर्श्यते स वैधर्म्यदृष्टान्त ॥४७॥

यथा-अग्न्यभावे न भवत्येव धूमो यथा जलाशये॥४८॥

अर्थ-अविनाभाव बताने के स्थान को दृष्टान्त कहते हैं ॥

दृष्टान्त दो प्रकार का है-(१) साधर्म्य दृष्टान्त और (२) वैधर्म्य दृष्टान्त ॥

जहाँ साधन के होने पर साध्य का होना बताया जाय वह साधर्म्य दृष्टान्त कहलाता है ।

जैसे-जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर ।

जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अवश्य अभाव दिखाया जाता है वह वैधर्म्य दृष्टान्त है ।

जैसे-जहाँ अग्नि का अभाव होता है वहाँ धूम का अभाव होता है, जैसे तालाब ।

विवेचन-व्याप्ति को जिस स्थान पर दिखाया जाय वह स्थान दृष्टांत है । अवयवव्याप्ति को दिखाने का स्थल साधम्य दृष्टांत या अवयव दृष्टांत कहलाता है, जैसे ऊपर के उदाहरण में 'रसोईघर' रसोईघर में साधन (धूम) के होनेपर साध्य (अग्नि) का सदभाव दिखाया गया है । व्यतिरेक व्याप्ति को बताने का स्थान वधम्य या व्यतिरेक दृष्टांत कहलाता है, जैसे ऊपर के उदाहरण में 'तालाब' । तालाब में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया गया है ।

किसके सदभाव में किसका सदभाव होता है और किसके अभाव में किसका अभाव होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए ।

उपनय

हेतु साध्यर्थाभिप्युपसहरणमुपनय ॥४९॥

यथा-धूमश्चात्र प्रवेशे ॥५०॥

अर्थ-पक्ष में हेतु का उपसहार करना (बोहराना) उपनय है । जैसे-इस जगह भी धूम है ।

विवेचन-पहले हेतु का प्रयोग करके पक्ष में हेतु का साक्षात् विला दिया जाता है, फिर व्याप्ति और उदाहरण बोलने के पश्चात् दूसरी बार कहा जाता है-'इस जगह भी धूम है' । यही पक्ष में हेतु का बोहराना है और यही उपनय है ।

निगमन

साध्यधमस्य पुननिगमनम् ॥५१॥



यथा---तस्मादग्निरत्र ॥५२॥

अर्थ--साध्य का पक्ष में दोहराना निगमन कहलाता है ।  
जैसे--'इसलिए यहाँ अग्नि है ।'

विवेचन-पक्ष में साध्य का होना सर्वप्रथम बताया गया था, फिर व्याप्ति आदि बोलने के बाद अन्त में दूसरी बार कहा जाता है--'इसलिये यहाँ अग्नि है' साध्य का यह दोहराना निगमन है ।

पाँच अवयव वाला अनुमान इन प्रकार का है--

(१) पर्वत में अग्नि है (पक्ष)

(२) क्योंकि पर्वत में धूम है (हेतु)

(३) जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है (व्याप्ति)

जैसे--पाकशाला (दृष्टान्त)

(४) इस पर्वत में भी धूम है (उपनय)

(५) इसलिए पर्वत में अग्नि है (निगमन)

अवयव नञा

एते पक्षप्रयोगादयः पञ्चाप्यवयवसज्ञया कीर्त्यन्ते ॥५३॥

अर्थ--पक्ष, हेतु आदि पाँचों अनुमान के अग 'अवयव' कहलाते हैं ।

हेतु के भेद

उक्तलक्षणो हेतुद्विप्रकारः, उपलब्धि-अनुपलब्धि-  
भ्यां भिद्यमानत्वात् ॥५४॥

उपलब्धिविधिनियेधयोः सिद्धिनिवन्धनमनुपल-  
ब्धिश्च ॥५५॥

अथ-अथयानुपपत्तिरूप पूर्वोक्त हेतु दो प्रकार का है-

(१) उपलब्धिरूप और (२) अनुपलब्धिरूप ।

उपलब्धिरूप हेतु से विधि और निषेध दोनों सिद्ध होते हैं ।

और अनुपलब्धिरूप हेतु से भी दोनों सिद्ध होते हैं ।

विवेचन-विधि सदभावरूप हेतु को उपलब्धि हेतु कहते हैं और निषेध जयांत असदभावरूप हेतु अनुपलब्धि कहलाता है । कुछ लोगों की यह भावना है कि उपलब्धि हेतु विधिसाधक और अनुपलब्धिहेतु निषेधसाधक ही होता है । इस भावना का विरोध करते हुए यहाँ दोनों प्रकार के हेतुओं को दोनों का साधक बताया गया है । प्रत्येक हेतु जैसे अपने सम्बन्धी का सदभाव सिद्ध करता है उसी प्रकार अपने विरोधी का अभाव भी सिद्ध कर सकता है ।

विधि निषेध की व्याख्या

विधि सदश ॥५६॥

प्रतिषेधोऽसदश ॥५७॥

अथ-सत अश को विधि कहते हैं ।

असत अश का प्रतिषेध कहते हैं ।

विवेचन-प्रत्येक वस्तु में सत्त्व और असत्त्व दोनों धर्म पाये जाते हैं । अतएव सत्त्व वस्तु का एक अश (धर्म) है और असत्त्व भी एक अश है । सत्त्व और असत्त्व सबका पृथक् पदार्थ नहीं है । इसीलिए सूत्रों में 'अश' शब्द का प्रयोग किया गया है । विशेषिक लोग सत्त्व (सामान्य) और अभाव को अलग पदार्थ मानते हैं, यहाँ उनकी इस भावना का परोक्षरूप में विरोध किया गया है ।

प्रतिषेध के भेद

स चनुर्धा-प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावोऽत्यन्ताभावश्च ॥५८॥

अर्थ-प्रतिषेध (अभाव) चार प्रकार का है—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यन्ताभाव ।

प्रागभाव का स्वरूप

यन्निवृत्तावेव कार्यस्य समुत्पत्तिः सोऽस्य प्रागभावः ॥५९॥  
यथा मृत्पिण्डनिवृत्तावेव समुत्पद्यमानस्य घटस्य मृत्पिण्डः ॥६०॥

अर्थ—जिस पदार्थ के नाश होने पर ही कार्य की उत्पत्ति हो वह पदार्थ उस कार्य का प्रागभाव है ।

जैसे मिट्टी के पिण्ड का नाश होने पर ही उत्पन्न होने वाले घट का प्रागभाव मिट्टी का पिण्ड है ।

विवेचन—किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने से पहले उसका जो अभाव होता है वह प्रागभाव कहलाता है । यहाँ सदरूप मिट्टी के पिण्ड को घट का प्रागभाव बतलाया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, अभाव एकान्त असत्तारूप (नुच्छाभावरूप) नहीं है, किन्तु पदार्थान्तर रूप है । आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिए ।

प्रध्वमाभाव का स्वरूप

यदुत्पत्तौ कार्यस्यावश्य विपत्तिः सोऽस्य प्रध्वसाभावः ॥६१॥

यथा कपालकदम्बकोत्पत्तौ नियमतो विपद्यमानस्य कलशस्य कपालकदम्बकम् ॥६२॥

अथ-जित पदार्थ के उत्पन्न होने पर काय का अवश्य विनाश हो जाता है वह पदार्थ उस काय का प्रध्वसाभाव है ।

जैसे-टुकड़ों का समूह उत्पन्न होने पर निश्चित रूप से नष्ट हो जाने वाले घट का प्रध्वसाभाव टुकड़ों का समूह है ।

इतरेतराभाव का स्वरूप

स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतराभाव ॥६३॥

यथा स्तम्भस्वभावात् कुम्भस्वभावव्यावृत्ति ॥६४॥

अथ-एक पर्याय का दूसरो पर्याय में न पाया जाना इतरे-तराभाव है ॥

जैसे-स्तम्भ का कुम्भ में न पाया जाना ।

विवचन-स्तम्भ और कुम्भ -दानो पदार्थ एक साथ सदाभाव रूप ह, किन्तु स्तम्भ कुम्भ नहीं है और कुम्भ स्तम्भ नहीं है । इस प्रकार दानो में परस्पर का अभाव है । यही अभाव इतरेतराभाव, अयायाभाव या परस्पराभाव कहलाता है ।

अयन्ताभाव का स्वरूप

कालत्रयाऽपेक्षिणी तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरत्यन्ता-  
भाव ॥६५॥

यथा चेतनाचेतनयो ॥६६॥

अथ-त्रिकालसबन्धो तादात्म्य के अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं ।

विवेचन-एक द्रव्य त्रिकाल में भी दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता । जैसे चेतन कभी अचेतन न हुआ, न है और न होगा । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का त्रिकालिक अभाव पाया जाता है; वही अत्यन्ताभाव है । एक ही द्रव्य की अनेक पर्यायों का पारस्परिक अभाव इतरेतराभाव कहलाता है । और अनेक द्रव्यों का पारस्परिक अभाव अत्यन्ताभाव कहलाता है । प्रागभाव अनादि सान्त है, प्रध्वंसाभाव सादि अनन्त है, इतरेतराभाव सादि सान्त है और अत्यन्ताभाव अनादि अनन्त है ।

उपलब्ध हेतु के भेद

उपलब्धेरपि द्वैविध्यमविरुद्धोपलब्धिविरुद्धोपलब्धिश्च । ६७।

अर्थ—उपलब्ध हेतु के भी दो भेद हैं—(१) अविरुद्धोपलब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि ।

विवेचन—साध्य से अविरुद्ध हेतु की उपलब्धि अविरुद्धोपलब्धि और साध्य से विरुद्ध हेतु की उपलब्धि विरुद्धोपलब्धि है ।

विधिसाधक अविरुद्धोपलब्धि के भेद

तत्राविरुद्धोपलब्धिविधिसिद्धौ षोढा ॥६८॥

अर्थ—विधिरूप साध्य को सिद्ध करने वाली अविरुद्धोपलब्धि छह प्रकार की है ।

भेदों का निर्देश

साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकार्यकारणपूर्वचरोत्तरचर-  
सहचराणामुपलब्धि ॥६९॥

अर्थ--(१) साध्याविरुद्ध व्याप्योपलब्धि, (२) साध्याविरुद्ध कार्योपलब्धि, (३) साध्याविरुद्ध कारणोपलब्धि (४) साध्याविरुद्ध पूयचरोपलब्धि (५) साध्याविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि (६) साध्याविरुद्ध सहचरोपलब्धि, विधिसाधक साध्याविरुद्ध उपलब्धि के यह छह भेद ह ।

कारण हेतु का समयन

तमस्वि-यामास्वाद्यमानादाभ्यादिफलरसादेकसाम-  
ग्रश्रुमित्या रूपाद्यनुमितिमभिम-यमानरभिमतमेव किमपि  
कारण हेतुतया, यत्र शक्तेरप्रतिस्खलनमपरकारणसाफ-  
त्यञ्च ॥७०॥

अर्थ--रात्रि में घूसे जाने वाले आम आदि फल के रस से, उसकी उत्पादक सामग्री का अनुमान करके, फिर उससे रूप आदि का अनुमान मानने वालोंने (बौद्धों ने) कोई कारण हेतु रूप स्वाकार किया ही है, जहा हेतु की शक्ति का प्रतिघात न हो गया हो और दूसरे सरकारी कारणों की पूर्णता हो ।

विषय-बौद्ध, उपलब्धि के स्वभाव और काय-घट का  
हा भेद मानते ह कारण आदि का उ-हों हेतु नहीं माना । य  
कहते ह-काय का कारण क साथ अविनाभाव है, कारण का काय  
क भाव नहीं, क्योंकि कार्य विना कारण क नहीं हो सकता, पर  
कारण तो काय के बिना भी होता है । अतएव कारण का हेतु  
नहीं मानना चाहिए ।' बौद्धों के मत का यहाँ स्पष्ट करण के  
लिए दो बातें कही गई ह ---

(१) प्रत्येक कारण हेतु नहीं होता, किन्तु जिस कारण का  
कार्योत्पादक माध्यम मणि मन्त्र आदि प्रतिबन्धकों द्वारा रखा हुआ

न हो और जिसके सहकारी अन्यान्य सब कारण विद्यमान हो, ऐसे विशिष्ट कारण को ही हेतु माना गया है, क्योंकि ऐसे कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है ।

(२) बौद्ध स्वयं भी कारण को हेतु मानते हैं । अंधेरी रात्रि में (जब रूप दिखाई न पड़ता हो) कोई आम का रस चूसता है, उस रस से वह रस को उत्पन्न करने वाली सामग्री (पूर्व क्षण-वर्ती रस और रूप आदि) का अनुमान करता है । यहाँ चूसा जाने वाला रस कार्य है और पूर्वक्षणवर्ती रस रूप आदि कारण है । यह कार्य से कारण का अनुमान हुआ । इसके पश्चात् आम चूसने वाला उस कारणभूत रूप से वर्तमान कालीन रूप का अनुमान करता है । यह कारण से कार्य का अनुमान कहलाया । इस प्रकार बौद्ध कारण से कार्य का अनुमान स्वयं करते हैं, फिर कारण को हेतु क्यों न मानें ?

शंका-वर्तमान रस से पूर्वक्षणवर्ती रस का ही अनुमान होगा, रस के साथ रूप आदि का क्यों आप कहते हैं ?

समाधान-बौद्धों की मान्यता के अनुसार पूर्वकालीन रस और रूप आदि मिलकर ही उत्तर कालीन रस उत्पन्न करते हैं । अतएव वर्तमानकालीन रस से पूर्वकालीन रस के साथ रूप आदि का भी अनुमान होता है । अलवत्ता पूर्वकालीन रस उत्तरकालीन रस में उपादान करण होता है और रूप सहकारी कारण होता है । यही नियम स्पर्श आदि के लिए समझना चाहिए । प्रत्येक कारण सजातीय के प्रति उपादान कारण और विजातीय के प्रति सहकारी कारण होता है ।

शंका-अच्छा, वर्तमान कालीन रूप तो प्रत्यक्ष देखा जा

सकता है, पूव रूप से उसका अनुमान करने की आवश्यकता क्यों  
घटाई ।

समाधान-सूत्र में 'तमन्वियाम' पद है । उसका अर्थ है  
अधरी रात । अधरी रात कहने का प्रयोजन यह है कि रस का  
ता जिह्वा द्रव्य से प्रत्यक्ष हो रहा हो पर रूप का प्रत्यक्ष न  
जाता है-तब रूप अनुमान से ही जाना जा सकेगा ।

पूव-उत्तर-ना-वमथा

पूर्वचरोत्तरचरयानं स्वभाववायकारणभायो, तयो  
पान्द्यवह्निनायनुपलम्भात् ॥७१॥

विषय-पूवचर और उत्तरचर हेतुओं का स्वभाव और  
काय हेतु में समायग नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव और काय  
का पान्द्यवह्निनायन होने पर नहीं होते ।

विषय-जहाँ तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ स्वभाव हेतु होता  
है और जहाँ तदुपलम्भ सम्बन्ध है वहाँ काय हेतु होता है । तादात्म्य  
सम्बन्ध समझाने के लिये कहा जाता है और काय कारण सम्बन्ध  
अव्यक्त पूर्वोक्त क्षणिक धूम अग्नि आदि में होता है, इस  
प्रकार समय का व्यवधान दोनों में नहीं पाया जाता । किन्तु पूव-  
चर और उत्तरचर में समय का व्यवधान होता है अतः इन दोनों  
का स्वभाव अथवा काय हेतु में समायग नहीं हो सकता ।

वयथा म तायता तय ता लभाव

उत्तरचरानागतयोर्जाग्रदनामवेदनमरणयो प्रयो-  
धायतां प्रति काणत्व, व्यवहितत्वेन नित्यापारत्यादिति  
[७२]



स्वव्यापारापेक्षिणी हि कार्यं प्रति पदार्थस्य कारण-  
त्वव्यवस्था कुलालस्येव कलशं प्रति ॥७३॥

न च व्यवहितयोस्तयोर्व्यापारपरिकल्पनं न्याय्यम-  
तिप्रसक्तेरिति ॥७४॥

परम्पराव्यवहितानां परेषामपि तत्कल्पनस्य निवा-  
रयितुमशक्यत्वात् ॥७५॥

अर्थ—अतीत जाग्रत-अवस्था का ज्ञान, प्रबोध (सोकर जागने  
के पश्चात् होने वाले ज्ञान ) का कारण नहीं है और भावी मरण  
अरिष्ट (अरुन्ती तारा न दीखना आदि) का कारण नहीं है, क्योंकि  
वे समय से व्यवहित हैं इसलिए प्रबोध और अरिष्ट उत्पन्न करने  
में व्यापार नहीं करते ॥

जो कार्य की उत्पत्ति में स्वयं व्यापार करता है वही कारण  
कहलाता है, जैसे कुम्भार घट में कारण है ।

समय का व्यवधान होने पर भी अतीत जाग्रत अवस्था का  
ज्ञान और मरण, प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार करते  
हैं, ऐसी कल्पना न्यायसगत नहीं है; अन्यथा सब घोटाला हो जायगा

( फिर तो ) परंपरा से व्यवहित अन्यान्य पदार्थों के व्यापार  
की कल्पना करना भी अनिवार्य हो जायगा ॥

विवेचन—पहले बताया जा चुका है कि जहाँ समय का  
व्यवधान होता है, वहाँ कार्य—कारण का भाव नहीं होता । इसी  
सिद्धान्त का यहाँ समर्थन किया गया है ।

शका-जागते समय हमें देवदत्त का ज्ञान हुआ । रात में हम सो गये । दूसरे दिन हमें देवदत्त का ज्ञान रहता है । ऐसी अवस्था में सोने से पहले का ज्ञान सोने के बाद के ज्ञान का कारण है । इसके अतिरिक्त छह महीने पश्चात् होने वाला मरण अदृश्यता का न दीखना आदि अरिष्टों का कारण होता है । यहा दोनों जगह समय का व्यवधान होने पर भी काय-कारण भाव है । -

समाधान-कारण वही कहलाता है जो कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करता है । जैसे कुम्भार घट की उत्पत्ति में व्यापार करता है इसलिए उस घट का कारण माना जाता है । भूतकालीन जाग्रत अवस्था का ज्ञान और भविष्यकालीन मरण, प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार नहीं करते, अत उर्हे कारण नहीं माना जा सकता ।

शका-भूतकालीन जाग्रत अवस्था के ज्ञान का और भविष्यकालीन मरण का प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार होता है, यह मान लेने में क्या हानि है?

समाधान-व्यापार वही करेगा जो विद्यमान हागा । जो नष्ट हो चुका है अथवा जा अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वह अविद्यमान या असत् है । असत् किसी काय को उत्पत्ति में व्यापार नहीं कर सकता । और व्यापार किए बिनाही कारण मान लेने पर चाहे जिस कारण मान लेना पड़ेगा ।

सहचर हेतु का समथन

सहचारिणो परस्परस्वरूपपरित्यागेन तादात्म्यानु-  
पपत्ते सहोत्पादेन तदुत्पत्तिविपत्तेश्च सहचरहेतोरपि  
शोक्तेषु नानुप्रवेश ॥७६॥

अर्थ—सहचर रूप-रस आदि का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है अतः उनमें तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता; इस कारण सहचर हेतु का पूर्वोक्त हेतुओं में समावेश होना सम्भव नहीं है ।

विवेचन—रूप और रस सहचर है और दोनों का स्वरूप भिन्न-भिन्न है । रूप चक्षु-ग्राह्य होता है, रस जिह्वा-ग्राह्य है । जहाँ स्वरूप-मेद होता है वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता और तादात्म्य सम्बन्ध के बिना स्वभाव हेतु में समावेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त रूप रस आदि सहचर साथ-साथ उत्पन्न होते हैं और साथ-साथ उत्पन्न होने वाले में कार्य-कारणभाव सम्बन्ध नहीं होता । इस कारण सहचर हेतु किसी भी अन्य हेतु में अन्तर्गत नहीं किया जा सकता । उसे अलग हेतु स्वीकार करना चाहिए ।

### हेतुओं के उदाहरण

ध्वनिः परिणतिमान्, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्, यः प्रयत्नानन्तरीयकः स परिणतिमान् यथा स्तम्भः । यो वा न परिणतमान् स न प्रयत्नानन्तरीयको यथा बान्धयेयः । प्रयत्नानन्तरीयकश्च ध्वनिस्तस्मात् परिणतिमानिति व्याप्यस्य साध्येनाविरुद्धस्योपलब्धि साधर्म्येण वैधर्म्येण च । ७७ ।

अर्थ—शब्द अनित्य है, क्योंकि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है जो प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जैसे स्तम्भ । अथवा जो अनित्य नहीं होता वह प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता है, जैसे बन्ध्यापुत्र । शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है, अतः वह अनित्य है । यह (विधिसाधक) साध्य से अविरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि अन्वय-व्यतिरेक द्वारा बताई गई है ।

विवेचन—यहाँ अनुमान के पांच अद्ययव बताये गये ह—  
'परिणतिमान' साध्य है, 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' हेतु है, 'स्तम्भ' साध्य-  
म्य दृष्टान्त और 'वा ध्येय' बध्म्य दृष्टान्त है, 'शब्द प्रयत्नानन्त-  
रीयक हाता है, उपनय है 'अत वह परिणतिमान ह' निगमन है।

जो अल्प देश में रहे वह व्याप्य कहलाता ह और जो अधिक  
देश में रहे वह व्यापक कहलाता ह। जैसे परिणतिमत्त्व मेघ, इन्द्र-  
घनुष्य और घट-पट आदि में रहता ह पर 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व'  
सिर्फ घट पट आदि में रहता ह, मेघ आदि प्राकृतिक पदार्थों में  
नहीं रहता। इस कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्व और परिणतिमत्त्व  
व्यापक ह। यहा परिणतिमत्त्व साध्य से अविरोद्ध प्रयत्नानन्तरीय-  
कत्व रूप व्याप्य हेतु की उपलब्धि है।

अविरोद्ध कारणापलब्धि

अस्त्यत्र गिरिनिकुञ्जे धनञ्जयो, धूमसमुपलम्भात्  
इति कार्यस्य ॥७८॥

अर्थ—इस गिरिनिकुञ्ज में अग्नि ह, क्योंकि धूम है। यह  
अविरोद्ध कारणापलब्धि का उदाहरण है।

विवेचन—यहा अग्नि साध्य से अविरोद्ध धूम कार्य की उप-  
लब्धि ह।

अविरोद्ध कारणापलब्धि

अविद्यति वर्षं, तथाविधवारिवाहविलोकनात्, इति  
कारणस्य ॥७९॥

अर्थ—वर्षा होगी. क्योंकि विजिष्ट (वर्षा के अनुकूल) मेघ दिखाई देते हैं; यह अविरुद्ध कारणोपलब्धि का उदाहरण। (यहाँ वर्षा साध्य से अविरुद्ध कारण विजिष्ट मेघ—की उपलब्धि है।)

अविरुद्धपूर्वचरोपलब्धि

उदेष्यति मुहूर्तान्ते तिप्यतारका. पुनर्वसूदयात्, इति पूर्वचरस्य ॥८०॥

अर्थ—एक मुहूर्त के पश्चात् पुष्य नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि इस समय पुनर्वसु नक्षत्र का उदय है; यह अविरुद्ध पूर्व-चरोपलब्धि है। (यहाँ पुष्य नक्षत्र से अविरुद्ध पूर्वचर पुनर्वसु की उपलब्धि है।)

अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि

उदगुर्मुहूर्त्तपूर्वं पूर्वफल्गुन्यः, उत्तरफल्गुनीनामुद्ग-मोपलब्धेः, इति उत्तरचरस्य ॥८१॥

अर्थ—एक मुहूर्त पहले पूर्वफल्गुनी का उदय हो चुका है, क्योंकि अब उत्तरफल्गुनी का उदय है। यह अविरुद्ध उत्तरचरोप-लब्धि है। (यहाँ पूर्वफल्गुनी से अविरुद्ध उत्तरचर उत्तर फल्गुनी की उपलब्धि है।)

अविरुद्ध सहचरोपलब्धि

अस्तीह सहकारफले रूपविशेषः, समास्वाद्यमानरस-विशेषात् ति सहचरस्य ॥८२॥

अथ—इस आम में रूपविशेष है, क्योंकि आस्वाद्यमान रस विशय है, यह अविरद्ध सहचरोपलब्धि का उदाहरण है। (यहाँ साध्य रूप से अविरद्ध सहचर रस की उपलब्धि है।)

विरद्धापलब्धि के भेद

विरद्धोपलब्धिस्तु प्रतिषेधप्रतिपत्तौ सप्तधा ॥८३॥

अथ—निषेध सिद्ध करनेवाली विरद्धोपलब्धि सात प्रकार की है।

स्वभाव विरद्धापलब्धि

तत्राद्या स्वभावविरद्धोपलब्धि ८४॥

यथा नाम्त्यव सवथंकान्ताऽनेकान्तस्योपलम्भात् ॥८५॥

अथ विरद्धापलब्धि का पहला भेद स्वभावविरद्धोपलब्धि है।

जैसे—सवथा एकांत नहीं है क्योंकि अनेकांत की उपलब्धि होती है ॥

दिवेचन यहाँ प्रतिपद्य है सवथा एकांत। उससे विरद्ध अनका तत्प स्वभाव का उपलब्धि है। अतएव यह निषेधसाध्यक साध्यविरद्ध स्वभावापलब्धि हेतु है।

विरद्धापलब्धि के भेद

प्रतिषेध्यविरद्धव्याप्तादीनामुपलब्धय पट् ॥८६॥

अर्थ--प्रतिषेध्य पदार्थ से विरुद्ध व्याप्त आदि की उपलब्धि छह प्रकार की है ।

विवेचन--विरुद्धोपलब्धि के सात भेद बताये थे । उनमें से पहले भेद का--स्वभावविरुद्धोपलब्धि का, उदाहरण बताया जा चुका है । शेष छह भेद ये हैं- (१) विरुद्धव्याप्तोपलब्धि (२) विरुद्धकार्योपलब्धि (३) विरुद्ध कारणोपलब्धि (४) विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि (५) विरुद्धउत्तरचरोपलब्धि और (६) विरुद्धसहचरोपलब्धि.

विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि

विरुद्धव्याप्तोपलब्धिार्यथा--नास्त्यस्य पुंसस्तत्त्वेषु निश्चयस्तत्र सन्देहात् ॥८७॥

अर्थ--इस पुरुष को तत्त्वों में निश्चय नहीं है, क्योंकि उसे तत्त्वों में सन्देह है । यह विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि का उदाहरण है ।

विवेचन--यहाँ तत्त्वों का निश्चय प्रतिषेध्य है, उससे विरुद्ध अनिश्चय है और उससे व्याप्त सन्देह की उपलब्धि है ।

विरुद्धकार्योपलब्धि

विरुद्धकार्योपलब्धिार्यथा न विद्यतेऽस्य क्रोधाद्युपशान्तिर्वदनविकारादेः ॥८८॥

अर्थ--इस पुरुष के क्रोध आदि शान्त नहीं है, क्योंकि चेहरे पर विकार आदि पाये जाते हैं ।

विवेचन--यहाँ प्रतिषेध्य क्रोधादिक की शान्ति है उससे

विरुद्ध क्रोध आदि का अनुपशम है और अनुपशम का काय वद-  
नविकार आदि पाया जाता है, अतः यह विरुद्धकार्योपलब्धि का  
उदाहरण हुआ ।

विरुद्ध कारणापत्ति

विरुद्ध कारणोपलब्धियथा-नास्य महर्षेरसत्य समस्ति,  
रागद्वयकालुष्याऽफलञ्चिन्नानसम्पन्नत्वात् ॥८९॥

अर्थ-इस महापि में असत्य नहीं है, क्योंकि वह राग-द्वय  
रूपा कलुष से रहित ज्ञानवाले हैं ।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य असत्य है उससे विरुद्ध सत्य है  
और सत्य के कारण राग द्वय रहित ज्ञान की उपलब्धि है, अतः  
यह विरुद्ध कारणोपलब्धि का उदाहरण है ।

विरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि

विरुद्धपूर्वचरोपलब्धियथा नोद्गमिष्यति मुहूर्त्तांते  
पुष्यतारा, रोहिण्युद्गमात् ॥९०॥

अर्थ-एक महत्त पश्चात् पुष्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा,  
क्योंकि राहिणी नक्षत्र का उदय है ।

विवेचन-यहाँ पुष्यतारा का उदय प्रतिषेध्य है उसमें विरुद्ध  
मृगशीर्ष नक्षत्र का उदय है और उसके पूर्वचर राहिणी नक्षत्र का  
उदय की उपलब्धि है । अतः यह विरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि का  
उदाहरण है ।



विरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि

विरुद्धोत्तरचरोपलब्धिर्यथा-नोद्गान्मूहत्तत्पूर्व  
मृगशिरः, पूर्वफल्गुन्युदयात् ॥९१॥

अर्थ-एक मूहर्त महले मृगशिर नक्षत्र का उदय नहीं हुआ, क्योंकि अभी पूर्वफल्गुनी का उदय है।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य मृगशिर का उदय है; उससे विरुद्ध मघा नक्षत्र का उदय है और मघा के उत्तरचर पूर्वफल्गुनी के उदय की उपलब्धि है। अतः यह विरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि का उदाहरण हुआ।

विरुद्ध सहचरोपलब्धि

विरुद्धसहचरोपलब्धिर्यथा-नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानं  
सम्यग्दर्शनात्

अर्थ-इस पुरुष का ज्ञान मिथ्या नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है।

विवेचन--यहाँ प्रतिषेध्य मिथ्याज्ञान है, उससे विरुद्ध सम्यग्ज्ञान है और सम्यग्ज्ञान के सहचर सम्यग्दर्शन की उपलब्धि है, अतः यह विरुद्धसहचरोपलब्धि का उदाहरण है।

विरुद्धोपलब्धि के इन सब उदाहरणों में हेतु से पहले 'निषेध-साधक' इतना पद और जोड़ देना चाहिए। जैसे-निषेधसाधक विरुद्धस्वभावोपलब्धि, निषेधसाधक विरुद्ध कार्योपलब्धि, आदि।

## अनुपलब्धि के भेद

अनुपलब्धिरेपि द्वैरूप्य-अविरुद्धानुपलब्धि विरुद्धानुपलब्धिश्च ॥९३॥

अथ-उपलब्धि की तरह अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है-

(१) अविरुद्धानुपलब्धि और (२) विरुद्धानुपलब्धि

निषेधसाधय अविरुद्धानुपलब्धि

तत्राविरुद्धानुपलब्धि प्रतिषेधावबाधे सप्तप्रकारा ॥९४॥

प्रतिषेध्येनाविरुद्धाना स्वभाव व्यापक कार्य कारण-

पूर्वचरोत्तरचरसहचराणामनुपलब्धि ॥९५॥

अथ-निषेध सिद्ध करनेवाली अविरुद्धानुपलब्धि सात प्रकार की है ।

प्रतिषेध्य से (१) अविरुद्धस्वभावानुपलब्धि (२) अविरुद्धव्यापकानुपलब्धि (३) अविरुद्धकार्यानुपलब्धि (४) अविरुद्धकारणानुपलब्धि (५) अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि (६) अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि (७) अविरुद्धसहचरानुपलब्धि ॥

अविरुद्ध स्वभावानुपलब्धि

स्वभावानुपलब्धिर्वाप्येथा-नात्स्यत्र भूतले कुम्भ, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तत्स्वभावस्यानुपलम्भात् ॥९६॥

अर्थ-इस भूतल पर कुम्भ नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धि होने योग्य होने पर भी उपलब्धि नहीं हो रहा है ।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य कुम्भा है, उससे अविरुद्ध स्वभाव है । उपलब्ध होने की योग्यता और उस स्वभाव की अनुपलब्धि यह अविरुद्ध स्वभावानुपलब्धि का उदाहरण है ।

अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि

अविरुद्धव्यापकानुपलब्धिर्यथा-नास्त्यत्र प्रदेशे  
पनसः पादपानुपलब्धेः ॥९७॥

अर्थ-इस जगह पनस नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं है ।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य पनस से अविरुद्ध व्यापक पादप की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है ।

अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि

कार्यानुपलब्धिर्यथा-नास्त्यत्राप्रतिहतशक्तिकं बीज-  
मंकुरानवलोकनात् ॥९८॥

अर्थ-अप्रतिहत शक्तिवाला बीज नहीं है, क्योंकि अंकुर नहीं दिखाई देता ।

विवेचन-जिसकी शक्ति मंत्र आदि से रोक न दी गई हो या पुराना होने से स्वभावतः नष्ट न हो गई हो वह अप्रतिहत शक्ति वाला कहलाता है । यहाँ प्रतिषेध्य अप्रतिहत शक्तिवाला बीज है, उससे अविरुद्ध कार्य अंकुर की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि है ।

अविरुद्ध कारणानुपलब्धि

कारणानुपलब्धिर्यथा न सन्त्यस्य प्रशमप्रभृतयो भावा-  
स्तत्त्वायश्चद्धानाभावात् ॥९९॥

अथ-इस पुरुष में प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और  
आस्तिक्य रूप भाव नहीं ह, क्योंकि तत्त्वायश्चद्धान का अभाव है ।

विवेचन-यहा प्रतिषेध्य प्रशम आदि भाव ह, उनमें अवि-  
रुद्ध कारण सम्पादन की अनुपलब्धि है, अत यह अविरुद्ध  
कारणानुपलब्धि है ।

अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि

पूर्वचरानुपलब्धियथा-नोद्गमिष्यति मूहत्तन्ति  
स्वातिनक्षत्र, चित्रोदयादर्शनात् ॥१००॥

अथ-एक मूहत्त के पश्चात् स्वाति नक्षत्र का उदय नहीं  
होगा, क्योंकि अभी चित्रा नक्षत्र का उदय नहीं है ।

विवेचन-हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा और चित्रा के बाद  
स्वाति का उदय हाता है । यहा स्वाति का उदय प्रतिषेध्य है,  
उससे अविरुद्ध पूर्वचर चित्रा के उदय की अनुपलब्धि होने से यह  
अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि है ।

अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि

उत्तरचरानुपलब्धिर्यथा नोद्गमत पूर्वभद्रपदा मूह  
त्तत्पूर्वं उत्तरमद्रपदोद्गमानवलोकनात् ॥१०१॥

अर्थ—एक मुहूर्त्त पहले पूर्वमद्रपदा का उदय नहीं हुआ, क्योंकि अभी उत्तरमद्रपदा का उदय नहीं है ।

विवेचन—यहाँ प्रतिषेध्य पूर्वमद्रपदा का उदय है, उससे अविरुद्ध उत्तरचर उत्तरमद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि है ।

अविरुद्ध सहचरानुपलब्धि

सहचरानुपलब्धिर्यथा, नास्त्यस्य सम्यग्ज्ञानं, सम्यग्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०२॥

अर्थ—इस पुरुष में सम्यग्ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ प्रतिषेध्य सम्यग्ज्ञान है, उससे अविरुद्ध सहचर सम्यग्दर्शन की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध सहचरानुपलब्धि का उदाहरण है ।

विधिसाधक विरुद्धानुपलब्धि

विरुद्धानुपलब्धिस्तु विधिप्रतीतौ पञ्चधा ॥२०३॥

विरुद्ध कार्यकारणस्वभाव-व्यापकसहचरानुपलम्भभेदात् ॥१०४॥

अर्थ—विधि को सिद्ध करने वाली विरुद्धानुपलब्धि के पांच भेद हैं ॥

(१) विरुद्ध कार्यानुपलब्धि (२) विरुद्ध कारणानुपलब्धि

- ( ३ ) विरुद्धस्वभावानुपलब्धि ( ४ ) विरुद्ध ध्यापकानुपलब्धि  
 ( ५ ) विरुद्ध सहचरानुपलब्धि ॥

### विरुद्ध कार्यानुपलब्धि

विरुद्ध कार्यानुपलब्धियथा—अत्र प्राणिनि रोगाति-  
 शय समस्ति, नीरोगव्यापारानुपलब्धे ॥१०५॥

अय—इस प्राणी में रोग का अतिशय है, क्योंकि नीरोग  
 चेष्टा नहीं देखी जाती ।

विवेचन—यहाँ राग का अतिशय साध्य है, उससे विरुद्ध  
 नीरोगता है और नीरोगता के काय की चेष्टा को—यहाँ अनुपलब्धि  
 है । अतः यह विरुद्ध कार्यानुपलब्धि है ।

### विरुद्ध कारणानुपलब्धि

विरुद्ध कारणानुपलब्धियथा, विद्यतेऽत्र प्राणिनि  
 कण्टमिष्टसयोगाभावात् ॥१०६॥

अय—इस प्राणी को कण्ट है, क्योंकि इष्टसयोग का  
 अभाव है ।

विवेचन—यहाँ साध्य कण्ट है । इससे विरुद्ध सुख है ।  
 उसका कारण इष्टमिष्टों का सयोग है और उसका अभाव है ।  
 अतः यह विरुद्ध कारणानुपलब्धि है ।

### विरुद्ध स्वभावानुपलब्धि

विरुद्ध स्वभावानुपलब्धियथा वस्तुजातमनेकान्ता  
 त्मक, एकान्तस्वभावानुपलम्भात् ॥२०७॥

अर्थ—वस्तु-समूह अनेकान्तरूप है क्योंकि एकान्त स्वभाव की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ अनेकान्तरूपता साध्य से विरुद्ध एकान्त स्वभाव की अनुपलब्धि है । अतः यह विरुद्धस्वभावानुपलब्धि है ।

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धिर्यथा अस्त्यत्र छाया, औष्ण्यानुपलब्धेः ॥१०८॥

अर्थ—यहाँ छाया है, क्योंकि उष्णता की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ छाया-साध्य से विरुद्ध व्यापक उष्णता की अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है ।

विरुद्ध सहचरानुपलब्धि

विरुद्ध सहचरानुपलब्धिर्यथा—अस्त्यस्य मिथ्याज्ञानं सम्यग्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०९॥

अर्थ—इस पुरुष में मिथ्याज्ञान है, क्योंकि सम्यग्दर्शन की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ मिथ्याज्ञान-साध्य से विरुद्ध सहचर सम्यग्ज्ञान की अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध सहचरोपलब्धि है ।

ऊपर बताये हुए तथा इसी प्रकार के अन्य हेतुओं को पहचानने का एक सुगम उपाय है—

(१) सबसे पहले साध्य को दखो । यदि सदभाव रूप हो तो हेतु को विधिसाधक और अभावरूप हो तो निषेधसाधक समझ लो ।

(२) इसी प्रकार हेतु यदि सदभाव रूप है तो उसे उपलब्धि समझो और निषेधरूप हो तो अनुपलब्धि समझो ।

(३) साध्य और हेतु—दोना यदि सदभावरूप हों या दोनो अभावरूप हा तो हेतु को 'अविरुद्ध' समझना चाहिये । दोनो में से कोई एक सदभावरूप हा और एक अभावरूप हो तो 'विरुद्ध' समझना चाहिए ।

(४) जत में साध्य और हेतु का परस्पर कसे सम्बन्ध है, इसका विचार करो । हेतु यदि साध्य में उत्पन्न होता है तो फाय होगा, साध्य का उत्पन्न करता है तो कारण होगा, पूर्वभावी है तो पूर्वचर होगा, बाद में होता है तो उत्तरचर होगा । अगर दोनों साथ साथ रहते हो तो सहचर होगा ।





# चतुर्थ परिच्छेद

## आगम प्रमाण का विवेचन



आगम का स्वरूप

आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागमः ॥१॥

उपचारादाप्तवचन च ॥१॥

अर्थ—आप्त के वचन से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं ॥

उपचार से आप्त का वचन भी आगम कहलाता है ॥

विवेचन—आप्त का स्वरूप अगले सूत्र में बताया जायगा । प्रामाणिक पुरुष को आप्त कहते हैं । आप्त के शब्दों को सुनकर श्रोता को पदार्थ का ज्ञान होता है । उसी ज्ञान को आगम कहते हैं । आगम के इस लक्षण से ज्ञात होता है कि आगम-ज्ञान में आप्त कारण होते हैं । अतः शब्द कारण है और ज्ञान कार्य है । कारण में कार्य का उपचार करने से आप्त के वचन भी आगम कहलाते हैं ।

आगम का उदाहरण

समस्त्यत्र प्रदेशे रत्ननिधानं, सन्ति रत्नसानुप्रभू-  
तयः ॥३॥

अर्थ—इस जगह रत्नों का खजाना है, मेरु पर्वत आदि हैं ।

विवेचन-आगम के यहाँ दो उदाहरण हैं । इन वाक्यों को सुनने से होने वाला ज्ञान आगम कहलाता है, और ये दोनों वाक्य उपचार से आगम हैं । आगे आप्त के दो भेद बतायेंगे, उन्हीं की अपेक्षा यहाँ दो उदाहरण बताये हैं ।

आप्त का स्वरूप

अभिधेय वस्तु यथावस्थित यो जानीते, यथाज्ञान  
चाभिधत्ते स आप्त ॥४॥

तस्य हि वचनमविसवादि भवति ॥५॥

अर्थ-कही जाने वाली वस्तु को जो ठीक ठीक जानता हो और जैसी जनता हो वसी ही कहता है, वह आप्त है ॥

उस यथायनाता और यथाय वक्ता का कथन ही विसवाद-रहित होता है ।

विवेचन-मिथ्या भाषण के दो कारण होते हैं—(१) अज्ञान और (२) कषाय । मनुष्य किसी वस्तु का स्वरूप 'ठीक-ठीक नहीं जानता हो फिर भी उस वस्तु का कथन करे तो उसका कथन मिथ्या होगा । अथवा वस्तु का स्वरूप ठीक-ठीक जानकर भी कोई कषाय के कारण अयथा भाषण करता है । उसका भी कथन मिथ्या होता है जिस पुरुष में यह दोनों कारण न हो अर्थात् जिस वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान हो और अपने ज्ञान के अनुसार ही भाषण करता हो, उसका कथन मिथ्या नहीं हो सकता । ऐसे ही पुरुष को आप्त कहते हैं ।

आप्त के भेद

स च द्वेषा-लौकिको लोकोत्तरश्च ॥६॥

लौकिको जनकादिः, लोकोत्तरस्तु तीर्थकरादि ॥७॥

अर्थ-आप्त दो प्रकार के होते हैं-( १ ) लौकिक आप्त और ( २ ) लोकोत्तर आप्त ।

पिता आदि लौकिक आप्त हैं और तीर्थङ्कर आदि लोकोत्तर आप्त हैं ॥

विवेचन-लोकव्यवहार में पिता माता आदि प्रामाणिक होते हैं अतः वे लौकिक आप्त हैं और मोक्षमार्ग के उपदेश में तीर्थकर, गणधर आदि प्रामाणिक होते हैं इसलिए वे लोकोत्तर आप्त हैं ।

मीमांसक लोग सर्वज्ञ नहीं मानते हैं । उनके मत के अनुसार कोई भी पुरुष, कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता । उनसे कोई कहे कि जब सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो आपके आगम भी सर्वज्ञोक्त नहीं हैं । फिर उन्हें प्रमाण कैसे माना जाय ? तब वे कहते हैं- 'वेद हमारा मूल आगम है और वह न सर्वज्ञोक्त है न असर्वज्ञोक्त, है । वह किसी का उपदेश नहीं है, किसी ने उसे बनाया नहीं है । वह अनादिकाल से यो ही चला आ रहा है । इसी कारण वह प्रमाण है ।' मीमांसको के इस मत का विरोध करते हुए यहाँ यह प्रतिपादन किया गया है कि आप्तोक्त होने से ही कोई वचन प्रमाण हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

वचन का लक्षण

वर्णपदवाक्यात्मक वचनम् ॥८॥

अकारादि पौदगलिको वर्ण ॥९॥

वर्णानाम-योन्यापेक्षाणा निरपेक्षा सहति पदम्,

पदाना तु वाक्यम् ॥१०॥

अर्थ-वर्ण, पद और वाक्य रूप बचन कहलाता है ।

भाषावगणा से बने हुए 'अ' आदि वर्ण कहलाते हैं ॥

परस्पर सापेक्ष वर्णों के निरपेक्ष समूह को पद कहते हैं और परस्पर सापेक्ष पदों के निरपेक्ष समूह को वाक्य कहते हैं ॥

विवेचन-वर्ण पद और वाक्य य मिलकर वचन कहलाते हैं । अ आ आदि स्वरों का तथा क, ख, आदि व्यंजनों को वर्ण कहते हैं । ये वर्ण भाषावगणा नामक पुदगल द्रव्य से बनते हैं । इन वर्णों के पारस्परिक मेल से पद बनता है और पदों के मेल से वाक्य बनता है ।

वर्णों का मेल जब ऐसा होता है कि उसमें किसी और वर्ण को मिलाने की आवश्यकता न रहे और मिले हुए वही वर्ण किसी अर्थ का बोध करावे तभी उसे पद कह सकते हैं निरर्थक वर्ण समूह को पद नहीं कह सकते । जैसे 'महावीर' यह वर्ण-समूह पद है, क्योंकि इससे वधमान भगवान के अर्थ का बोध होता है और इस अर्थबोध के लिये और किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार पदों का वही समूह वाक्य कहलाता है, जो योग्य अर्थ का बोध कराता हो और अर्थ के बोध के लिए अर्थ किसी पद की अपेक्षा न रखता हो ।

शब्द अर्थबोधक कसे हैं ?

स्वाभाविकमामर्थ्यसमयाभ्यामर्थबोधनिबन्धन  
शब्द ॥११॥

अर्थ-स्वाभाविक शक्ति और संकेत के द्वारा शब्द, पदार्थ का बोधक होता है ।

विवेचन-शब्द को सुनकर उससे पदार्थ का बोध क्यों होता है ? इस प्रश्न का यहाँ समाधान किया गया है । शब्द के पदार्थ का ज्ञान होने के दो कारण हैं-(१) शब्द की स्वाभाविक शक्ति और (२) संकेत ।

(१) स्वाभाविक शक्ति-जैसे ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ का बोध कराने की स्वाभाविक शक्ति है उसी प्रकार शब्द में अभिधेय पदार्थ का बोध करा देने की शक्ति है । इस शक्ति को योग्यता अथवा वाच्य-वाचक शक्ति भी कहते हैं ।

संकेत-प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक पदार्थ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है । किन्तु एक ही शब्द यदि सत्तार से समस्त पदार्थों का वाचक बन जायगा तो लोक-व्यवहार नहीं चलेगा लोक-व्यवहार के लिये यह आवश्यक है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ का ही वाचक हो । ऐसी नियतता लाने के लिये संकेत की आवश्यकता है ।

अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविक प्रदीपवत्, यथा-  
थार्थार्थत्वे पुनः पुरुषगुणदोषावनुसरतः ॥१२॥

अर्थ-जैसे दीपक स्वभाव से पदार्थ को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द स्वभाव से पदार्थ को प्रकाशित करता है; किन्तु सत्यता और असत्यता पुरुष के गुण-दोष पर निर्भर है ।

विवेचन-दीपक के समीप अच्छा या बुरा जो भी पदार्थ होगा उसीको दीपक प्रकाशित करेगा उसी प्रकार शब्द वक्ता

द्वारा प्रयोग किये जाने पर पदार्थ का बोध करा देगा, चाहे वह पदार्थ वास्तविक हो या अवास्तविक काल्पनिक हो या सत्य हो। तात्पर्य यह है कि शब्द का काय पदार्थ का बोध करना है, उसमें सच्चाई और झुठाई वक्ता के गुणों और दोषों पर निर्भर है। वक्ता यदि गुणवान् होगा तो शाब्दिक ज्ञान सत्य होगा, वक्ता यदि दोषी होगा तो शाब्दिक ज्ञान मिथ्या होगा।

### शब्द का प्रवृत्ति

सवत्राय ध्वनिविधिप्रतिषेधाभ्या स्वायमभिदधान  
सप्तमगीमनुगच्छति ॥१३॥

अथ—शब्द, सवत्र विधि और निषेध के द्वारा अपने वाच्य-अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ सप्तमगी के रूप में प्रवृत्त होता है।

### सप्तमगी का स्वरूप

एकत्र यस्तु एकैकधमपर्यनुयोगवशादविरोधेन व्यस्तयो  
समस्तयोश्च विधिनिषेधयो कल्पनया स्यात्काराङ्कित  
सप्तधावाकप्रयोग सप्तमङ्गो ॥१४॥

अथ—एक ही यस्तु में किसी एक धर्म ( गुण ) सम्बन्धी प्रश्न के अनुरोध से सात प्रश्नार के वचन प्रयोग को सप्तमगी कहते हैं। वह वचन 'स्यात्' पद से युक्त होता है और उसमें कहीं विधि की विवक्षा होती है, कहीं निषेध की विवक्षा होती और कहीं दानों की विवक्षा होती है।

विवेचन—प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म पाये जाते हैं, अथवा यों कहें कि अनन्त धर्मों का पिंड ही पदार्थ कहलाता है। इन

अनन्त धर्मों से किसी एक धर्म को लेकर कोई पूछे कि, अमुक धर्म सत् है ? या असत् है ? या सत् और असत् उभय रूप है ? इत्यादि । तो इन प्रश्नों के अनुसार उभय एक धर्म के विषय में सात प्रकार के उत्तर देने पड़ेंगे । प्रत्येक उत्तर के साथ ' स्यात् ' ( कथंचित् ) शब्द जुड़ा होगा । कोई उत्तर विधि रूप होगा—अर्थात् कोई उत्तर हाँ में होगा, कोई नहीं में होगा । किन्तु विधि और निषेध में विरोध नहीं होना चाहिए । इस प्रकार सात प्रकार के उत्तर को अर्थात् वचन-प्रयोग को सप्तभंगी कहते हैं ।

सप्तभंगी से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि पदार्थ में धर्म किस प्रकार से रहते हैं ।

सात भंग

तद्यथा-स्यादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः ॥१५॥

स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधकल्पनया द्वितीयो भङ्गः ॥१६॥

स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव क्रमतो विधिनिषेधकल्पनया तृतीयः ॥१७॥

स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्विधिनिषेधकल्पनया चतुर्थः ॥१८॥

स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधि कल्पनया युगपद् विधिनिषेधकल्पनया च पञ्चमः ॥१९॥

स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निषेधकल्पनया युगपद् विधिनिषेधकल्पनया च षष्ठः ॥२०॥

स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति 'क्रमतो  
विधिनियेधकल्पनया युगपद् विधिनियेधकल्पनया च सप्तम  
इति ॥२१॥

१ अर्थ—स्यात् (क्यञ्चित्) सब पदाय है, इस प्रकार विधि  
की कल्पना से पहला भग होता है ॥

२ क्यचित् सब पदाय नहीं है, इस प्रकार नियेध की  
कल्पना से दूसरा भग होता है ॥

३ क्यचित् सब पदाय है, क्यचित् नहीं है, इस प्रकार क्रम  
से विधि और नियेध कल्पना से तीसरा भग होता है ॥

४ क्यचिन् सब पदाय अवक्तव्य है, इस प्रकार एक साथ  
विधिनियेध की कल्पना से चौथा भग होता है ॥

५ क्यचित् सब पदाय है और क्यचित् अवक्तव्य है, इस  
प्रकार की कल्पना से और एक साथ विधि नियेध की कल्पना से  
पाँचवाँ भग होता है ॥

६ क्यचित् सब पदाय नहीं है और क्यचित् अवक्तव्य है,  
इस प्रकार नियेध की कल्पना से और एक साथ विधि नियेध की  
कल्पना से छठवाँ भग होता है ॥

७ क्यचित् सब पदाय है, क्यचित् नहीं है, क्यचित्  
अवक्तव्य है इस प्रकार क्रम से विधि नियेध की कल्पना से और  
युगपद् विधि नियेध की कल्पना से सातवाँ भग होता है ।

विवेचन—सप्तभंगी के स्वरूप में बताया गया है कि एक ही  
धर्म के विषय में सात प्रकार के वचन प्रयोग को सप्तभंगी कहते



हैं। यहाँ सात प्रकार का वचन-प्रयोग करके सप्तभंग को ही स्पष्ट किया गया है। घट पदार्थ के एक अस्तित्व धर्म को लेकर सप्त-भंगी इस प्रकार बनती है—

(१) स्यात् अस्ति घटः (२) स्यात् नास्ति घटः (३) स्यात् अस्ति नास्ति घटः (४) स्यात् अवक्तव्यो घटः (५) स्यात् अस्ति अवक्तव्यो घटः (६) स्यात् नास्ति-अवक्तव्यो घटः (७) स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्यो घटः ।

यहाँ अस्तित्व धर्म को लेकर कहीं विधि, कहीं निषेध और कहीं विधि-निषेध दोनों क्रम से और कहीं दोनों एक साथ घट में बताये गये हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि घट यदि है तो नहीं कैसे है ? घट नहीं है तो है कैसे ? इस विरोध को दूर करने के लिये ही 'स्यात्' (कथंचित्) सबके साथ जोड़ा गया है। 'स्याद्' का अर्थ है, किसी अपेक्षा से। जैसे—

(१) स्यात् अस्ति घटः—घट कथंचित् है—अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से घट है।

(२) स्यात् नास्ति घटः—घट कथंचित् नहीं है—अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से घट नहीं है।

(३) स्यादस्ति नास्ति घटः—घट कथंचित् है, कथंचित् नहीं है—अर्थात् घट में स्व द्रव्यादि से अस्तित्व और पर द्रव्यादि से नास्तित्व है। यहाँ क्रम से विधि और निषेध की विवक्षा की गई है।

(४) स्यात् अवक्तव्यो घटः—घट कथंचित् अवक्तव्य है—जब विधि और निषेध दोनों की एक साथ विवक्षा होती है तब दोनों को

एक साथ बताने वाला कोई शब्द न होने से घट को अवक्तव्य कहना पडा है ।

(५) केवल विधि और एक साथ विधि निषेध की विवक्षा करने से 'घट ह और अवक्तव्य है' यह पांचवा भग बनता है ।

(६) केवल निषेध और एक साथ विधि निषेध दोनों की विवक्षा से 'घट नहीं है और अवक्तव्य है' यह छठा भग बनता है,

(७) क्रम से विधि निषेध—दोनों की और एक साथ विधि-निषेध दोनों की विवक्षा से घट नहीं है, और अवक्तव्य है' यह सातवा भग बनता है ।

प्रथम भग के एकान्त का निराकरण

विधिप्रधान एव ध्वनिरिति न साधु ॥२२

निषेधस्य तस्मादप्रतिपत्तिप्रसक्ते ॥२३॥

अप्राधान्येनैव ध्वनिस्तममि घत्ते इत्यप्यसार ॥२४॥

यवचित् कदाचित् कथञ्चित्प्राधान्येनाप्रतिपत्तस्य

तस्याप्राधान्यानुपपत्ते ॥२५॥

अय-शब्द प्रधानरूप से विधि का ही प्रतिपादन करता है, यह कथन ठीक नहीं ॥

क्योंकि शब्द से निषेध का ज्ञान नहीं हो सकेगा ॥

शब्द निषेध का अप्रधान रूप से ही प्रतिपादन करता है, यह कथन भी निस्सार है ।

क्योंकि जो वस्तु कहीं, कभी, किसी प्रकार प्रधान रूप से नहीं जानी गई है वह अप्रधान रूप से नहीं जानी जा सकती ।।

विवेचन-सप्तभंगी का स्वरूप बताते हुए शब्द को विधि-निषेध आदि का वाचक कहा गया है । यहाँ 'शब्द विधि का ही वाचक है' इस एकान्त का खण्डन किया गया है ।' इस खण्डन का प्रश्नोत्तर रूप से समझना सुगम होगा:-

एकान्तवादी-शब्द विधि का ही वाचक है, निषेध का वाचक नहीं है ।

अनेकान्तवादी-आपका कथन ठीक नहीं है । ऐसा मानने से तो निषेध का ज्ञान शब्द से होगा ही नहीं ।

एकान्तवादी-शब्द से निषेध का ज्ञान अप्रधान रूप से होता है, प्रधान रूप से नहीं ।

अनेकान्तवादी-जिस वस्तु को कभी कहीं प्रधानरूप में-असली:तौर पर-नहीं जाना उसे अप्रधान रूप में जाना नहीं जा सकता । अतः निषेध यदि कभी कहीं प्रधान रूप में नहीं जाना गया तो अप्रधान रूप से भी वह नहीं जाना जा सकता । जो असली केसरी को नहीं जानता वह पंजाव-केसरी को कैसे जानेगा ? अतएव:शब्द को विधि का ही वाचक नहीं मानना चाहिए ।

द्वितीय भग के एकान्त का निराकरण

निषेधप्रधान एव शब्द इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपा-  
स्तम् ॥२६॥

। अथ-शब्द प्रधान रूप से निषेध का ही वाचक है, यह एकांत कथन भी पूर्वोक्त 'याय' से खण्डित हो गया ।

विवेचन-शब्द यदि प्रधान रूप से निषेध का ही वाचक माना जाय तो उससे विधि का ज्ञान कभी नहीं होगा । विधि अप्रधान रूप से ही शब्द से मालूम होती है, यह कथन भी मिथ्या है, क्योंकि जिसे प्रधान रूप से कभी कहीं नहीं जाना उस गौण रूप में भी नहीं जान सकते ।

तृतीय भग के एकांत का निराकरण

क्रमादुभयप्रधान एवायमित्यपि न साधीय ॥२७॥

अस्य -विधिनिषेधान्यतरप्रधानत्वानुभवस्याऽप्यबा-  
ध्यमानत्वात् ॥२८॥

अथ-शब्द क्रम से विधि निषेध का ( तीसरे भग का ) ही प्रधान रूप से वाचक है ऐसा कहना भी समीचीन नहीं है ॥

क्योंकि शब्द अबेले विधि का और अबेले निषेध का प्रधान रूप से वाचक है इस प्रकार होने वाला अनुभव मिथ्या नहीं है ॥

विवेचन-शब्द सिर्फ तीसरे भग का वाचक है, इस एकांत का यहाँ खण्डन किया गया है, क्योंकि शब्द तीसरे भग की तरह प्रथम और द्वितीय का भी वाचक है ऐसा अनुभव होता है ।

चतुर्थ भग के एकांत का निराकरण

युगपद् विधिनिषेधात्मनोऽथस्याऽवाचक एवासा-  
विति च न चतुरस्रम् ॥२९॥

तस्यावक्तव्यशब्देनाप्यवाच्यत्वप्रसङ्गात् ॥३०॥

अर्थ—शब्द एक साथ विधि-निषेध रूप पदार्थ का अवाचक ही है, ऐसा कहना उचित नहीं है ॥

क्योंकि ऐसा मानने से पदार्थ अवक्तव्य शब्द से भी वक्तव्य नहीं होगा ॥

विवेचन—शब्द चतुर्थ भग अर्थात् अवक्तव्यता का ही प्रतिपादन करता है, ऐसा मान लेने पर पदार्थ सर्वथा अवक्तव्य हो जायगा; फिर वह अवक्तव्य शब्द से भी नहीं कहा जा सकेगा। अतः केवल चतुर्थ भंग का वाचक शब्द नहीं माना जा सकता।

पंचम भग के एकान्त का निराकरण

विध्यात्मनोऽर्थस्य वाचकः सन्नभयात्मनो युगपद-  
वाचक एव स इत्येकान्तोपि न कान्तः ॥३१॥

निषेधात्मना सह द्वयात्मनश्चार्थस्य वाचकत्वा-  
वाचकत्वाभ्यामपि शब्दस्य प्रतीयमानत्वात् ॥३२॥

अर्थ—शब्द विधि रूप पदार्थ का वाचक होता हुआ उभयात्मक-विधि निषेध रूप पदार्थ का युगपत् अवाचक ही है, अर्थात् पंचम भंग का ही वाचक है; ऐसा एकान्त मानना भी ठीक नहीं है ॥

क्योंकि शब्द निषेधरूप पदार्थ का वाचक और युगपत् द्वयात्मक ( विधि-निषेध रूप ) पदार्थ का अवाचक है, ऐसी भी प्रतीति होती है ॥

विवेचन-शब्द केवल पचम भग का ही वाचक है, - ऐसा मानना मिथ्या है क्योंकि वह 'स्यात् नास्ति अवक्तव्य' रूप छठे भग का वाचक भी प्रतीत होता है ।

षष्ठ भग के एकांत का निराकरण

निषेधात्मनोऽयस्यैव वाचक सन्नुभयात्मनो युगपद-  
वाचक एवायमित्यवधारण न रमणीयम् ॥३३॥

इतरथाऽपि सवेदनात् ॥३४॥

अर्थ-शब्द निषेध रूप पदाय का वाचक होता हुआ विधि-  
निषेध रूप पदाय का युगपत् अवचक ही है, ऐसा एकान्त निश्चय  
करना ठीक नहीं है ॥

क्योंकि अय प्रकार से भी शब्द पदार्थ का वाचक मालूम  
होता है ॥

विवेचन-शब्द सिफ नास्ति अवक्तव्यता रूप छठे भग का  
ही वाचक है ऐसा एकांत भी मिथ्या है क्योंकि शब्द प्रथम,  
द्वितीय आदि भगों का भी वाचक प्रतीत होता है ।

सातवे भग के एकान्त का निराकरण

क्रमाक्रमाभ्यामुभयस्यभावस्य भावस्य वाचकश्चावा-  
चकश्च ध्वनिर्नान्यथेत्यपि मिथ्या ॥३५॥

विधिमात्राविप्रधानतयाऽपि तस्य प्रसिद्धे ॥३६॥

अर्थ-शब्द क्रम से उभयरूप और युगपद् उभयरूप पदाय

का वाचक और अवाचक है अर्थात् सातवें ही भंग का वाचक है, यह एकान्त भी मिथ्या है।

क्योंकि शब्द केवल विधि आदि का भी वाचक है ॥

विवेचन-शब्द क्रम-से विधि निषेध रूप भी पदार्थ का वाचक और युगपत् विधि-निषेध रूप पदार्थ का अवाचक है, अर्थात् केवल सप्त भंग का ही वाचक है, यह एकान्त मन्यता भी मिथ्या है; क्योंकि शब्द प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि भंगों का भी वाचक है ।

भंग-मन्या पर शंका और समाधान

एकत्र वस्तुनिं विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्मा-  
भ्युपगमेनानन्तभंगीप्रसंगादसंगतैव सप्तभंगीति न-चेत्तसि  
निधेयम् ॥३७॥

विरुद्धनिषेधाप्रकारापेक्षया प्रतिपर्यायं वस्तुन्यनन्ता-  
नामापि सप्तभंगीनामेव सम्भवात् ॥३८॥

अर्थ—जीव आदि प्रत्येक वस्तु-में-विधि रूप और निषेधरूप अनन्तधर्म स्वीकार किये हे अतः अनन्तभंगी मानना चाहिए; सप्तभंगी मानना असंगत है। ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिये ॥

क्योंकि विधि-निषेध के भेद से, एक धर्म को लेकर एक वस्तु में अनन्त सप्तभंगियाँ ही हो सकती हैं—अनन्तभंगी नहीं हो सकती ॥

विवेचन-शंकाकार का कथन यह है कि जेनो ने एक वस्तु में अनन्त धर्म माने हे अतः उन्हें सप्तभंगी के बदले अनन्तभंगी माननी चाहिये। इसका उत्तर यह दिया गया है कि एक वस्तु में अनन्त धर्म

है और एक एक धम को लेकर एक एक सप्तमगी ही बनती है इसलिये अनन्त धर्मों की अनन्त सप्तमगिया होंगी । और अनन्त सप्तमगिया जैनों ने स्वीकार की ह ।

भगमम्बधी अन्याय शका समाधान

प्रतिपर्याय प्रतिपाद्यपयनुयोगाना सप्तानामेव सभवात्।३९  
 तेषामपि सप्तत्व सप्तविधतज्जिज्ञासानियमात् ॥४०॥  
 तस्या अपि मप्नविधत्व सप्नधव तत्सन्देहममुत्पादात्।४१।  
 तस्यापि सप्नप्रकारत्वनियम स्वगोचरवस्तुधर्माणा सप्त-  
 विधत्वस्यवोपपत्ते ॥४२॥

अर्थ—भग सात इस कारण हाते ह कि शिष्य के प्रश्न सात ही हो सकते ह ॥

सात प्रकार की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) होती है अतः प्रश्न सात ही होते ह ॥

सात ही सन्देह हात ह इसलिये जिज्ञासाएँ सात होती ह । सन्देह के विषयमूल अस्तित्व आदि वस्तु के धम सात प्रकार के होते हैं अतएव सन्देह भी सात ही होते ह ॥

विवेचन—वस्तु के एक धम को अपेक्षा सात ही भग क्यो होते ह ? पून या अधिक क्यो नहीं होते ? इस शका का समाधान करने के लिये यहा कारण परम्परा बताई है । सात भग इसलिये होते ह कि एक धम के विषय में शिष्य के प्रश्न सात ही



हो सकते हैं। सात ही प्रश्न इसलिये हो सकते हैं कि उसे जिज्ञासाएँ सात ही हो सकती हैं। जिज्ञासाएँ सात इसलिये होती हैं कि उसे सन्देह सात ही होते हैं। सन्देह सात इसलिये होते हैं कि सन्देह के विषयमूल अस्तित्व आदि प्रत्येक धर्म सात प्रकार के ही हो सकते हैं।

सप्तभंगी के दो भेद

इयं सप्तभंगी प्रतिभंग सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च ॥४३॥

अर्थ—यह सप्तभंगी प्रत्येक भंग में दो प्रकार की है—सकलादेश स्वभाववाली और विकलादेश स्वभाववाली।

विवेचन—जो सप्तभंगी प्रमाण के अधीन होती है वह सकलादेश स्वभाव वाली कहलाती है और जो नय के अधीन होती है वह विकलादेश स्वभाववाली होती है।

सकला देश का स्वरूप

प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यात् अभेदोपचारात् वा यौगपद्येन प्रतिपादकवचः सकलादेशः ।

अर्थ—प्रमाण से जानी हुई अनन्त धर्मोंवाली वस्तु को, काल आदि के द्वारा, अभेद प्रधानता से अथवा अभेद का उपचार करके, एक साथ प्रतिपादन करने वाला वचन सकलादेश कहलाता है ॥

विवेचन-वस्तु में अनन्त धर्म ह यह बात प्रमाण से सिद्ध है। अतएव किसी भी एक वस्तु का पूण रूप से प्रतिपादन करने के लिये अनन्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकता है। मगर ऐसा करने से लोक व्यवहार नहीं चल सकता। अतएव हम एक शब्द का प्रयोग करते ह। वह एक शब्द मुख्य रूप से एक धर्म का प्रतिपादन करता है, और शेष बचे हुए धर्मों को उस एक धर्म से अभिन्न मान लेते ह। इस प्रकार एक शब्द से एक धर्म का प्रतिपादन हुआ और उससे अभिन्न होने के कारण शेष धर्मों का भी प्रतिपादन हो गया। इस उपाय से एक ही शब्द एक साग अनन्त धर्मों का अर्थात् सम्पूण वस्तु का प्रतिपादक हो-जाता ह। इसीका सकलादेश कहते ह।

शब्द द्वारा साक्षात् रूप से प्रतिपादित धर्म से, शेष धर्मों का अमेद काल आदि द्वारा होता ह। काल आदि आठ ह—(१) काल (२) आत्मरूप (३) अय (४) सम्यग्ध (५) उपकार (६) गुणो देश (७) ससग (८) शब्द।

मान लीजिए, हमें अस्तित्व धर्म स अय धर्मों का अमेद करना ह तो वह इस प्रकार होगा—जीव में जिस काल में अस्तित्व है उसी काल में अय धर्म है अत काल की अपेक्षा अस्तित्व धर्म स अय धर्मों का अमेद ह। इसी प्रकार शेष सात की अपेक्षा भी अमेद समझना चाहिए। इसीको अमेद की प्रधानता कहते है। द्रव्याधिक नय का मुख्य और पर्यायिक नय को गौण करने से अमेद की प्रधानता हाती है। जब पर्यायिक नय मुख्य और द्रव्याधिक नय गौण होता है तब अनन्त गुण वास्तव में अभिन्न हो सकते। अतएव उन गुणों में अमेद का उपचार करना

पड़ता है। इस प्रकार अमेद की प्रधानता और अमेद के उपचार से एक साथ अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सकलादेश कहलाता है।

विकलादेश का स्वरूप

तद्विपरीतस्तु विकलादेशः ॥४५॥

अर्थ—सकलादेश से विपरीत वाक्य विकलादेश कहलाता है।

विवेचन—नय के विषयमूल वस्तु-धर्म का काल आदि द्वारा भेद की प्रधानता अथवा भेद के उपचार से, क्रम से प्रतिपादन करने वाला वाक्य विकलादेश कहलाता है। सकलादेश में द्रव्या-र्थिक नय की प्रधानता के कारण वस्तु के अनन्त धर्मों का अमेद किया जाता है, विकलादेश में पर्यायार्थिक नय की प्रधानता के कारण उन धर्मों का भेद किया जाता है। यहाँ भी कालादि आठ के आधार पर ही भेद किया जाता है। पर्यायार्थिक नय कहता है—एक ही काल में, एक ही वस्तु में, नाना धर्मों की सत्ता स्वीकार की जायगी तो वस्तु भी नाना रूप ही होगी—एक ही नहीं। इसी प्रकार नाना गुणों सम्बन्धी आत्मरूप भिन्न-भिन्न ही हो सकता है—एक नहीं। इत्यादि।

प्रमाण का प्रतिनियत विषय

तद् द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयप्रतिबन्धाकापगमवि-  
शेषस्वरूपसामर्थ्यतः प्रतिनियतमर्थमवद्योतयति ॥४६॥

अर्थ—वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का प्रमाण, अपना अपना आवरण करने वाले कर्मों के क्षमोपशम रूप शक्ति से नियत-नियत पदार्थ को प्रकाशित करता है।

विवेचन-परोक्ष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से परोक्ष प्रमाण उत्पन्न होता है और प्रत्यक्ष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार घट-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर घट का ज्ञान होता है और पट-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर पट का ज्ञान होता है। यही कारण है कि किसी ज्ञान में केवल घट ही प्रतीत होता है और किसी में सिर्फ पट ही प्रतीत होता है। सारांश यह है कि जिस पदार्थ को जानने वाले ज्ञान के आवरण का क्षयोपशम होगा वही पदार्थ उस ज्ञान में प्रकाशित होगा। इस प्रकार क्षयोपशमरूप शक्ति ही नियत नियत पदार्थों को प्रकाशित करने में कारण है।

#### मतान्तर का खण्डन

न तदुत्पत्तितदाकारताभ्या, तयो पार्थक्येन साम-  
स्त्येन च व्यभिचारोपलम्भात् ॥४७॥

अर्थ-तदुत्पत्ति और तदाकारता से प्रतिनियत पदार्थ को जानने की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि अकेली तदुत्पत्ति में, अकेली तदाकारता में और तदुत्पत्ति तदाकारता दोनों में व्यभिचार पाया जाता है।

विवेचन-ज्ञान का पदार्थ से उत्पन्न होना तदुत्पत्ति है और ज्ञान का पदार्थ के आकार का होना तदाकारता है। बौद्ध इन दोनों से प्रतिनियत पदार्थ का ज्ञान होना मानते हैं। उनका कथन है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ के आकार का होता है, वह ज्ञान उसी पदार्थ को जानता है। इस प्रकार तदुत्पत्ति और तदाकारता

से ही ज्ञान नियत घट आदि को जानता है, क्षयोपशम रूप शक्ति से नहीं । बौद्धों के इस मत का यहाँ खण्डन किया है ।

बौद्धों की मान्यता के अनुसार पूर्व क्षण, उत्तर क्षण को उत्पन्न करता है और उत्तर क्षण, पूर्व क्षण के आकार का ही होता है । इस मान्यता के अनुसार घट के प्रथम क्षण से अन्तिम क्षण उत्पन्न होता है अतएव वहाँ तदुत्पत्ति होने पर भी अन्तिम क्षण, प्रथम क्षण को नहीं जानता यह तदुत्पत्ति में व्यभिचार है । इसी प्रकार एक स्तम्भ समान आकार वाले दूसरे स्तम्भ को नहीं जानता यह तदाकारता में व्यभिचार है । जल में प्रतिविम्बित होनेवाला चन्द्रमा, आकाश के चन्द्रमा से उत्पन्न हुआ और उसी आकार का भी है, अतः वहाँ तदुत्पत्ति और तदाकारता दोनों ही फिर भी जल-चन्द्र, आकाश-चन्द्र को नहीं जानता । यह तदुत्पत्ति और तदाकारता दोनों में व्यभिचार है ।

यदि यह कही कि यह सब जड़ पदार्थ है, इसलिये नहीं जानते तो पूर्वकालीन घट-ज्ञान से उत्तरकालीन घट-ज्ञान उत्पन्न होता है और वह तदाकार भी है और ज्ञान-रूप भी है, फिर भी वह उत्तरकालीन घट ज्ञान पूर्वकालीन घट ज्ञान को नहीं जानता ( घट को ही जानता है ) अतएव ज्ञानरूपता होने पर भी तदुत्पत्ति और तदाकारता में व्यभिचार आता है ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि तदुत्पत्ति और तदाकारता अलग-अलग या मिलकर भी प्रतिनियत पदार्थ के ज्ञान में कारण नहीं है, किन्तु ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम से यह ही व्यवस्था होती है ।

# पचम परिच्छेद

## प्रमाण के विषय का निरूपण

—●—  
प्रमाण का विषय

तस्य विषय सामान्यविशेषाद्यनेकान्तात्मक वस्तु॥१॥

अथ—सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्मों वाली वस्तु प्रमाण का विषय है ।

विवेचन—सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्मों का समूह ही वस्तु है । अनेक पदार्थों में एकसी प्रतीति उत्पन्न करने वाला और उन्हें एक ही शब्द का वाच्य बनाने वाला धर्म सामान्य कहलाता है । जैसे अनेक गायों में 'यह भी गौ है, यह भी गौ है', इस प्रकार का ज्ञान और शब्द प्रयोग कराने वाला 'गोत्व धर्म' सामान्य है । इससे विपरीत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद कराने वाला धर्म विशेष कहलाता है, जैसे उहीं अनेक गायों में नीलापन, ललाई, सफेदी आदि । सामान्य और विशेष जैसे वस्तु के स्वभाव ह उसी प्रकार और भी अनेक धर्म उसके स्वभाव ह । ऐसी अनेक स्वभाव वाली वस्तु ही प्रमाण का विषय है ।

सामान्य-विशेषरूपता का समर्थन

अनुगतविशिष्टाकारप्रतीतिविषयत्वात्, प्राचीनोत्तरा-

कारपरित्यागोपादानावस्थानस्वरूपपरिणत्यार्थक्रियासामर्थ्यघटनाच्च ॥ २ ॥

अर्थ-सामान्य विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय है, क्योंकि वह अनुगत प्रतीति ( सदृश ज्ञान ) और विशष्टाकार प्रतीति ( भेद-ज्ञान ) का विषय होता है । दूसरा हेतु-क्योंकि पूर्व पर्याय के विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप और दोनों पर्यायों में अवस्थिति रूप परिणति से अर्थक्रिया की शक्ति देखी जाती है ।

विवेचन-जिन पदार्थों में एक दृष्टि से हमें सदृशता-समानता की प्रतीति होती है उन्हीं पदार्थों में दूसरी दृष्टि से विसदृशता-विशेष की प्रतीति भी होने लगती है । दृष्टि में भेद होने पर भी जब तक पदार्थ में सदृशता और विसदृशता न हो तब तक उनकी प्रतीति नहीं हो सकती । इससे यह सिद्ध है कि पदार्थ में सदृशता की प्रतीति उत्पन्न करने वाला सामान्य है और विसदृशता की प्रतीति उत्पन्न करने वाला विशेष धर्म भी है ।

इसके अतिरिक्त पदार्थ पर्यायरूप से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी द्रव्य रूप में अपनी स्थिति कायम रखता है । इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यमय होकर ही वह अपनी क्रिया करता है । यहाँ उत्पाद-व्यय पदार्थ की विशेषरूपता सिद्ध करते हैं और ध्रौव्य सामान्यरूपता सिद्ध करता है ।

इन दोनों हेतुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के धर्म हैं ।

सामान्य का निरूपण

सामान्यं द्विप्रकार-तिर्यङ्सामान्यमूर्ध्वतासामान्यञ्च । ३ ।

प्रतिव्यक्ति तुल्या परिणतिस्तिर्यकसामान्य, शबल-  
शाबलेयादिपिण्डेषु गोत्व यथा ॥४॥

पूर्वापरपरिणामसाधारण द्रव्यमूर्ध्वतासामान्य, कटक  
ककणाद्यनुगामिकाञ्चनवत् ॥५॥

अथ सामान्य दो प्रकार का ह-तियक सामान्य और  
ऊध्यता सामान्य ॥

प्रत्येक व्यक्ति में समान परिणाम को तियक सामान्य  
कहते हैं, जस-चित्तकवरी, श्याम लाल आदि गायों में 'गोत्व'  
तियक् सामान्य है ।

पूव पर्याय और उत्तर पर्याय में समान रूप से रहने वाला  
द्रव्य ऊध्यतासामान्य कहलाता है, जैसे-कड़े ककण आदि पर्यायों  
में समान रहने वाला सुवर्ण द्रव्य ऊर्ध्वता सामान्य है ॥

विवेचन-तियक सामान्य और ऊध्यता सामान्य के उदा-  
हरणों को देखने से विदित होगा कि ध्यान-पूर्वक एक काल में  
अनेक व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानता तियक् सामान्य है  
और अनेक कालों में एक ही व्यक्ति में पाई जाने वाली समानता  
ऊध्यता सामान्य है । दोनों सामान्यों के स्वरूप में यही भेद है ।

विशेष का निरूपण

विशेषोऽपि द्विरूपो-गुण पर्यायश्च ॥६॥

गुण सहभावी धर्मो, यथा-आत्मनि विज्ञानव्यक्ति-  
शक्त्यादय ॥७॥



पर्यायस्तु क्रमभावी, यथा-तत्रैव सुखदुःखादि ॥८॥

अर्थ—विशेष भी दो प्रकार का है—गुण और पर्याय ॥

सहभावी अर्थात् सदा साथ रहने वाले घर्म को गुण कहते हैं ।

जैसे—वर्तमान में विद्यमान कोई ज्ञान और भावी ज्ञान रूप परिणाम की योग्यता ।

एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं, जैसे आत्मा में सुख-दुःख आदि ॥

विवेचन—सदैव द्रव्य के साथ रहने वाले घर्मों को गुण कहते हैं । जैसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन सदा रहते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता । अतएव यह आत्मा के गुण हैं । रूप, रस, गंध स्पर्श सदैव पुद्गल के साथ रहते हैं—पुद्गल से एक क्षण भर के लिये भी कभी न्यारे नहीं होते, अत. रूप आदि पुद्गल के गुण हैं । गुण द्रव्य की भाँति अनादि अनन्त होते हैं ।

पर्याय इससे विपरीत है । वह उत्पन्न होती रहती है और नष्ट भी होती रहती है । आत्मा जब मनुष्य-भव का त्याग कर देव भव में जाती है तब मनुष्य-पर्याय का विनाश हो जाता है और देव-पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है । एक वस्तु की एक पर्याय का नाश होने पर उसके स्थान पर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है अतएव पर्याय को क्रमभावी कहा है ।

# षष्ठ परिच्छेद प्रमाण के फल का निरूपण

\*\*\*

प्रमाण के फल की व्याख्या

यत्प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम् ॥१॥

अर्थ—प्रमाण के द्वारा जो साधा जाय—निष्पन्न किया जाय,  
वह प्रमाण का फल है ।

फल के भेद

तद द्विविधम्—आनन्तर्येण पारम्पर्येण च ॥२॥

अर्थ—फल दो प्रकार का है—अनन्तर (साक्षात्) फल, और  
परम्परा फल (परोक्ष फल)

फल निणय

तत्रानन्तर्येण सद्यप्रमाणानामज्ञाननिवृत्ति फलम् ॥३॥

पारम्पर्येण केवलज्ञानस्य तावत्फलमौदासीन्यम् ॥४॥

शेषप्रमाणाना पुनरुपादानहानोपेक्षाबुद्धय ॥५॥

अर्थ—अज्ञान की निवृत्ति होना सद्य प्रमाणों या साक्षात्  
फल है ।

केवलज्ञान का परम्परा फल उदासीनता है ॥

शेष प्रमाणों का परम्पराफल ग्रहण करने की बुद्धि, त्याग-बुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि होना है ॥

विवेचन-प्रमाण के द्वारा किसी पदार्थ को जानने के बाद ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वह अनन्तर फल या साक्षात् फल है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि सभी ज्ञानों का साक्षात् फल अज्ञान का हट जाना ही है ।

अज्ञान-निवृत्ति-रूप साक्षात् फल के फल को परम्परा फल कहते हैं क्योंकि यह अज्ञाननिवृत्ति से उत्पन्न होता है । परम्परा फल सब ज्ञानों का समान नहीं है । केवली भगवान केवल ज्ञान से सब पदार्थों को जानते हैं, पर न तो उन्हें किसी पदार्थ को ग्रहण करने की बुद्धि होती है, न किसी पदार्थ को त्यागने की ही । वीतराग होने के कारण सभी पदार्थों पर उनका उदासीनता का भाव रहता ही है ।

केवलज्ञान के अतिरिक्त शेष सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल-पारमार्थिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों का परम्परा फल समान है । ग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करने का भाव, त्याज्य पदार्थों को त्यागने का भाव और उपेक्षणीय पदार्थों पर उपेक्षा करने का भाव होना इन प्रमाणों का परम्परा फल है ।

प्रमाण और फल का भेदाभेद

तत्प्रमाणतः स्याद्भिन्नमभिन्नं च, प्रमाणफलत्वान्यथानुपपत्तेः ॥६॥

अर्थ-प्रमाण का फल प्रमाण से कश्चित् मिश्र है, कश्चित् अभिन्न है, अथवा प्रमाण फलपन नहीं बन सकता ।

विवेचन-प्रमाण से प्रमाण का फल सवथाभिन्न माना जाय तो दोष आता है और सवथा अभिन्न माना जाय 'तब भी दोष आता है, इसलिए कश्चित् मिश्र अभिन्न मानना ही उचित है ।

फल, प्रमाण से सर्वथा मिश्र माना जाय तो दोनों में कुछ भी सम्बन्ध न होगा फिर 'इस प्रमाण का यह फल है' ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और सवथा अभिन्न माना जाय तो दोनों एक ही वस्तु हो जाएँगे-प्रमाण और फल अलग अलग दो वस्तुएँ सिद्ध न हो सकेंगी ।

दोष परिहार

उपादानबुद्ध्यादिना प्रमाणाद् मिश्रेण व्यवहितफलेन हेतोव्यभिचार इति न विभावनीयम् ॥७॥

तस्यैकप्रमातृतावात्म्येन प्रमाणादभेदव्यवस्थिते ॥८॥

प्रमाणतया परिणत्स्यैवात्मन फलतया परिणति-प्रतीते ॥९॥

य प्रमिमोते स एवोपावत्ते परित्यजत्युपेक्षते चेति सवसव्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात् ॥१०॥

इतरथा स्वपरयो प्रमाणफलव्यवस्थाविप्लव प्रस-ज्येत ॥११॥

अर्थ-उपादान बुद्धि आदि प्रमाण से सवथा मिश्र परम्परा

फल से 'प्रमाणफलत्वान्यथानुपपत्ति' रूप हेतु में व्यभिचार आता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ॥

क्योंकि परम्परा फल भी प्रमाता के साथ तादात्म्य संबन्ध होने के कारण प्रमाण से अभिन्न है ॥

क्योंकि प्रमाण रूप से परिणत आत्मा का ही फल रूप से परिणमत होना अनुभव सिद्ध है ॥

जो जानता है वही वस्तु को ग्रहण करता है, वही त्यागता है, वही उपेक्षा करता है, ऐसा सभी व्यवहार-कुशल लोगो को अनुभव होता है ॥

यदि ऐसा न माना जाय तो स्व और पर के प्रमाण के फल की व्यवस्था नष्ट हो जायगी ॥

विवेचन—प्रमाण का फल, प्रमाण से कथंचित् भिन्न-अभिन्न है, क्योंकि वह प्रमाण का फल है । जो प्रमाण से भिन्न-अभिन्न नहीं होता वह प्रमाण का फल नहीं होता, जैसे घट आदि । इस प्रकार के अनुमान-प्रयोग में दूसरों ने प्रमाण के परम्परा-फल से व्यभिचार दिया । उन्होंने कहा—'परम्परा फल भिन्न-अभिन्न नहीं है फिर भी वह प्रमाण का फल है, अतः आपका हेतु सदोष है ।' इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि परम्परा फल भी सर्वथा भिन्न नहीं है किन्तु कथंचित् भिन्न-अभिन्न है । अतएव हमारा हेतु सदोष नहीं है ।

शंका—उपादान बुद्धि आदि परम्परा फल अभिन्न कैसे है ?

समाधान—एक प्रमाता से प्रमाण और परम्परा फल का तादात्म्य होने से ।

शका-एक प्रमाता में दोनों का तादात्म्य कैसे है ?

समाधान-जिस आत्मा में प्रमाण होता है उसी में उसका फल होता है अर्थात् जो आत्मा वस्तु का जानता है उसी आत्मा में ग्रहण आदि करने की बुद्धि उत्पन्न होती है । एक के जानने से दूसरे में ग्रहण या त्याग करने की भावना उत्पन्न नहीं होती, इससे प्रमाण और फल का एक ही प्रमाता में तादात्म्य सिद्ध होता है ।

शका-ऐसा न माने तो हानि क्या है ?

समाधान-प्रथम तो यह कि सभी जोगों को ऐसा ही अनुभव होता है, अतः ऐसा न मानने से अनुभव विरोध होगा । इसका अतिरिक्त ऐसा न मानने से प्रमाण फल की व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी । देवदत्त के जानने से जिनदत्त उस वस्तु का ग्रहण कर लेगा और जिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उसका त्याग कर देगा । अर्थात् एक को प्रमाण होगा और दूसरे को इसका फल मिल जायगा ।

इस प्रव्यवस्था से घबहने के लिये प्रमाण के परम्पराफल का भी प्रमाण से कयचित् अभिन्न ही मानना चाहिए और ऐसा मान लेने से हेतु में व्यभिचार भी नहीं आता ।

पुनः दोष-परिहार

अज्ञाननिवृत्तिरूपेण प्रमाणाद्यभिन्नेन साक्षात्फलेन साधनस्यानेकात् इति नाशङ्कनीयम् ॥

कथञ्चित्तस्यापि प्रमाणाद् भेदे व्यवस्थानात् ॥ १३ ॥

साध्यसाधाभावेन प्रमाणफलयोः प्रतीयमानत्वात् ॥ १४ ॥

प्रमाणं हि करणाख्यं साधनं, स्वपरव्यवसितौ साधक-  
तमत्वात् ॥१५॥

स्वपरव्यवसितिक्रियारूपाज्ञाननिवृत्त्याख्यं फलं तु  
साध्यम्, प्रमाणनिष्पाद्यत्वात् ॥१६॥

अर्थ-प्रमाण से सर्वथा अभिन्न अज्ञाननिवृत्तिरूप साक्षात्  
फल से हेतु में व्यभिचार आता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए ॥

क्योकि वह साक्षात् फल भी प्रमाण से कथंचित् भिन्न है-  
सर्वथा अभिन्न नहीं है ।

कथंचित् भेद इसलिये है कि प्रमाण और फल साध्य और  
साधन रूप से प्रतीत होते हैं ॥

प्रमाण करणरूप साधन है, क्योकि वह स्व-पर के निश्चय  
में साधकतम है ॥

स्व-पर का निश्चय होना रूप अज्ञाननिवृत्ति फल साध्य है,  
क्योकि वह प्रमाण से उत्पन्न होता है ॥

विवेचन-पहले परम्परा फल को प्रमाण से सर्वथा भिन्न  
मान कर हेतु में दोष दिया गया था, यहाँ साक्षात् फल को सर्वथा  
अभिन्न मानकर हेतु में व्यभिचार दोष दिया गया है । तात्पर्य यह  
है कि साक्षात् फल, प्रमाण का फल है पर प्रमाण से कथंचित्  
भिन्न-अभिन्न नहीं है । इस प्रकार साध्य के अभाव में हेतु रहने से  
व्यभिचार दोष है ।

किन्तु हेतु में साक्षात् फल से व्यभिचार दोष नहीं है, क्योकि

परम्परा फल की भाँति साक्षात् फल भी प्रमाण से कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न है ।

शका—आपने ज्ञान को प्रमाण माना है, अज्ञान निवृत्ति को साक्षात् फल माना है और इन दोनों में कथञ्चित् भेद भी कहते हैं । पर ज्ञान में और अज्ञाननिवृत्ति में क्या भेद है ? यह दोनों एक ही मालूम होते हैं ?

समाधान—ज्ञान ही अज्ञान-निवृत्ति नहीं है, परन्तु ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होती है । अतः ज्ञान रूप प्रमाण साधन है और अज्ञान निवृत्ति रूप फल साध्य है ।

प्रमाता और प्रमिति का भेदाभेद

प्रमातुरपि स्वपरव्यवसितिक्रियाया कथञ्चित् भेदः १७।  
कर्तृक्रिययो साध्यसाधकभावेनोपलम्भात् ॥१८॥

कर्ता हि साधक स्वतंत्रत्वात्, क्रिया तु साध्या कर्तृ-  
निर्वर्त्यत्वात् ॥१९॥

अर्थ—प्रमाता (ज्ञाता) से भी स्व पर का निश्चय होना रूप क्रिया का कथञ्चित् भेद है ॥

क्योंकि कर्ता और क्रिया में साध्य साधकभाव पाया जाता है ॥

स्वतंत्र होने के कारण कर्ता साधक है और कर्ता द्वारा उत्पन्न होने के कारण क्रिया साध्य है ॥

विशेषण—यहाँ कर्ता (प्रमाता) और क्रिया (प्रमिति) का कथञ्चित् भेद बताया गया है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा—



क्रिया से कर्ता कथंचित् भिन्न है, क्योंकि दोनों में साध्य-साधक संबंध है। जहाँ साध्य-साधक सम्बन्ध होता है वहाँ कथंचित् भेद होता है; जैसे देवदत्त में और जाने में

कर्ता साधक है और क्रिया साध्य है।

एकान्त का खण्डन

न च क्रिया क्रियावतः सकाशादभिन्नैव भिन्नैव वा, प्रतिनियतक्रियाक्रियावद्भावभङ्गप्रसङ्गात् ॥२०॥

अर्थ—क्रिया, क्रियावान् (कर्ता) से न एकान्त भिन्न है और न एकान्त अभिन्न है। एकान्त भिन्न या अभिन्न मानने से नियत 'क्रिया-क्रियावत्त्व' का अभाव हो जायगा।

विवेचन—योग लोग क्रिया और क्रियावान् में एकान्त भेद मानते हैं और बौद्ध दोनों में एकान्त अभेद मानते हैं। ये दोनों एकान्त मिथ्या हैं। यदि क्रिया और क्रियावान् में एकान्त भेद माना जाय तो यह 'क्रिया इस क्रियावान् की है' ऐसा नियत सम्बन्ध नहीं सिद्ध होगा। मान लीजिये, देवदत्त क्रियावान्, गमन क्रिया कर रहा है, मगर वह क्रिया देवदत्त से इतनी भिन्न है जितनी जिनदत्त से भिन्न है। तब वह क्रिया जिनदत्त की न होकर देवदत्त की ही क्यों कहलायगी? किन्तु वह क्रिया देवदत्त की ही कहलाती है, इससे यह सिद्ध होता है कि क्रिया देवदत्त (क्रियावान्) से कथंचित् अभिन्न है।

इससे विपरीत, बौद्धों के कथनानुसार अगर क्रिया और क्रियावान् में एकान्त अभेद मान लिया जाय तो भी यह क्रिया इस

क्रियावान की है' ऐसा सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता। एकात्म अन्वय मानने पर या तो क्रिया की ही प्रतीति होगी या कर्त्ता की ही प्रतीति होगी—दोनों अलग-अलग प्रतीत नहीं होंगे। एक ही पदार्थ क्रिया और कर्त्ता दोनों नहीं हो सकता। अतएव क्रिया और क्रियावान में कश्चित् भेद भी मानना चाहिए।

### शून्यवादी का खण्डन

सर्वत्र प्रमाणफलव्यवहार इत्यप्रामाणिकप्रलाप,  
परमार्थन स्वाभिमतसिद्धिविरोधात् ॥२१॥

अन्वय-प्रमाण और फल का व्यवहार काल्पनिक है ऐसा कहना अप्रामाणिक लोगों का प्रलाप है, क्योंकि ऐसा मानने से उसका मत वास्तविक सिद्ध नहीं हो सकता ॥

विश्लेषण-प्रमाण मिथ्या-काल्पनिक है, और प्रमाण का फल भी मिथ्या है, ऐसा शून्यवादी माध्यमिक का मत है। इस प्रकार प्रमाण को मिथ्या मानने वाला शून्यवादी अपना मत प्रमाण से सिद्ध करेगा या बिना प्रमाण के ही ? अगर प्रमाण से सिद्ध करना चाहे तो मिथ्या प्रमाण से वास्तविक मत कैसे सिद्ध होगा ? अगर बिना प्रमाण के ही सिद्ध करना चाहे तो अप्रामाणिक बात कौन स्वीकार करेगा ? इस प्रकार शून्यवादी अपने मत को वास्तविक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता।

### निष्कर्ष

तत पारमार्थिक एव प्रमाणफलव्यवहार सकल-  
पुरुषार्थसिद्धिहेतु स्वीकर्तव्य ॥२२॥

अर्थ—अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला प्रमाण और प्रमाण-फल का व्यवहार वास्तविक ही स्वीकार करना चाहिए ।

## आभासों का निरूपण

\* \* \*

प्रमाणस्य स्वरूपादिचतुष्टयाद्विपरीतं तदाभासम् ॥२३॥

अर्थ—प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय और फल से विपरीत स्वरूप आदि स्वरूपाभास, संख्याभास, विषयाभास और फलाभास कहलाते हैं ।

विवेचन—प्रमाण का जो स्वरूप पहले बतलाया है उससे भिन्न स्वरूप, स्वरूपाभास है । प्रमाण के भेदों से भिन्न प्रकार के भेद मानना संख्याभास है । प्रमाण के पूर्वोक्त विषय से भिन्न विषय मानना विषयाभास है और पूर्वोक्त फल से भिन्न मानना फलाभास है ।

स्वरूपाभास का कथन

अज्ञानात्मकानात्मप्रकाशकस्वमात्रावभासकनिर्विकल्पकसमारोपाः प्रमाणस्य स्वरूपाभासाः ॥२४॥

यथा सन्निकर्षाद्यस्वसंविदितपरानवभासकज्ञान-दर्शनविपर्यय-संशयानध्यवसायाः ॥२५॥

अर्थ—अज्ञान-अनात्मप्रकाशक-स्वमात्रप्रकाशक-निर्विकल्पक ज्ञान और समारोप प्रमाण के स्वरूपाभास हैं ॥

जसे सन्निकर्ष, स्व को न जानने वाला ज्ञान पर को न जानने वाला ज्ञान, दशन, विषय, सशय और अनध्यवसाय ।।

विवेचन-प्रमाण के स्वरूप से स्वरूपाभास की तुलना करने से विदित हागा कि स्वरूपाभास स्वरूप से सवथा विपरीत है ।

अज्ञान रूप सन्निकर्ष को प्रमाण का स्वरूप कहना, स्व को अथवा पर को न जानने वाले ज्ञान का प्रमाण कहना, अनिश्चयात्मक ज्ञान अथवा दशन को प्रमाण कहना या समारोप को प्रमाण कहना, प्रमाण का स्वरूप भास है ।

स्वरूपाभास हाने का कारण

तेभ्य स्व-परव्यवसायस्यानुपपत्ते ॥२६॥

अथ-पूर्वोक्त ज्ञान आदि से स्व पर का व्यवसाय नहीं हो सकता (इतलिये वे स्वरूपाभास ह) ।

विवेचन-प्रमाण का स्वरूप बताते समय कहा गया था कि जो ज्ञान स्व और पर का यथाय निश्चय करने वाला हो वही प्रमाण हो सकता है, पर स्वरूपाभासों की गणना करते समय जो ज्ञान बताये ह उनसे स्व पर का यथाय निश्चय नहीं होता, अतएव वे स्वरूपाभास ह । इन ज्ञानों में कोई स्व का निश्चायक नहीं, कोई पर का निश्चायक नहीं कोई स्व पर दोनों का निश्चायक नहीं है और निर्विकल्पक, दर्शन तथा समारोप यथाय निश्चायक नहीं ह । सन्निकर्ष ज्ञान रूप नहीं है । अत इनमें प्रमाण का स्वरूप घटित नहीं होता ।

माव्यवहारिक प्रयदाभाग

सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमिव यदाभासते तत्तदाभासम् ॥२७॥

यथा-अम्बुधरेषु गन्धर्वनगरज्ञानं, दुःखे सुखज्ञानञ्च ॥२८॥

अर्थ—जो ज्ञान वास्तव में सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष न हो किंतु सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष मरीखा ज्ञान पड़ता हो वह सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास है ॥

जैसे—मेघों में गन्धर्व-नगर का ज्ञान होना और दुःख में सुख का ज्ञान होना ॥

विवेचन—सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास का लक्षण स्पष्ट है । यहाँ 'मेघों में गन्धर्व-नगर का ज्ञान', यह उदाहरण इन्द्रिय निवन्धन सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास का उदाहरण है, क्योंकि यह इन्द्रियो से होता है 'और दुःख में सुख का ज्ञान' यह उदाहरण अनिन्द्रियनिवन्धन-सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास का उदाहरण है, क्योंकि यह ज्ञान मन से उत्पन्न होता है ।

पारमार्थिक प्रत्यक्षाभास

पारमार्थिकप्रत्यक्षमिव यदाभासते तत्तदाभासम् ॥२९॥

यथा-शिवाख्यस्य राजर्षेरसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु सप्तद्वीप-समुद्रज्ञानम् ॥३०॥

अर्थ—जो ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष न हो किन्तु पारमार्थिक प्रत्यक्ष मरीखा झलके उसे पारमार्थिक प्रत्यक्षाभास कहते हैं ॥

जैसे—शिव नामक राजर्षि का असंख्यात द्वीप-समुद्रों में से सिर्फ सात द्वीप समुद्रों का ज्ञान ॥

विवेचन—शिव राजर्षि को विभंगावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ

था । उस ज्ञान से ऋषि को सात द्वीप समुद्रों का ज्ञान हुआ—आगे के द्वीप समुद्र उन्हें मालूम नहीं हुए । तब उन्होंने यह प्रसिद्ध किया कि मध्यलोक में सिर्फ सात द्वीप और सात समुद्र हैं, अधिक नहीं । ऋषि के इस विभग ज्ञान का कारण मिथ्यात्व था । अतएव यह उदाहरण अधिज्ञानाभास का है । मन पर्याय ज्ञान और केवल-ज्ञान के आभास कभी नहीं होते, क्योंकि यह दोनों ज्ञान मिथ्या-दृष्टि को नहीं होते ।

### स्मरणाभास

अननुभूते वस्तुनि तदिति ज्ञान स्मरणाभामम् ॥३१॥

अननुभूते मुनिमण्डले तन्मुनिमण्डलमिति यथा ॥३२॥

अथ—पहले जिसका अनुभव न हुआ हो उस वस्तु में 'वह' ऐसा ज्ञान होना स्मरणाभास है ॥

जसे—जिस मुनि मण्डल का पहले अनुभव न हुआ हो उसमें 'वह मुनिमण्डल' ऐसा ज्ञान होना ॥

विवेचन—जिस मुनिमण्डल को पहले कभी नहीं जाना बेला, उसका 'वह मुनि मण्डल' इस प्रकार स्मरण करना स्मरणाभास है । क्योंकि स्मरणज्ञान अनुभूत पदार्थ में ही होता है ।

### प्रत्यभिज्ञानाभास

तुल्ये पदार्थे स एवायमिति, एकस्मिंश्च तेन तुल्य इत्यादि ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभासम् ॥३३॥

यमलयजातवत ॥३४॥

अर्थ—समान पदार्थ में 'यह वही है' ऐसा ज्ञान होना और उसी पदार्थ में 'यह उसके समान है' इत्यादि ज्ञानों को प्रत्यभिज्ञानाभास कहते हैं ॥

जैसे—एक साथ उत्पन्न होने वाले बालकों में विपरीत ज्ञान हो जाना ॥

विवेचन—देवदत्त के समान दूसरे व्यक्ति को देखकर 'यह वही देवदत्त है' ऐसा ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञानाभास है । तात्पर्य यह है कि सदृशता में एकता की प्रतीति होना एकत्वप्रत्यभिज्ञानाभास है और एकता में सदृशता प्रतीत होना सादृश्यप्रत्यभिज्ञानाभास है ।

तर्काभास

असत्यामपि व्याप्ती तदवभासस्तर्काभासः ॥३५॥

स श्यामो मैत्रतनयत्वादित्यत्र यावान्मैत्रतनयः स श्याम इति ॥३६॥

अर्थ—व्याप्ति न होने पर भी व्याप्ति का आभास होना तर्काभास है ।

जैसे—वह व्यक्ति काला है, क्योंकि मैत्र का पुत्र है; यहाँ पर 'जो जो मैत्र का पुत्र होता है वह काला होता है' ऐसी व्याप्ति मालूम होना ॥

विवेचन—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, पर जहाँ वास्तव में व्याप्ति न हो वहाँ व्याप्ति की प्रतीति होना तर्काभास है । जैसे—

'मत्र के पुत्र' हेतु के साथ कालेपन की व्याप्ति नहीं है फिर भी व्याप्ति की प्रतीति हुई अतः यह मिथ्या व्याप्ति ज्ञान तर्कमास है।

अनुमानाभास

पक्षाभासाविगमुत्य ज्ञानमनुमानाभासम् ॥३७॥

अर्थ-पक्षाभास आवि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमानाभास है ॥

विवेचन-पक्ष, हेतु दृष्टान्त, उपनय और निगमन, अनुमान के अवयव हैं। इन पाँचों अवयवों में से किसी एक के मिथ्या होने पर अनुमानाभास हो जाता है। अतएव यहाँ पाँचों अवयवों के आभास आग बताये जायेंगे। इन सब आभासों को ही अनुमानाभास समझना चाहिए।

पक्षाभास

तत्र प्रतीतनिराकृतानमीप्सितसाध्यधर्मविशेषणा-  
स्त्रय पक्षाभासा ॥३८॥

अर्थ-पक्षाभास तीन प्रकार का है। (१) प्रतीतसाध्यधर्म-विशेषण (२) निराकृत साध्यधर्मविशेषण (३) अनमीप्सित साध्यधर्मविशेषण-पक्षाभास।

विवेचन-साध्य को अप्रतीत, अनिराकृत और अभीप्सित बताया है, उससे विरुद्ध साध्य जिस पक्ष में बताया जाय वह पक्षाभास है।



प्रतीतसाध्यधर्म विशेषण पक्षाभास

प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-आर्हतात्प्रति अवधारणवज्ज्य परेण प्रयुज्यमानः समस्ति जीव इत्यादिः ॥३९॥

अर्थ-जैनों के प्रति अवधारण (एव-ही) के बिना 'जीव है' इस प्रकार कहना प्रतीतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन— 'जीव है' यहाँ जीव पक्ष है और 'है' साध्य है । यह साध्य जैनों को प्रतीत सिद्ध है । अतः इस पक्ष का साध्य-धर्म रूप विशेषणपक्षाभास हो गया । यदि इस पक्ष में 'एव-ही' का प्रयोग किया गया होता तो यह साध्य अप्रतीत होता क्योंकि जैन जीव में एकान्त अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु पर-रूप से नास्तित्व भी मानते हैं ।

निराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास के भेद

प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्व-वचनादिभिः साध्यधर्मस्य निराकरणादनेकप्रकारः ॥४०॥

अर्थ-निराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास, प्रत्यक्ष निराकृत, अनुमाननिराकृत, आगमनिराकृत, लोकनिराकृत और स्व-वचननिराकृत आदि के भेद से अनेक प्रकार का है ।

प्रत्यक्षनिराकृत

प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-नास्ति भूत-बिलक्षण आत्मा ॥४१॥

अथ—‘पाँच भूतों से भिन्न आत्मा नहीं है’ यह प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन—पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच भूतों से भिन्न आत्मा का स्वसवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव होता है, अतः ‘भूतों से भिन्न आत्मा नहीं है’ यह पक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है ।

अनुमाननिराकृत

अनुमाननिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा—नास्ति सर्वज्ञो वीतरागो वा ॥४२॥

अर्थ—‘सर्वज्ञ अथवा वीतराग नहीं है’ यह अनुमाननिराकृतसाध्यधर्मविशेषणपक्षाभास है ।

विवेचन—अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ और वीतराग की सत्ता सिद्ध है, अतः ‘सर्वज्ञ या वीतराग नहीं है’ यह प्रतिज्ञा अनुमान से बाधित है ।

आगमनिराकृत

आगमनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा—जैनो रजनिभोजनं भजनीयम् ॥४३॥

अर्थ—‘जैनो को रात्रि भोजन करना चाहिए’ यह आगमनिराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन—जैन आगमों में रात्रि भोजन का निषेध किया गया है । कहा है—

अत्यंगयस्मि आइच्चे पुरत्या य अणुंगए ।

आहारमाइयं सत्वं मणसा वि ण पत्थए ॥

अर्थात् सूर्य अस्त हो जाने पर और पूर्व दिशा में उदित होने से पहले सब प्रकार के आहार आदि की मन में इच्छा भी न करे ।

रात्रि-भोजन का निषेध करने वाले इस आगम से 'जैनों को रात्रि में भोजन करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है ।

लोकनिराकृत

लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-न पारमार्थिकः

प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ॥४४॥

अर्थ—'प्रमाण और प्रमाण से प्रतीत होने वाले घट-पट आदि पदार्थ काल्पनिक हैं' यह लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन—लोक में प्रमाण द्वारा प्रतीत होने वाले सब पदार्थ सच्चे माने जाते हैं और ज्ञान भी वास्तविक माना जाता है, अतएव उनकी काल्पनिकता लोक-प्रतीति से बाधित होने के कारण यह प्रतिज्ञा लोकबाधित है ।

स्ववचनबाधित

स्ववचननिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-नास्ति

प्रमेयपरिच्छेदकं प्रमाणम् ॥४५॥

अर्थ—'प्रमाण, प्रमेय को नहीं जानता' यह स्ववचन निराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन—प्रमाण, प्रमेय (घट आदि) को नहीं जानता, ऐसा कहने वाले से पूछना चाहिए—तुम प्रमाण को जानते या नहीं ? यदि नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि प्रमाण, प्रमेय को नहीं जानता ? अगर जानते हो तो तुम्हारा ज्ञान प्रमाण है या नहीं ? नहीं है तो तुम्हारा कथन कोई स्वीकार नहीं कर सकता । यदि तुम्हारा ज्ञान प्रमाण है तो उसने प्रमाण सामान्य रूप प्रमेय का जाना है, यह बात तुम्हारे ही कथन से सिद्ध हो जाती है । अतएव प्रमाण प्रमेय को नहीं जानता यह प्रतिज्ञा स्ववचन बाधित है ।

‘मेरी माता बध्या है’ ‘म आजीवन मौनी हूँ,’ इत्यादि अनेक स्ववचन बाधित के उदाहरण समझ लेना चाहिए ।

अनभोप्सितसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास

अनभोप्सितसाध्यधर्मविशेषणो यथा—स्याद्वादिन  
शाश्वतिक एव कलशादिरशाश्वतिक एव वेति वदत ॥४६॥

अर्थ—घट एकांत नित्य है अथवा एकांत अनित्य है, ऐसा बोलने वाले जन का पक्ष अनभोप्सित साध्य धर्म-विशेषण पक्षाभास होगा ।

विवेचन—जिस पक्ष का साध्य वादी को स्वयं इष्ट न हो, वह अनभोप्सित सा० ध० वि० पक्षाभास कहलाता है । जन अनेकांतवादी है । वे घट को एकांत नित्य या एकांत अनित्य नहीं मानते । फिर भी अगर कोई जन ऐसा पक्ष बोलें तो वह अनभोप्सित सा० ध० वि० पक्षाभास होगा ।

इत्वाभास वे भेद

असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासा ॥४७॥

अर्थ-हेत्वाभास तीन हैं-( १ ) असिद्ध हेत्वाभास ( २ ) विरुद्धहेत्वाभास ( ३ ) अनेकान्तिक हेत्वाभास ।

विवेचन-जिसमें हेतु का लक्षण न हो फिर भी जो हेतु सरीखा प्रतीत होता हो वह हेत्वाभास है । उसके उपर्युक्त तीन भेद हैं ।

### असिद्ध हेत्वाभास

यस्यान्ययानुपपत्तिः, प्रमाणेन न प्रतीयते सोऽसिद्धः । ४८ ।

स द्विविध उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धश्च ॥ ४९ ॥

उभयासिद्धो यथा-परिणामी शब्दः चाक्षुषत्वात् ॥ ५० ॥

अन्यतरासिद्धो यथा-अचेतनास्तरवो, विज्ञानेन्द्रिया-  
युनिरोधलक्षणमरणरहितत्वात् ॥ ५१ ॥

अर्थ-जिसकी व्याप्ति प्रमाण से निश्चित न हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं ॥

वह दो प्रकार का है-उभयासिद्ध और अन्यतरासिद्ध ॥

‘शब्द परिणामी है, क्योंकि चाक्षुष है,’ यहाँ चाक्षुषत्व हेतु उभयासिद्ध है ।

‘वृक्ष अचेतन है, क्योंकि वे ज्ञान, इन्द्रिय और आयु की समाप्ति रूप मृत्यु से रहित हैं’ यहाँ अन्यतरासिद्ध हेतु है ॥

विवेचन--जो हेतु वादी को, प्रतिवादी को अथवा दोनों को सिद्ध नहीं होता वह असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है । जो दोनों को सिद्ध न हो वह उभयासिद्ध होता है । जैसे यहाँ शब्द का चाक्षुषत्व

दोनों को सिद्ध नहीं है, क्योंकि शब्द आक्ष से नहीं दीक्षता बल्कि कान से सुनाई देता है ।

वृक्ष अचेतन ह, क्योंकि वे ज्ञान इन्द्रिय और मरण से रहित ह, यहा ज्ञान इन्द्रिय और मरण से रहित हैं' यह हेतु चादी बौद्ध को सिद्ध है किन्तु प्रतिवादी जैन को सिद्ध नहीं है । क्योंकि जन लोग वृक्षों में ज्ञान, इन्द्रिय और मरण का होना स्वीकार करते ह । अत केवल प्रतिवादी को असिद्ध होने के कारण यह हेतु अयतरासिद्ध है ।

विरुद्ध हेत्वाभास

साध्यविषययेणैव यस्यान्यथानुपपत्तिरध्यवसीयते स विरुद्ध ॥५२॥

यथा नित्य एव पुरुषोऽनित्य एव वा, प्रत्यभिज्ञानादि-  
मत्त्वात् ॥५६॥

अय-साध्य से विपरीत के पदाय के साथ जिसकी व्याप्ति निश्चित हो वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है ॥

जैसे-पुरुष सवथा नित्य या सवथा अनित्य ही है, क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञान आदि वाला है ॥

विवेचन-यहाँ सवथा नित्यता अथवा सवथा अनित्यता साध्य ह, इस साध्य से विपरीत कयचित अनित्यता है । और कय-चित नित्यता अथवा कयचित अनित्यता के साथ ही 'प्रत्यभिज्ञान आदि वाले' हेतु की व्याप्ति निश्चित है । अर्थात् जो सवथा

नित्यता और सर्वथा अनित्यता से विरुद्ध कयंचित् नित्य होता है वही प्रत्यभिज्ञानवान् होता है । अतः यह विरुद्ध हेत्वाभास है ।

अनैकान्तिक हेत्वाभास

यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिह्यते सोऽनैकान्तिकः ॥५४॥

सद्वेधा निर्णीतविपक्षवृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षवृत्तिकश्च ॥५५॥

निर्णीतविपक्षवृत्तिको यथा-नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् ॥५६॥

सन्दिग्धविपक्षवृत्तिको यथा-विवादापन्नः पुरुषः सर्वज्ञो

न भवति वक्तृत्वात् ॥५७॥

अर्थ—जिस हेतु की अन्यथानुपपत्ति ( व्याप्ति ) में सन्देह हो वह अनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है ॥

अनैकान्तिक हेत्वाभास दो प्रकार का है—निर्णीतविपक्ष-वृत्तिक और सन्दिग्ध विपक्षवृत्तिक ।

शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय है, यहाँ प्रमेयत्व हेतु निर्णीतविपक्षवृत्तिक है ।

विवादग्रस्त पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वक्ता है; यहाँ वक्तृत्व हेतु सन्दिग्ध विपक्ष वृत्तिक है ।

विवेचन—जहाँ साध्य का अभाव हो वह विपक्ष कहलाता है । और विपक्ष में जो हेतु रहता हो वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है । जिस हेतु का विपक्ष में रहना निश्चित हो वह निर्णीतविपक्ष-वृत्तिक है और जिस हेतु का विपक्ष में रहना सन्दिग्ध हो वह सन्दिग्धविपक्षवृत्तिक अनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है ।

शब्द नित्य है, क्योंकि प्रमेय है, यहा नित्यता साध्य है । इस साध्य का अभाव घट आदि अनिय पदार्थों में पाया जाता है अतः घट आदि विपक्ष हुए और उनमें प्रमेयत्व (हेतु) निश्चित रूप से रहता है (क्योंकि घट आदि भी प्रमेय प्रमाण के विषय-ह) इसलिए प्रमेयत्व हेतु निर्णायकविपक्षवृत्तिक अनैकान्तिक हेत्वाभास हुआ

विवादग्रस्त पुरुष सवन नहीं है क्योंकि वक्ता है, यहाँ सव-ज्ञाता का अभाव साध्य है । इस साध्य का अभाव सवज्ञ में पाया जाता है अतः सवज्ञ विपक्ष हुआ । उस विपक्ष सवज्ञ में वक्तृत्व रह सकता है, अतः यह हेतु सदिग्धविपक्षवृत्तिक अनैकान्तिक हेत्वाभास है ।

विरुद्ध हेत्वाभास विपक्ष में ही रहता है और अनैकान्तिक हेत्वाभास पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहता है । अनैकान्तिक को व्यभिचारी हेतु भी कहते हैं ।

दृष्टान्ताभास

साधर्म्येण दृष्टान्ताभासो नवप्रकार ॥५८॥

साध्यधर्मविकल, साधनधर्मविकल, उभयधर्म-विकल, सदिग्धसाध्यधर्म, सदिग्धसाधनधर्म, सदिग्धो-भयधर्म, अनन्वयो, अप्रदर्शितावयो, विपरीतान्वय-इत्येति ॥५९॥

अय-साधम दृष्टान्ताभास के नौ भेद हैं ॥

(१) साध्यधर्मविकल (२) साधनधर्मविकल (३) उभयधर्म-विकल (४) सदिग्धसाध्यधर्म (५) सदिग्धसाधनधर्म (६) सदिग्ध उभयधर्म (७) अनन्वय (८) अप्रदर्शितावय और (९) विपरीतान्वय ।



विवेचन-साधर्म्य दृष्टान्त में साध्य और साधन का निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिये । जिस दृष्टान्त में साध्य का, साधन का, या दोनों का अस्तित्व हो, या अस्तित्व अनिश्चित हो अथवा साधर्म्य दृष्टान्त का ठीक तरह प्रयोग न किया गया हो वह साधर्म्य दृष्टान्ताभास कहलाता है ।

(१) साध्य-विकलदृष्टान्ताभास

तत्रापौरुषेयः शब्दोऽमूर्त्तत्वात्, दुःखवदिति साध्य-धर्म विकलः ॥६०॥

अर्थ-शब्द अपौरुषेय है, क्योंकि अमूर्त्त है, जैसे दुःख । यहाँ दुःख उदाहरण साध्यविकल है क्योंकि उसमें अपौरुषेयत्व साध्य नहीं रहता ॥

(२) साधनधर्मविकल दृष्टान्ताभास

तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुवदिति साधनधर्म विकलः ॥६१॥

अर्थ-इसी प्रतिज्ञा में और इसी हेतु में 'परमाणु' का उदाहरण साधनविकल है ।

विवेचन-शब्द अपौरुषेय है क्योंकि अमूर्त्त है, जैसे परमाणु; यहाँ परमाणु में अमूर्त्तता हेतु नहीं पाया जाता, क्योंकि परमाणु मूर्त्त है । अतः यह साधनविकल दृष्टान्ताभास हुआ ।

(३) उभयधर्मविकल दृष्टान्ताभास

कलशवदित्युभयधर्मविकलः ॥६२॥

अय-पूर्वोक्त अनुमान में फलश का उदाहरण देना उभय-विकल है ।

विवेचन-फलश पुरुषकृत और मूत्त है अतः उसमें अपौरुषेयत्व साध्य और अमूत्तत्व हेतु दोनों नहीं ह ।

सदिग्धसाध्यधम दृष्टान्ताभास

रागादिमानय चकतृत्वात्, देवदत्तवदिति सदिग्ध-साध्यधर्मा ॥६३॥

अय-यह पुरुष राग आदि वाला है, क्योंकि चकता है, उसे देवदत्त । यहाँ देवदत्त दृष्टान्त सदिग्धसाध्यधम है ।

विवेचन-जिस दृष्टान्त में साध्य का रहना सदिग्ध हो वह दृष्टान्त सदिग्धसाध्यधम कहलाता है । देवदत्त में राग आदिक साध्य के रहने में सदेह है अतः देवदत्त दृष्टान्त सदिग्धसाध्यधम है ।

(५) सदिग्धसाधनधम दृष्टान्ताभास

मरणधर्माऽपि रागादिमत्त्वामैत्रवदिति सदिग्ध-साधनधर्मा ॥६४॥

अय-'यह पुरुष मरणशील है' क्योंकि रागादिवाला है । मरण मत्र दृष्टान्त सदिग्धसाधनधम है ।

विवेचन-मत्र नामक पुरुष में रागादित्य हेतु के रहने में सदेह है, अतः मत्र उदाहरण सदिग्धसाधनधमदृष्टान्ताभास है ।

(६) सदिग्ध-उभयधर्मदृष्टान्ताभाम

नायं सर्वदर्शी रागादिमत्त्वान्मुनिविशेषवदित्युभय-  
धर्मा ॥६५॥

अर्थ--यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि रागादि वाला है जैसे  
अमुक मुनि । यह संदिग्ध-उभय दृष्टान्ताभास है । क्योंकि अमुक  
मुनि में सर्वज्ञता का अभाव और रागादिमत्त्व दोनों का ही संदेह है ।

(७) अनन्वय दृष्टान्ताभाम

रागादिमान् विवक्षितः पुरुषो वक्तृत्वादिष्टपुरुष-  
वदित्यनन्वयः ॥६६॥

अर्थ--विवक्षित पुरुष रागादि वाला है, क्योंकि वक्ता है,  
जैसे कोई इष्ट पुरुष ।

विवेचन--जिस दृष्टान्त में अन्वय व्याप्ति न बन सके उसे  
अनन्वय दृष्टान्ताभास कहते हैं । यहाँ इष्ट पुरुष में रागादिमत्त्व  
और वक्तृत्व दोनों मौजूद रहने पर भी जो जो वक्ता होता है वह  
वह रागादि वाला होता है' ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं बनती ।  
क्योंकि अर्हन्त भगवान् वक्ता है, पर रागादि वाले नहीं हैं । अतः  
' इष्ट पुरुष ' यह दृष्टान्त अनन्वय दृष्टान्ताभास है ।

(८) अप्रदर्शितान्वय दृष्टान्ताभाम

अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्, घटवदित्यप्रदर्शितान्वयः ॥६७॥

अर्थ--शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है, जैसे घट । यहाँ घट  
दृष्टान्त अप्रदर्शितान्वय दृष्टान्ताभास है ।

विवेचन—जिस दृष्टान्त में अवयव्याप्ति तो हो किंतु वादी ने घचन द्वारा उसका फयन न किया हो, उसे अप्रदर्शितावय दृष्टान्ताभास कहते हैं। यहाँ घट में अनित्यता और कृतकता भी है, मगर अवयव प्रदर्शित न करने के कारण ही यह दोष है।

### (९) विपरीतावय दृष्टान्ताभास

अनित्य शब्द कृतकत्वात्, यदनित्य तत्कृतक, घट-  
वदित्तिविपरीतान्वय ॥६८॥

अथ—शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है, जो अनित्य होता है, वह कृतक होता है, जैसे घट। यह विपरीतावय दृष्टान्ताभास है।

विवेचन—अवयव व्याप्ति में साधन हाने पर साध्य का होना बताया जाता है, पर यहाँ साध्य क हाने पर साधन का होना बताया गया है, इसलिए यह विपरीत अवयव हुआ। यह विपरीत अवयव घट दृष्टान्त में बताया गया है अतः घट दृष्टान्त विपरीतावय दृष्टान्ताभास है।

### वधम्य दृष्टान्ताभास

वधर्म्येणापि दृष्टान्ताभासो नवधा ॥६९॥

असिद्धसाध्यव्यतिरेको, ऽसिद्धसाधनव्यतिरेको ऽसिद्धो-  
भयव्यतिरेक, सदिग्धमाध्यव्यतिरेक सदिग्ध साधनव्य-  
तिरेक, सदिग्धोभयव्यतिरेको, ऽव्यतिरेको, ऽप्रदर्शितव्यति-  
रेको, विपरीतव्यतिरेकश्च ॥७०॥

अथ वधम्य दृष्टान्ताभास नौ प्रकार का है।

(१) असिद्धसाध्यव्यतिरेक (२) असिद्धसाधनव्यतिरेक (३) असिद्ध उभयव्यतिरेक (४) संदिग्धसाध्यव्यतिरेक (५) संदिग्धसाधनव्यतिरेक (६) संदिग्धोभयव्यतिरेक (७) अव्यतिरेक (८) अप्रदर्शितव्यतिरेक (९) विपरीतव्यतिरेक ॥

विवेचन-वैधर्म्यं दृष्टान्त में निश्चित रूप में साध्य और साधन का अभाव दिखाना पड़ता है। जिस दृष्टान्त में साध्य का, साधन का या दोनों का अभाव न हो या अभाव संदिग्ध हो अथवा अभाव ठीक तरह बताया न गया हो वह वैधर्म्यं दृष्टान्ताभास कहलाता है। उसके भी नौ भेद हैं।

असिद्धसाध्यव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाणत्वात्, यत्पुनर्भ्रान्तं न भवति न तत् प्रमाणं यथा स्वप्नज्ञानमिति-असिद्धसाध्यव्यतिरेकः, स्वप्नज्ञानाद् भ्रान्तत्वस्यानिवृत्तिः ॥७१॥

अर्थ-अनुमान भ्रान्त है क्योंकि वह प्रमाण है, जो भ्रान्त नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता, जैसे स्वप्नज्ञान। यहाँ 'स्वप्नज्ञान' यह उदाहरण असिद्ध-साध्य व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि स्वप्नज्ञान में भ्रान्तता (साध्य) का अभाव नहीं है।

(२) असिद्धसाधनव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं प्रमाणत्वात्, यत्तु सविकल्पकं न तत्प्रमाणं यथा लङ्गिकमित्यासिद्धसाधनव्यतिरेको, लङ्गिकात् प्रमाणत्वस्यानिवृत्तिः ॥७२॥

अथ-प्रत्यक्ष निर्विकल्पक (अनिश्चयात्मक) है, क्योंकि वह प्रमाण है। जो निर्विकल्पक नहीं होता वह प्रमाण नहीं होता जैसे अनुमान। यहाँ 'अनुमान' दृष्टान्त असिद्धसाधनव्यतिरेक दृष्टान्ताभास है क्योंकि उसमें 'प्रमाणत्व' ( हेतु ) का अभाव नहीं है-अर्थात् अनुमान प्रमाण है।

( ३ ) असिद्ध-उभयव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

नित्यानित्य शब्द सत्त्वात्, यस्तु न नित्यानित्य स न सस्तद्यथा स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेक स्तम्भासन्नित्या-  
नित्यत्वस्य सत्त्वस्य चावप्रावृत्ते ॥७३॥

अथ-शब्द नित्य अनित्य रूप है क्योंकि सत् है, जो नित्य-अनित्य नहीं होता वह सत् नहीं होता जैसे स्तम्भ। यहाँ स्तम्भ दृष्टान्त असिद्ध उभयव्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि स्तम्भ में नित्यानित्यता (साध्य) और सत्त्व ( साधन ) दोनों का अभाव नहीं है अर्थात् स्तम्भ नित्यानित्य भी है और सत् भी है।

( ४ ) सदिग्ध साध्यव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

असवज्ञोऽनाप्तो वा कपिलोऽक्षणिककान्तवादित्वात्;  
य सवज्ञ आप्तो वा स क्षणिककान्तवादी यथा सुगत,  
इति सदिग्धसाध्यव्यतिरेक सुगतेऽपि सर्वज्ञतानाप्तत्वयो  
साध्यधर्मयोर्व्यावृत्ते सदेहात् ॥७४॥

अथ-कपिल सर्वज्ञ अथवा आप्त नहीं है क्योंकि वह एकांत नित्यवादी है जा सवज्ञ अथवा आप्त होता है वह एकान्त क्षणिक-वादी होता है, जैसे सुगत (बुद्ध)। यहाँ 'सुगत' दृष्टान्त सदिग्धसाध्य-व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि सुगत में असवज्ञता अथवा अना-

प्तता (साध्य) के अभाव में सन्देह है अर्थात् युगत में न असर्वज्ञता का अभाव निश्चित है और न अनाप्तता का अभाव निश्चित है ।

(५) सदिग्धसाधनव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

अनादेयवचनः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो रागादिम-  
त्वात् य पुनरादेयवचनः न वीतरागस्तद्यथा शौद्धोदनिरिति  
सदिग्धसाधनव्यतिरेकः, शौद्धोदनौ रागादिमत्त्वस्य निवृत्तेः  
संशयात् ॥७५॥

अर्थ—कोई विवक्षित पुरुष अग्राह्य वचन वाला है, क्योंकि वह रागादि वाला है, जो ग्राह्य वचन वाला होता है वह वीतराग होता है; जैसे बुद्ध । यहाँ 'बुद्ध' दृष्टान्त सदिग्धसाधनव्यतिरेक है क्योंकि बुद्ध में रागादिमत्त्व (साधन) के अभाव में संदेह है ।

(६) सदिग्ध-उभयव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

न वीतरागः कपिलः करुणास्पदेष्वपि परमकृपयाऽन-  
पितनिजपिशितशकलत्वात्, यस्तु वीतरागः स करुणास्पदेषु  
परमकृपया समर्पितनिजपिशितशकलस्तद्यथा तपनबन्धुरिति  
संदिग्धोभयव्यतिरेकः, इति तपनबन्धौ वीतरागत्वाभावस्य  
करुणास्पदेष्वपि परमकृपया अनर्पितनिजपिशितशकलत्वस्य  
च व्यावृत्तेः संशयात् ॥७६॥

अर्थ—कपिल वीतराग नहीं है, क्योंकि उन्होंने दया-पात्र व्यक्तियों को भी परम कृपा से प्रेरित होकर अपने शरीर के मांस

के टुकड़े नहीं दिये हैं, जो वीतराग होता है वह दयापात्र व्यक्तियों को परम कृपा से प्रेरित होकर अपने शरीर के मांस के टुकड़े दे देता है, जैसे बुद्ध । यहाँ बुद्ध दृष्टान्त सदिग्ध उभाय व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि बुद्ध में तो वीतरागता के अभाव की (साध्य की) व्यावृत्ति है और न दयापात्र-व्यक्तियों को मांस के टुकड़े न देने रूप साधन की ही व्यावृत्ति है । अर्थात् यहाँ दृष्टान्त में साध्य और साधन की ही व्यावृत्ति है अर्थात् यहाँ दृष्टान्त में साध्य और साधन दोनों के अभाव का निश्चय नहीं है ।

### (७) अत्यतिरेक दृष्टान्ताभास

न वीतराग कश्चित् त्रिजक्षण पुरुषो वक्षन्त्यात् य पुनर्वीतरागो न स वक्ता यथोपलक्षण इत्यव्यतिरेक ॥७६॥

अर्थ—कोई विवक्षित पुरुष वीतराग नहीं है क्योंकि वह वक्ता है, जो वीतराग होता है, वह वक्ता नहीं होता, जैसे 'पत्यर का टुकड़ा' दृष्टान्त अव्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि यहाँ जो व्यतिरेक व्याप्ति बताई गई है, वह ठीक नहीं है ।

### (८) अप्रदर्शित व्यतिरेक दृष्टान्ताभास

अनित्य शब्द कृतकत्वादाकाशवदित्यप्रदर्शितव्यतिरेक ॥७८॥

अर्थ—शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है, जैसे आकाश । यहाँ आकाश दृष्टान्त अप्रदर्शितव्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, क्योंकि इस दृष्टान्त में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बताई गई है ।



(९) विपरीतव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्, यत् अकृतकं तन्नित्यं  
यथाऽऽकाशम्, इति विपरीतव्यतिरेकः ॥७९॥

अर्थ—शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है । जो कृतक होता है वह नित्य होता है, जैसे आकाश । यहाँ आकाश दृष्टान्त विपरीत-व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है क्योंकि यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति विपरीत बताई गई है अर्थात् साध्य के अभाव में साधन से साधन का अभाव बताना चाहिए सो साधन के अभाव में साध्य का अभाव बता दिया है ।

उपनयाभास और निगमनाभास

उक्तलक्षणोल्लङ्घनेनोपनयनिगमनयोर्वचने तदा-  
भासौ ॥८०॥

यथा परिणामी शब्दः कृतकत्वात्, यः कृतकः स  
परिणामी यथा कुम्भः, इत्यत्र परिणामी च शब्दः कृतकश्च  
कुम्भ इति च ॥८१॥

तस्मिन्नेव प्रयोगे तस्मात् कृतकः शब्द इति, तस्मात्  
परिणामी कुम्भ इति ॥८२॥

अर्थ—उपनय और निगमन का पहले जो लक्षण कहा गया है उसका उल्लंघन करके उपनय और निगमन बोलने से उपनया-भास और निगमनाभास हो जाते हैं ।

उपनयाभास का उदाहरण—शब्द परिणामी है, क्योंकि

कृतक है, जो कृतक होता है वह परिणामी होता है जैसे कुम्भ, यहाँ 'शब्द परिणामी है' या 'कुम्भ कृतक है' इस प्रकार कहना ॥

और इसी अनुमान में 'इसलिए शब्द कृतक है' अथवा 'इसलिये घट परिणामी है' ऐसा कहना निगमनाभास है ॥

विवेचन-पक्ष में हेतु का दोहराना उपनय कहलाता है । जैसे उक्त उदाहरण 'शब्द परिणामी है' यहाँ पक्ष में साध्य का दोहराया गया है और 'कुम्भ कृतक है' यहाँ पर सपक्ष (दृष्टान्त) में हेतु दोहराया गया है, अतः यह दोनों उपनयनाभास हैं ।

पक्ष में साध्य का दोहराना निगमन है । और पक्ष में साध्य को न दोहरा कर, किसी को किसी में दोहरा देना निगमनाभास है । जैसे यहाँ पक्ष (शब्द) में एक जगह कृतकत्व हेतु को दोहरा दिया है और दूसरी जगह सपक्ष (कुम्भ) में साध्य को दोहराया है । इसलिये शब्द परिणामी है' ऐसा कहना निगमन होता, किन्तु 'इसलिये शब्द कृतक है' इसलिये कुम्भ परिणामी है' ऐसा कहना निगमनाभास है ।

#### आगमाभास

अनाप्तवचनप्रभव ज्ञानमागमाभासम् ॥८३॥

अथ-अनाप्त पुरुष के वचन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आगमाभास है ।

विवेचन-आगम और आप्त का स्वरूप पहले कहा जा चुका यथाय ज्ञाता और यथायथ्यता पुरुष को आप्त कहते हैं । ज आप्त वह अनाप्त है । अनाप्त के वचन से होने वाला ज्ञान है । न ही आगमाभास है ।

आगमाभास का उदाहरण

यथामेकलकन्यकाया कूले, तालहितालयोर्मूले सुलभाः  
पिण्डखर्जूराः सन्ति, त्वरितं गच्छत गच्छत बालकाः ॥८४॥

अर्थ—जैसे रेवा नदी के किनारे, ताल और हिताल वृक्षों के नीचे पिण्ड खजूर पड़े हैं—लड़को ! जाओ, जल्दी जाओ ॥

विवेचन—वास्तव में रेवा नदी के किनारे पिण्डखजूर नहीं हैं, फिर भी कोई व्यक्ति वृक्षों को बहकाने के लिये जूठमूठ ऐसा कहता है। इस कथन को सुनकर वृक्षों को पिण्डखजूर का ज्ञान होना आगमाभास है।

प्रमाण संख्याभास

प्रत्यक्षभेदकं प्रमाणमित्यादि संख्यानं तस्य संख्या-  
SSभासम् ॥८५॥

अर्थ—एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इत्यादि प्रमाण की मिथ्या संख्या करना संख्याभास है।

विवेचन—वास्तव में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इन भेदों से विपरीत एक, दो, तीन, चार आदि भेद मानना संख्याभास या भेदाभास है। कौन कितने प्रमाण मानते हैं यह भी पहले ही बताया जा चुका है।

विषयाभास

सामान्यमेव, विशेष एव, तद् द्वयं वा स्वतन्त्रमि-  
त्यादिस्तस्य विषयाभासः ॥८६॥

अथ—सामान्य ही प्रमाण का विषय है, विशेष ही प्रमाण का विषय है, अथवा परस्पर सबथा भिन्न सामान्य विशेष प्रमाण के विषय है, इत्यादि मानना प्रमाण का विषयान्नास है ।

विवेचन—सामान्य और विशेष अलग पदार्थ नहीं है । यह दोनों पदार्थ के घम है और पदार्थ से कयचित् अभिन्न है । आपस में भी दोनों कयचित् अभिन्न है । अतः सामान्य विशेष रूप वस्तु को ही प्रमाण का विषय कहा गया है । उससे विपरीत वेदान्तियों का माना हुआ केवल सामान्य, बौद्धों का माना हुआ केवल विशेष और योगों के माने हुए सबथा भिन्न सामान्य विशेष, यह सब विषयान्नास है ।

फलाभास -

अभिन्नमेव भिन्नमेव वा प्रमाणात् फल तस्य तदाभासम् ॥८७॥

अर्थ—प्रमाण से सबथा अभिन्न या सर्वथा भिन्न प्रमाण का फल फलाभास है ।

विवेचन—बौद्ध प्रमाण का फल प्रमाण से सबथा अभिन्न मानते हैं और नैयायिक सबथा भिन्न मानते हैं । वस्तुतः यह सब फलाभास है, क्योंकि फल तो प्रमाण से कयचित् भिन्न और कयचित् अभिन्न होता है ।



# सातवाँ परिच्छेद नयों का विवेचन



नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्यांश-  
स्तदितरांशौदासीन्यत स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः॥१॥

अर्थ—श्रुतज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को एक धर्म, अन्य धर्मों को गौण करके, जिस अभिप्राय से जाना जाता है, वक्ता का यह अभिप्राय नय कहलाता है ।

विवेचन—श्रुतज्ञान रूप प्रमाण अनन्त धर्म वाली वस्तु को ग्रहण करता है । उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को जानने वाला ज्ञान नय कहलाता है । नय जब वस्तु के एक धर्म को जानता है तब शेष रहे हुए धर्म भी वस्तु में विद्यमान तो रहते ही हैं किन्तु उन्हें गौण कर दिया जाता है । इस प्रकार सिर्फ एक धर्म को मुख्य करके उसे जानने वाला ज्ञान नय है ।

नयाभास का स्वरूप

स्वाभिप्रेतादंशादितरांशापलापी पुनर्नयाभासः ॥२॥

अर्थ—अपने अभीष्ट अंश के अतिरिक्त अन्य अंशों का अपलाप करने वाला नयाभास है ।

विवेचन—वस्तु के अनन्त अंशों (धर्मों) में से एक अंश को ग्रहण करके शेष समस्त अंशों का अभाव मानने वाला नय ही नयाभास है। तात्पर्य यह है कि नय एक अंश को ग्रहण करता है अन्य अंशों पर अपेक्षा भाव रखता है और नयाभास उन अंशों का निषेध करता है। यही नय और नयाभास में अंतर है।

नय के भेद

स व्यासममासाभ्या द्विप्रकार ॥३॥

व्यासतोऽनेकविकल्प ॥४॥

समासतस्तु द्विभेदो द्रव्याधिक पर्यायाधिकश्च ॥५॥

अर्थ—नय दो प्रकार का है—व्यासनय और समासनय।  
व्यासनय अनेक प्रकार का है।

समासनय दो प्रकार का है—द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नय ॥

विवेचन—विस्तार रूप नय व्यासनय कहलाता है और संक्षेप रूप नय समास नय कहलाता है। नय के यदि विस्तार से भेद किये जाएँ तो यह अनन्त होंगे, क्योंकि 'वस्तु में' अनन्त धर्म हैं और एक एक धर्म को जानने वाला एक एक नय होता है। अतएव व्यास नय के भेदों की सत्या निर्धारित नहीं की जा सकती।

समासनय द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से दो प्रकार का है। द्रव्य की मूल्य रूप से विषय करने वाला द्रव्याधिक और पर्याय को मुख्यरूप से विषय करने वाला पर्यायाधिक नय है।

द्रव्यार्थिक नय के भेद

आद्यो नैगमसंग्रहव्यवहारभेदात् त्रेधा ॥६॥

अर्थ—द्रव्यार्थिक नय तीन प्रकार का है—( १ ) नैगम नय  
( २ ) संग्रह नय और ( ३ ) व्यवहार नय ।

नैगमनय

धर्मयोर्धर्मिणोर्धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जनभावेन  
यद्विवक्षणं स नैकगमो नैगमः ॥७॥

सच्चैतन्यमात्मनीति धर्मयोः ॥८॥

वस्तु पर्यायवद्द्रव्यमिति धर्मिणोः ॥९॥

क्षणमेक सुखी विषयासक्तजीव इति धर्मधर्मिणोः १०

अर्थ—दो धर्मों की, दो धर्मियों की और धर्म-धर्मों की प्रधान  
और गौण रूप से विवक्षा करना, इस प्रकार अनेक मार्गों से वस्तु  
का बोध कराने वाला नय नैगमनय कहलाता है ॥

दो धर्मों का प्रधान-गौण भाव—जैसे आत्मा में सत्त्व से  
युक्त चैतन्य है ॥

दो धर्मियों का प्रधान-गौणभाव—जैसे पर्याय वाला द्रव्य  
वस्तु कहलाता है ॥

दो धर्मियों का प्रधान-गौणभाव—जैसे विषयासक्त जीव क्षण  
भर सुखी होता है ॥

विवेचन—दो धर्मों में से एक धर्म की मुख्य रूप से विवक्षा

करना और दूसरे धर्म की गौण रूप से विवक्षा करना इसी प्रकार दो द्रव्यों में से एक को मुख्य और दूसरे को गौण रूप से विवक्षा करना तथा धर्म धर्मों में से किसी को मुख्य और किसी को गौण समझना, नैगमनय है। नैगमनय अनेक प्रकार से वस्तु का बोध कराता है।

सत्त्व और चतय आत्मा के दो धर्म हैं। किन्तु 'आत्मा में सत्त्व युक्त चैतय है' इस प्रकार कह कर चैतय धर्म को मुख्य बनाया गया है और सत्त्व को चतय का विशेषण बनाकर गौण कर दिया है।

इसी प्रकार द्रव्य और वस्तु का धर्म है किन्तु 'पर्याय वाला द्रव्य वस्तु है' ऐसा कह कर द्रव्य को गौण और वस्तु को मुख्य रूप से विवक्षित किया गया है।

इसी प्रकार 'विषयासक्त जीव क्षण भर सुखी है' यहाँ जीव विशिष्ट होने के कारण मुख्य है और सुखी विशेषण होने के कारण गौण है।

### नैगमाभास का स्वरूप

धर्मद्वयादीनामैकान्तिकपार्थक्याभिसन्धिर्नैगमाभास ॥११॥

अर्थ—दो धर्मों का, दो धर्मियों का और धर्म तथा धर्मों का एकांत भेद मानना नैगमनयाभास कहलाता है।

विशेषण-धास्तय में धर्म और धर्मों में कयचित् भेद है, दो धर्मों में तथा दो धर्मियों में भी आपस में कयचिन् भेद है, इसका बदले उनमें सयथा भेद की कल्पना करना नैगमनयाभास है।



नैगमाभास का उदाहरण

यथाऽऽत्मनि सत्त्वचैतन्ये परस्परमत्यन्तं पृथग्भूते  
इत्यादि. ॥ १२ ॥

अर्थ-जैसे आत्मा में मत्त्व और चैतन्य धर्म परस्पर में  
सर्वथा भिन्न है, इत्यादि मानना ।

संग्रहनय का स्वरूप

सामान्यमात्रग्राही परामर्शः संग्रहः ॥ १६ ॥

अयमुभयविकल्पः---परोऽपरश्च ॥ १४ ॥

अर्थ--सिर्फ सामान्य को ग्रहण करने वाला अभिप्राय संग्रह  
नय है ॥

संग्रहनय के दो भेद हैं--(१) परसंग्रह (२) अपरसंग्रह ॥

विवेचन-विशेष की ओर उदासीनता रख कर सत्तारूप पर  
सामान्य को ओ-द्रव्यत्व, जीवत्व आदि अपर सामान्य को ही ग्रहण  
करने वाला नय संग्रहनय कहलाता है । संग्रहनय का विषय सामान्य  
है और सामान्य पर-अपर के भेद से दो प्रकार का है अतएव  
संग्रहनय के भी दो भेद हो गये हैं--परसंग्रह और अपरसंग्रह ।

परसंग्रहनय

अशेषविशेषेऽवौदासीन्य भजमानः शुद्धद्रव्य सन्मात्रम-  
भिमन्यमानः परसंग्रहः ॥ १५ ॥

विश्वमेक सवविशेषाविति यथा ॥ १६ ॥

अथ—समस्त विशेषों में उदासीनता रखने वाला और शुद्ध सत्ता मात्र द्रव्य को विषय करने वाला नय परसग्रहनय कहलाता है ।

जैसे—सत्ता सब में पाई जाती है अतः विश्व एक रूप है ॥

विवेचन पर सामान्य को सत्ता या महासत्ता कहते हैं । उसी को पर सग्रहनय विषय करता है । सत्ता सामान्य को अपेक्षा विश्व एक रूप है, क्योंकि विश्व का कोई भी पदार्थ सत्ता से भिन्न नहीं है ।

परमप्रहाभाम

सत्ताद्वत स्वीकुर्वाण सकलविशेषाभिराचक्षणस्त-  
वामास ॥ १७ ॥

सत्तव वत्त्व, तत पथग्भूताना विशेषाणामवधानात् । १८ ।

अथ—एकान्त सत्ता मात्र को स्वीकार करने वाला और घट आदि सब विशेषों का निषेध करने वाला अभिप्राय परसग्रह नया-  
भास है ॥

जैसे—सत्ता ही यास्तविक यस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न घट आदि विगोच्य दृष्टिगोचर नहीं होते ।

विवेचन—पर सग्रह नय भी सत्ता मात्र को ही विषय करता है और परसग्रह नयाभास भी सत्तामात्र को ही विषय करता है चित्तु दोनों में भेद यह है कि परसग्रह विगोच्य का निषेध नहीं करता उनमें उपेक्षा मतलाता है और परसग्रहाभास उनका निषेध करता है । इस

प्रकार दूसरे अंश का अपलाप करने से यह नयाभास हो गया है। वेदान्त दर्शन परसंग्रहाभास है, क्योंकि वह एकान्तरूप से सत्ता को ही तत्त्व मानता और विशेषों को मिथ्या बतलाता है।

### अपर संग्रहनय

द्रव्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तद्भेदेषु  
गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसंग्रहः ॥ १९ ॥

धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्याणामैवय द्रव्यत्वा-  
भेदावित्यादिर्यथा ॥ २० ॥

अर्थ--द्रव्यत्व पर्यायत्व आदि अपर सामान्यों को स्वीकार करने वाला और उन अपर सामान्यों के भेदों में उदासीनता रखने वाला नय अपरसंग्रहनय कहलाता है।

जैसे--धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य सब एक है क्योंकि सब में एक द्रव्यत्व विद्यमान है।

विवेचन--छहो द्रव्यों में समान रूप से रहने वाला द्रव्यत्व अपर सामान्य है। अपर संग्रह नय, अपर सामान्य को विषय करता है। अतः इसकी दृष्टि में द्रव्यत्व एक होने से सभी द्रव्य एक है।

### अपरसंग्रहाभास

द्रव्यत्वादिक प्रतिजानानस्तद्विशेषान्निह्नुवानस्तदाभासः  
यथा द्रव्यत्वमेव तत्त्वं, ततोऽर्थान्तरभूतानां द्रव्याणामनु-  
पलब्धेः ॥ २२ ॥

। अथ—द्रव्यत्व आदि अपरसामान्यो को स्वीकार करने वाला और उनके भेदों का निषेध करने वाला अभिप्राय अपरसग्रहन्यासास है ।

जैसे—द्रव्यत्व ही वास्तविक है, उससे भिन्न घम आदि द्रव्य उपलब्ध नहीं होते ।

विवेचन—द्रव्यत्व आदि सामान्यों को अपर सग्रहनय स्वीकार करता है पर वह उनके भेदों का घम आदि द्रव्यों का निषेध नहीं करता, यह अपरसग्रह न्यासास अपर सामान्य के भेदों का निषेध करता है, इसलिए न्यासास है ।

न्यवहारनय

सग्रहेण गोचरीकृतानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरणयेनाभिसिद्धिना क्रियते स व्यवहार ॥ २३ ॥

यथा यत् सत तद् द्रव्य पर्यायो वा ॥ २४ ॥

अथ—सग्रह नय के द्वारा जाने हुए सामान्य रूप पदार्थों में विधिपूर्वक भेद करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है ।

जैसे— जो सत होता है वह या ता द्रव्य हाता ह या पर्याय ।

विवेचन—सग्रहनय द्वारा विषय किये हुए सामान्य में व्यवहार नय भेद करता है । सामान्य से लोक व्यवहार नहीं होता । लोक व्यवहार के लिए विशेषों की आवश्यकता होती है । 'गात्व सामान्य दुहा नहीं जा सकता और न 'अद्वयत्व' सामान्य पर सवारो की जा सकती है । दुहने के लिए गाय विशेष की आवश्यकता है और सवारो के लिए अश्व विशेष की अपेक्षा होती है । अतः लोक-व्यवहार के

अनुकूल, सामान्य में भेद करना व्यवहार नय का कार्य है । उदाहरणार्थ संग्रहनय ने सत्ता रूप अभेद माना, व्यवहार उसके दो भेद करता है—द्रव्य और पर्याय ।

व्यवहारनयाभास

यः पुनरपारमार्थिकद्रव्यपर्यायविभागमभिप्रैति स व्यवहाराभासः ॥ २५ ॥

यथा—चार्वाकदर्शनम् ॥ २६ ॥

अर्थ—जो नय द्रव्य और पर्याय का अवास्तविक भेद स्वीकार करता है वह व्यवहारनयाभास है ।

जैसे—चार्वाक दर्शन ।

विवेचन—द्रव्य और पर्याय का वास्तविक भेद मानना व्यवहार नय है और मिथ्या भेद मानना व्यवहाराभास है । चार्वाक दर्शन वास्तविक द्रव्य और पर्याय के भेद को स्वीकार नहीं करता किन्तु अवास्तविक भूत-चतुष्टय को स्वीकार करता है । अतः चार्वाक दर्शन ( नास्तिक मत ) व्यवहार नयाभास है ।

पर्यायार्थिकनय के भेद

पर्यायार्थिकश्चतुर्द्धा—ऋजुसूत्रः शब्दः समभिरूढ एवभूतश्च ॥ २७ ॥

अर्थ—पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का है—( १ ) ऋजुसूत्र ( २ ) शब्द ( ३ ) समभिरूढ और ( ४ ) एवभूत ।

ऋजुसूत्रनय

ऋजु—वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राधान्यत सूत्र-यज्ञभिप्रायः ऋजुसूत्रः ॥ २७ ॥

यथा—सुखविवत्त सम्प्रत्यस्तीत्यादि ॥ २९ ॥

अथ - पदार्थ की वस्तुमान क्षण में रहने वाली पर्याय को ही प्रधान रूप से विषय करने वाला अभिप्राय ऋजुसूत्र नय कहलाता है।

जैसे इस समय सुखरूप पर्याय है, इत्यादि ।

विवेचन—द्रव्य का गौण करके मुख्य रूप से पर्याय को विषय करने वाला नय पर्यायाधिक नय कहलाता है । ऋजुसूत्र नय भी पर्यायाधिक नय है अतएव यह पर्याय को ही मुख्य करता है । 'इस समय सुख पर्याय है इस वाक्य से पर्याय की प्रधानता घोषित की गई है, सुख पर्याय के आधारभूत द्रव्य जीव को गौण कर दिया गया है ।

ऋजुसूत्रनयाभास

सर्वथा द्रव्यापलापी तदाभास ॥ ३० ॥

यथा—तथागतमतम् ॥ ३१ ॥

अथ—द्रव्य का एकांत निषेध करने वाला अभिप्राय ऋजुसूत्रनयाभास कहलाता है ।

जस बौद्धमत ।

विवेचन ऋजुसूत्रनय द्रव्य को गौण करके पर्याय को मुख्य करता है, किंतु ऋजुसूत्राभास द्रव्य का सर्वथा अपलाप कर देता है । यह पर्यायो का ही वास्तविक मानता है और पर्यायों में अनुगत रूप से रहने वाले द्रव्य का निषेध करता है । बौद्धों का मत क्षणिकवाद या पर्यायवाद ऋजुसूत्रनयाभास है ।

शब्दनय

कालादिभेदेन ध्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः ॥ ३२ ॥

यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादिः । ३३ ।

अर्थ-काल आदि के भेद से शब्द के वाच्य अर्थ में भेद मानने वाला नय शब्दनय कहलाता है ।

जैसे-सुमेरु था, सुमेरु है, और सुमेरु होगा ।

विवेचन-शब्दनय और आगे के सन्निवृद्ध तथा एवभूत नय शब्द को प्रधान मानकर उसके वाच्य अर्थ का निरूपण करते हैं इसलिए इन तीनों को शब्दनय कहते हैं ।

काल, कारक, लिंग और वचन के भेद से पदार्थ में भेद मानने वाला नय शब्दनय कहलाता है । उदाहरणार्थ-सुमेरु था, सुमेरु है और सुमेरु होगा; इन तीन वाक्यों में एक सुमेरु का त्रिकाल सम्बन्धी अस्तित्व बताया गया है, पर यहाँ काल का भेद है, अतः शब्द नय सुमेरु को तीन रूप स्वीकार करता है ।

शब्दनयाभास

तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभासः । ३४ ।

यथा बभूव भविष्यति सुमेरुरित्यादयो भिन्नकालाः शब्दा भिन्नमेवार्थमभिदधति, भिन्नकालशब्दत्वात्, तादृक्-सिद्धान्यशब्दवदित्यादि ॥ ३५ ॥

अर्थ-काल आदि के भेद से शब्द के वाच्य पदार्थ में एकांत भेद मानने वाला अभिप्राय शब्दनयाभास है ।

जैसे—सुमेरु था, सुमेरु है और सुमेरु होगा, इत्यादि भिन्न कालवाचक शब्द सवथा भिन्न पदार्थों का कथन करते हैं, क्योंकि वे भिन्न कालवाचक शब्द हैं, जैसे भिन्न पदार्थों का कथन करने वाले दूसरे भिन्नकालीन शब्द अर्थात् अगच्छत, भविष्यति और पठति आदि ॥

विवेचन—काल का भेद होने से पर्याय का भेद होता है फिर भी द्रव्य एक वस्तु बना रहता है। शब्द नय पर्याय दृष्टि वाला है अतः वह भिन्न भिन्न पर्यायों को ही स्वीकार करता है, द्रव्य को गौण करके उसकी उपेक्षा करता है। परन्तु शब्दनयान्नास विभिन्न कालों में अनुगत रहने वाले द्रव्य का सवथा निषेध करता है। इसलिए यह नयान्नास है।

समभिरूढ नय

पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन्  
समभिरूढ ॥ ३६ ॥

इन्दनाविन्द्र, शकनाच्छक्र, पूर्वारिणात् पुरन्दर  
इत्यादिषु यथा ॥ ३७ ॥

अर्थ—पर्यायवाचक शब्दों में निरुक्ति के भेद से अर्थ का भव मानने वाला समभिरूढ नय कहलाता है ॥

जैसे—एश्वय भोगने वाला इन्द्र है, सामध्य वाला शक्र है, और शत्रु नगर का विनाश करने वाला पुरन्दर, कहलाता है।

विवेचन—शब्दनय काल आदि के भेद से पदार्थ में भेद मानता है पर समभिरूढ उससे एक कदम आगे बढ़कर काल आदि



का भेद न होने पर भी केवल पर्याय-वाची शब्दों के भेद से ही पदार्थ में भेद मान लेता है ।

इन्द्र शक्र और पुरन्दर शब्द-तीनों एक इन्द्र के वाचक हैं, किंतु समभिरूढ नय इन शब्दों की व्युत्पत्ति के भेद पर दृष्टि दौड़ाता है और कहता है कि जब तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति पृथक्-पृथक् है तब तीनों शब्दों का वाच्य पदार्थ एक कैसे हो सकता है? अतः पर्याय-वाची शब्द के भेद से अर्थ में भेद मानना चाहिये ।

इस प्रकार समभिरूढ नय अर्थसम्बन्धी अभेद को गौण करके पर्याय-भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है ।

समभिरूढ नयाभास

पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाणस्त-  
दाभासः ॥ ३८ ॥

यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इत्यादयः शब्दा भिन्नाभि-  
धेया एव, भिन्नशब्दत्वात्, करिकुरङ्गतुरङ्गवदित्यादिः ॥ ३९

अर्थ-एकान्त रूप से पर्याय-वाचक शब्दों के वाच्य अर्थ में भेद मानने वाला अभिप्राय समभिरूढ नयाभास है ।

जैसे--इन्द्र शक्र, पुरन्दर आदि शब्द भिन्न-भिन्न पदार्थ के वाचक हैं । क्योंकि वे भिन्न-भिन्न शब्द हैं, जैसे करी ( हाथी ) कुरंग ( हिरन ) और तुरग ( घोड़ा ) शब्द ॥

बिबेचन--समभिरूढनय पर्याय-भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है पर अभेद का निषेध नहीं करता, उसे केवल गौण कर देता

है समभिरुद्ध नयाभास पर्यायवाचक शब्दों के अर्थमें रहने वाले अमेद का निषेध करके एकान्त भेद का ही समर्थन करता है । इसलिये यह नयाभास है ।

एवमूत नय

शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमर्थं वाच्य  
त्वेनाभ्युपगच्छन्नेवमूत ॥४०॥

यथा इन्दनमनुभावद्भिन्द्र शकनक्रियापरिणत शक्र,  
पूदारणप्रवृत्त पुरन्दर इत्युच्यते ॥४१॥

अर्थ—शब्द की प्रवृत्ति की निमित्त रूप क्रिया से यद्यत् पदार्थ को उस शब्द का वाच्य मानने वाला नय एवमूत नय है ॥

जैसे—इन्दन ( ऐश्वर्य भोग ) रूप क्रिया के होन पर ही इन्द्र कहा जा सकता है, शकन ( सामर्थ्य ) रूप क्रिया के होने पर ही शक्र कहा जासकता है और पूदारण ( शत्रु नगर का नाश ) रूप क्रिया के होने पर ही पुरन्दर कहा जा सकता है ।

विवेचन—एवमूत नय यह दृष्टिकाण है जिसके अनुसार प्रत्येक शब्द क्रियाशब्द ही है । प्रत्येक शब्द से किसी न किसी क्रिया का अर्थ प्रकट होता है । ऐसी अवस्था में, जिस शब्द से जिस क्रिया का भाव प्रकट होता हो, उस क्रिया से युक्त पदार्थ को उही समय, उस शब्द से कहा जा सकता है । जिस समय में यह क्रिया विद्यमान न हो उस समय उस क्रिया का सूचक शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । जैसे पाचक शब्द से पचाने की क्रिया का बोध होता है, अतएव जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पका रहा हो तभी उसे

पाचक कहा जा सकता है, अन्य समय में नहीं। यही भाव इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दों के उदाहरण से समझाया गया है। इस दृष्टिकोण को एवम्भूत नय कहते हैं।

एवम्भूत नयाभास

क्रियाऽनाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपंस्तु  
तदाभासः ॥४२॥

यथा-विशिष्टचेष्टाशून्यं घटाख्यं वस्तु न घटशब्द-  
वाच्यं, घटशब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाशून्यत्वात्, पटवदि-  
त्यादिः ॥४३॥

अर्थ—क्रिया से रहित वस्तु को उस शब्द का वाच्य मानने का निषेध करने वाला अभिप्राय एवम्भूत नयाभास है।

जैसे—विशेष प्रकार की चेष्टा से रहित घट नामक वस्तु घट शब्द का वाच्य नहीं है क्योंकि वह घट शब्द की प्रवृत्ति का कारण रूप क्रिया से रहित है, जैसे पट—आदि ॥

विवेचन—एवम्भूत नय अमुक क्रिया से युक्त पदार्थ को ही उस क्रिया-वाचक शब्द से अभिहित करता है, किन्तु अपने से भिन्न दृष्टिकोण का निषेध नहीं करता। जो दृष्टिकोण एकान्त रूप से क्रिया-युक्त पदार्थ को ही शब्द का वाच्य मानने के साथ उस क्रिया से रहित वस्तु को उस शब्द के वाच्य होने का निषेध करता है वह एवम्भूत नयाभास है। एवम्भूत नयाभास का दृष्टिकोण यह है कि अगर घटन क्रिया न होने पर भी घट को घट कहा जाय तो पट या अन्य पदार्थों को भी घट कह देना अनुचित न होगा। फिर तो कोई

भी पदार्थ किसी भी शब्द से कहा जा सकेगा । इस अव्यवस्था का निवारण करने के लिए यही उचित है कि जिस शब्द से जिस क्रिया का भान हो उस क्रिया की विद्यमानता में ही उस शब्द का प्रयोग किया जाय । अथ समयों में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

अथनय और शब्दनय का विभाग

एतेषु चत्वार प्रथमेऽर्थनिरूपणप्रवणत्वाद्यनया ।४४।  
शेषास्तु त्रय शब्दवाच्यार्थगोचरतया शब्दनया ॥४५॥

अथ—इन सातों नयों में पहले के चार नय पदार्थ का निरूपण करने वाले हैं इसलिए वे अथ नय ह ।

अन्तिम तीन नय शब्द के वाच्य अथ को विषय करने वाले ह इस कारण उन्हें शब्दनय कहते ह ।

विवेचन-नैगम, सग्रह, ध्यवहार और ऋजुसूत्र, पदार्थ का प्ररूपण करते ह इसलिए उन्हें अथनय कहा गया है और शब्द समभिदृढ और एवमूत—यह तीन नय, किस शब्द का वाच्य क्या होता है—यह निरूपण करते ह, इसलिए यह शब्द नय कहलाते ह ।

नया के विषय में अल्पग्रहुत्र

पूर्वा पूर्वो नय प्रचुरगोचर, पर परस्तु परिमित-  
विषय ॥४६॥

अथ—सात नयों में पहले पहले के नय अधिक अधिक विषय वाले ह और पिछले पिछले कम विषय वाले ह ।

विवेचन-सार्थों नयों के विषय की न्यूनाधिकता यहाँ सामान्य रूप से बताई गई है। पहले वाला नय विशाल विषय वाला और पीछे का नय संकुचित विषय वाला है। तात्पर्य यह है कि नैगम नय सबसे विशाल दृष्टिकोण है। फिर उत्तरोत्तर दृष्टिकोण में सूक्ष्मता आती गई है। विशेष विवरण सूत्रकार ने स्वयं दिया है।

अल्पबहुत्व का स्पष्टीकरण

सन्मात्रगोचरात् संग्रहान्नैगमो सावाभावभूमिकत्वाद्  
भूमविषयः ॥ ४७ ॥

सद्विशेषप्रकाशकाद् व्यवहारतः संग्रहः समस्तसत्स-  
मूहोपदर्शकत्वात् बहुविषयः ॥ ४८ ॥

वर्तमानविषयाद्भ्रजुसूत्रात् व्यवहारस्त्रिकालविषया-  
वलम्बित्वादनल्पार्थः ॥ ४९ ॥

कालादिभेदेन भिन्नार्थोपदर्शिनः शब्दाद्-ऋजुसूत्रस्त-  
द्विपरीतवेदकत्वान्महार्थः ॥ ५० ॥

प्रतिपर्यायशब्दमर्थभेदमभीप्सतः समभिरूढाच्छब्द-  
स्तद्विपर्ययानुयायित्वात् प्रभूतविषयः ॥ ५१ ॥

प्रतिक्रियं विभिन्नमर्थं प्रतिजानानादेवभूतात् सम-  
भिरूढस्तदन्यथार्थस्थापकत्वान्महागोचरः ॥ ५२ ॥

अर्थ—सिर्फ सत्ता को विषय करने वाले संग्रहनय की अपेक्षा सत्ता और असत्ता को विषय करने वाला नैगम नय अधिक विषय वाला है ॥

थोड़े से सत् पद्यों को विषय करने वाले व्यवहार नय की अपेक्षा, समस्त सत् पद्यों को विषय करने वाला सग्रहनय अधिक विषय वाला है ।

वत्तमान क्षणवर्ती पर्याय मात्र को विषय करने वाले ऋजु-सूत्रनय की अपेक्षा त्रिकालवर्ती पदाय को विषय करने वाला व्यवहारनय अधिक विषय वाला है ।

काल आदि के भेद से पदाय में भेद बताने वाले शब्दनय की अपेक्षा, आदि का भेद होने पर भी अभिन्न अर्थ बताने वाला ऋजुसूत्रनय अधिक विषय वाला है ॥

पर्यायवाची शब्द के भेद से पदाय में भेद मानने वाले सम-भिरुद्धनय की अपेक्षा, पर्यायवाची शब्द का भेद होने पर भी पदाय में भेद न मानने वाला शब्दनय अधिक विषय वाला है ।

क्रिया के भेद से अय में भेद मानने वाले एवमूतनय की अपेक्षा, क्रिया भेद होने पर भी अर्थ में भेद न मानने वाला सम-भिरुद्धनय अधिक विषय वाला है ।

विवेचन-सातौ नयों में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता किस प्रकार आती गई है, यह क्रम यहाँ बताया है । नैगम-नय सत्ता और असत्ता दोनों को विषय करता है, सग्रहनय केवल सत्ता का विषय करता है, व्यवहार थोड़े से सत् पद्यों को विषय करता है, ऋजु-सूत्रनय वत्तमान क्षणवर्ती पर्याय को ही विषय करता है, शब्दनय काल कारक आदि का भेद होने पर पदाय में भेद मानता है, समभिरुद्ध नय काल आदि का भेद न होने पर भी शब्द भेद से ही पदाय में भेद मानता है और एवमूत नय क्रिया के भेद से ही

पदार्थ को मित्त मान लेता है । इस प्रकार नय क्रमशः सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं और एवंभूतनय सूक्ष्मता की पराकाष्ठा कर देता है ।

### नयसप्तभगी

नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवृत्तमानं विधिप्रतिषेधाभ्यां-  
सप्तभंगीमनुव्रजति ॥ ५३ ॥

अर्थ-नय-वाक्य भी अपने विषय में प्रवृत्ति करता हुआ विधि और निषेध की विवक्षा से सप्तभगी को प्राप्त होता है ।

विवेचन-विकलादेश, नयवाक्य कहलाता है । उसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । जैसे विधि और निषेध की विवक्षा से प्रमाण-सप्तभगी बनती है उसी प्रकार नय की भी सप्तभगी बनती है । नय-सप्तभंगी में भी 'स्यात्' पद और 'एव' लगाया जाता है प्रमाण-सप्तभंगी सम्पूर्ण वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करती है और नय-सप्तभंगी वस्तु के एक स्वरूप को प्रकाशित करती है । यही दोनों में अन्तर है ।

### नय का फल

प्रमाणवदस्य फल व्यवस्थापनीयम् ॥ ५४ ॥

अर्थ-प्रमाण के समान नय के फल की व्यवस्था करना चाहिए ।

विवेचन-प्रमाण का साक्षात् फल अज्ञान की निवृत्ति होना बताया गया है वही फल नय का भी है । किन्तु प्रमाण से वस्तु सम्बन्धी अज्ञान की निवृत्ति होती है और नय से वस्तु के अंश-सम्ब-

धी अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार वस्तु के अश विषयक उपादानबुद्धि, हानबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि नय का परोक्षफल सम-क्षणा चाहिए।

दोनों प्रकार का फल प्रमाण से कयचित् भिन्न कयचित् अभिन्न है, इसी प्रकार नय का फल नय से कयचित् भिन्न और कयचित् अभिन्न है।

प्रमाता स्वरूप

प्रमाता प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा ॥५५॥

चैतन्यस्वरूप परिणामी वर्त्ता साक्षाद्भोक्ता स्वदे-  
हपरिमाण प्रतिक्षेत्र भिन्न पौद्गलिकादृष्टयाश्चायम ॥५६॥

अथ-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध आत्मा प्रमाता कहलाता है।

आत्मा चैतन्यमय है, परिणमनशील है, कर्मों का कर्त्ता है, कर्मफल का साक्षात् भोक्ता है, अपने प्राप्त शरीर के धरावर है, प्रत्येक शरीर में भिन्न है और पुद्गलरूप अदृष्ट ( कर्म ) वाला है।

विवेचन-चार्याक लोग आत्मा नहीं मानते। उनके मत का खण्डन करने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि आत्मा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से सिद्ध है। 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इस प्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है तथा 'रूप आदि के ज्ञान का कोई वर्त्ता अवश्य है, क्योंकि यह क्रिया है जो क्रिया होता है, उसका कोई कर्त्ता अवश्य होता है, जैसे काटने की क्रिया। जानने की क्रिया का कर्त्ता का है वही आत्मा ९।



इस प्रकार अनुमान से भी आत्मा सिद्ध है। इनके अतिरिक्त एगो आया' इत्यादि आगमो से भी आत्मा सिद्ध है। यह आत्मा चैतन्यमय आदि विशेषणो से विशिष्ट है।

चैतन्य स्वरूप-इस विशेषण से नैयायिक आदि का निराकरण होता है, क्योंकि वे आत्मा को चैतन्य रूप नहीं मानते।

परिणामी-इस विशेषण से सांख्य मत का निराकरण होता है, क्योंकि सांख्य आत्मा को कूटन्य नित्य मानते हैं परिणमनशील नहीं मानते।

कर्त्ता-यह विशेषण भी सांख्य-मत के निराकरण के लिए है। सांख्य आत्मा को अकर्त्ता मानते हैं और प्रकृति को कर्त्ता मानते हैं।

साक्षात् भोक्ता-यह विशेषण भी सांख्य-मत के खण्डन के लिए है। सांख्य आत्मा को कर्म-फल का साक्षात् भोगने वाला नहीं मानते।

स्वदेहपरिमाण--इस विशेषण से नैयायिक और वैशेषिक मत का खण्डन किया गया है, क्योंकि वे आत्मा को आकाश की भाँति व्यापक मानते हैं।

प्रतिशरीरभिन्न इस विशेषण से वेदान्त मत का खण्डन किया गया है, क्योंकि वेदान्त मत में एक ही आत्मा माना गया है। वे समस्त शरीरो में एक ही आत्मा मानते हैं।

पौद्गलिक अदृष्टवान्-यह विशेषण नास्तिक मत का खण्डन करता है, क्योंकि नास्तिक लोग अदृष्ट नहीं मानते। तथा जो लोग अदृष्ट मानते हैं किन्तु उसे पौद्गलिक नहीं मानते उनके मत का भी इससे खण्डन होता है।

### मुक्ति का स्वरूप

तस्योपात्तपुस्त्रीशरीरस्य सम्यग्ज्ञानक्रियाभ्या  
कृत्स्नकमक्षयस्वरूपा सिद्धि ॥५७॥

अथ—पुरुष का शरीर या स्त्री का शरीर पाने वाले आत्मा को सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र से, समस्त कम-क्षय रूप मुक्ति प्राप्त होती है ।

विवेचन—आत्मा पुरुष या स्त्री का शरीर पाकर सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के द्वारा ज्ञानावर्ण आदि आठों कर्मों का पूण रूप से क्षय करता है । इसी को मुक्ति कहते हैं । यहाँ 'स्त्री का शरीर' कह कर स्त्रीमुक्ति का विषय करने वाले दिगम्बर सम्प्रदाय का निरास किया गया है । कोई लाग अकेले ज्ञान से मुक्ति मानते ह, कोई अकेली क्रिया से मुक्ति मानते ह । उनका खडन करने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों का ग्रहण किया है ।

सम्यग्दर्शन भी मोक्ष का कारण है किन्तु यह सम्यग्ज्ञान का सहचर है, जहाँ सम्यग्ज्ञान होगा वहाँ सम्यग्दर्शन अवश्य होगा । इसलिये यहाँ सम्यग्दर्शन का अलग नहीं बताया है ।



# अष्टम परिच्छेद वाद का निरूपण

—●—  
वाद का लक्षण

विरुद्धयोर्धर्मयोरेकधर्मव्यवच्छेदेन स्वीकृततदन्यध-  
र्मव्यवथापनार्थं साधनदूषणवचनं वादः ॥ १ ॥

अर्थ—परस्पर विरोधी दो धर्मों में से, एक का निषेध करके अपने मान्य दूसरे धर्म की सिद्धि के लिए साधन और दूषण का प्रयोग करना वाद है ।

विवेचन—आत्मा की सर्वथा नित्यता और कयंचित् नित्यता ये दो विरोधी धर्म हैं । इनमें से किसी भी एक धर्म को स्वीकार करके, और दूसरे धर्म का निषेध करके, वादी और प्रतिवादी अपने पक्ष को साधने के लिए और विरोधी पक्ष को दूषित करने के लिए जो वचन-प्रयोग करते हैं वह वाद कहलाता है । वादी को अपने पक्ष की सिद्धि और पर पक्ष का निराकरण-दोनों करने पड़ते हैं और इसी प्रकार प्रतिवादी को भी दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं ।

वादी-प्रारम्भक के भेद

प्रारम्भकश्चात्र जिगीषुः, तत्त्वनिर्णिनीषुश्च ॥ २ ॥

अथ-दो प्रकार के प्रारम्भक हाते हैं -- (१) जिगीषु विजय की इच्छा करने वाला और (२) तत्त्वनिर्णिनीषु-तत्त्व के निणय का इच्छुक ।

जिगीषु का स्वरूप

स्वीकृतधर्मव्यवस्थापनार्थं साधनदूषणाभ्या पर परा-  
जेतुमिच्छु जिगीषु ॥ ३ ॥

अथ-स्वीकार किये हुए धर्म की सिद्धि बरने के लिए, स्वपक्ष के साधन और परपक्ष के दूषण द्वारा प्रतिवादी को जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है ।

तत्त्वनिर्णिनीषु का स्वरूप

तथैव तत्त्व प्रतितिष्ठापयिषुस्तत्त्वनिर्णिनीषु ॥४॥

अथ-दूर्बल राति से तत्त्व की स्थापना करने का इच्छुक तत्त्वनिर्णिनीषु कहलाता है ।

विवेचन-वाद आरम्भ करनेवाला चाह विजय का इच्छुक हो, चाहे तत्त्व निणय का इच्छुक हो, उसे अपन पक्ष को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करना पडता है और परपक्ष को दूषित करना पडना है । जिगीषु और तत्त्वनिर्णिनीषु का भेद वाद के उद्देश्य पर ही अवलम्बित रहता है, स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण तो दोनों के लिये समान काय है ।

तत्त्वनिर्णिनीषु के भेद

अथ च द्वेषा-स्वात्मनि परत्र च ॥५॥

आद्य शिष्यादि ॥६॥

विशेषेण च ॥७॥

अयं द्विविधः क्षायोपशमिकज्ञानशाली केवली च॥८॥

अर्थ—तत्त्वनिर्णिनीषु दो प्रकार के हैं—(१) स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु और (२) परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु ॥

शिष्य आदि स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु हे ॥

गुरु आदि परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु हे ॥

परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु भी दो प्रकार के होते हैं । क्षायोपशमिकज्ञानी और केवली ॥

विवेचन—अपने आपके लिये तत्त्वबोध की इच्छा रखने वाले स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु कहलाते हैं और दूसरे को तत्त्व-बोध कराने की इच्छा रखने वाले परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु कहलाते हैं । स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु शिष्य, मित्र या और कोई सहयोगी होता है । और परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु गुरु, मित्र या अन्य सहयोगी हो सकता है । इस प्रकार वाद का प्रारंभ करने वाले चार प्रकार के होते हैं—(१) जिगीषु (२) स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु (३) क्षायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु और (४) केवलीपरत्रतत्त्वनिर्णिनीषु ।

प्रत्यारम्भक

एतेन प्रत्यारम्भकोऽपि व्याख्यातः ॥९॥

अर्थ—पूर्वोक्त कथन से प्रत्यारम्भक की भी व्याख्या हो गई ।

विवेचन—प्रारंभक के चार भेद बताये हैं, वही चार भेद प्रत्यारंभक के भी समझने चाहिये । इस प्रकार एक-एक प्रारंभक के साथ चारो प्रत्यारंभकों का विवाद हो तो वाद के सोलह भेद हो सकते हैं । किंतु जिगीषु का स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु के साथ, स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का जिगीषु के साथ, स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु के साथ और केवली का केवली के साथ वाद होना संभव नहीं है; इसलिए चार भेद कम होने से वाद के

चारह भेद ही होते हैं। प्रारम्भक का किस प्रत्यारम्भक के साथ वाद होता है और किसके साथ नहीं, यह इस नक्षत्र से स्पष्ट ज्ञात होगा—

प्रारम्भक	प्रत्यारम्भक					सम्भव संख्या
	जिगीषु	स्वा त नि	प त नि क्षायो	प त वि केवली		
जिगीषु	हो सकता है	०	हो सकता है	हो सकता है	३	३
स्वा० तत्त्वनिजिगीषु	०	०	'	"	"	२
प त क्षायोपक्षयिकज्ञानी	हो सकता है	हो सकता है	"	"	,	५
प त केवली	"	'	"	"	"	३
सम्भव संख्या	३	३	५	३		१२

अंग-नियम

तत्र प्रथमे प्रथमतृतीयतुरीयाणां चतुरङ्ग एव, अन्यत-  
मस्याप्यपाये जयपराजयव्यवस्थादिदोःस्थ्यापत्तेः ॥१०॥

अर्थ-पूर्वोक्त चार प्रारंभकों में से पहले जिगीषु के होने पर जिगीषु, परत्रतत्त्वनिर्णिनीषु क्षायोपशमिकज्ञानी और केवली प्रत्यारंभक का वाद चतुरंग होता है। किसी भी एक अंग के अभाव में जय-पराजय की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती।

विवेचन-वादी, प्रतिवादी, सभ्य और सन्नापति, वाद के यह चार अंग होने हैं। जिगीषुवादी के साथ उक्त तीन प्रति-  
वादियों का वाद हो तो चारों अंगों की आवश्यकता है।

द्वितीये तृतीयस्य कदाचिद्द्व्यङ्गः, कदाचित् त्र्यङ्गः ॥११॥

अर्थ-दूसरे वादी-स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का तीसरे प्रति-  
वादी-क्षायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु का वाद कभी दो  
अंग वाला और कभी तीन अंग वाला होता है।

विवेचन-स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु जय-पराजय की इच्छा से वाद में प्रवृत्त नहीं होता, अतः उसके साथ परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु क्षायोपशमिकज्ञानी का वाद होने पर सभ्य और सन्नापति का आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभ्य और सन्नापति जय-पराजय की व्यवस्था और कलह आदि की ज्ञान्ति करने के लिये होते हैं। अलवता जब क्षायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु तत्त्व का निर्णय न कर सके तो दोनों को सभ्यो की आवश्यकता होती है। इसलिये कभी दो अंग वाला और कभी तीन अंग वाला वाद बतलाया गया है।

